खण्ड-367, अंक-2
गुरूवार, 16 चैत्र, शक संवत् 1906
(5 अप्रैल, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 367 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1-5
प्रश्नोत्तर	..	7-45
प्रथम भारतीय श्री राकेश शर्मा को अन्तरिक्ष उड़ान पर बधाई का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	45-52
कुमारी कटोरी देवी द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में किए जा रहे अनशन के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	52
उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रशासनिक सुधार शाखा के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	52-53
महिगवां (कानपुर देहात) में हुए अग्निकाण्ड से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	53
शकूदरपुर (बस्ती) निवासी बेवा विधराजो के पुत्रों का पुलिस को सांठ-गांठ से अपहरण किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	53
पर्वतीय जनपदों में शराब के ठेकों की नीलामी का विरोध करने वाले नागरिकों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	53-54
जनपद मुरादाबाद में विद्युत मैकेनिकों एवं आपरेटरों के अभाव में नलकूपों के बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	54
केन यूनियन ऐशबाग, लखनऊ द्वारा गबन की सम्भावना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	54-55
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	..	55
बजट तथा विनियोग विधेयक द्वारा पारित धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	55-58
सदन में हिन्दी में पारित विधेयकों को मान्यता न देकर अदालतों में उसके अंग्रेजी अनुवाद को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	58-64

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984---(संशोधनोपरान्त वापस प्राप्त हुआ) .. 64

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984---(सदन के पटल पर रखा गया) .. 64

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1984---(सदन के पटल पर रखा गया) .. 64

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1983-84) का पंचम प्रतिवेदन---(प्रस्तुत किया गया) .. 64

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1983-84) का षष्ठ प्रतिवेदन---(प्रस्तुत किया गया) .. 65

श्री हरनारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा के अवकाश प्रार्थना-पत्र पर सदन की अनुज्ञा का प्रस्ताव---(स्वीकृत) .. 65

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 65-66

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं .. 66-72

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 3---उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज), अनुदान संख्या 4---उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 5---उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 6---उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 27---निर्यात प्रोत्साहन विभाग (जारी) .. 72-111

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. 111

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या 3---उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज), अनुदान संख्या 4---उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 5---उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 6---उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 27---निर्यात प्रोत्साहन विभाग (स्वीकृत) .. 111-113

दिनांक 2 अप्रैल, 1984 को श्री शंकर सिंह द्वारा कही गई बात के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री तेज बहादुर गंगवार) का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण .. 113

रामपुर एवं बरेली के ग्रामों के बाढ़ग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा .. 113

यमुना नदी (आगरा) पर बने जवाहर पुल के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा .. 113-116

सांख्यिकी .. 117-120

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 5 अप्रैल, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (315)

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कदम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० प्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लिूराम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
करनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई) (बेगम एजाज रसूल)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश दन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपीनाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)

गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र भान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरगढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
श्रीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुलतानपुर)
झगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर गंधार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलोत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलसिंगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह श्री (बस्ती)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवा प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुलतानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव प्रसाद राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)

बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मन्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज), (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवा, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर, सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)

राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
रामचन्द्र, श्री ब.राणसी
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट) (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री जालौन
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
रामसिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियाज अहमद, श्री (पीजीभीत)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद) (उर्फ मणिजी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तियारी डाक्टर पीलीभीत
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)

सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री उर्फ मुन्नी, (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमार बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 5 अप्रैल, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ में कनिष्ठ सहायक/कैशियर के पदों पर नियुक्ति पत्र जारी न करने का कारण

**1—श्री दूधनाथ राजभर, श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री विश्वनाथ—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ में 50 कनिष्ठ सहायक/कैशियर के पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची जुलाई, 1983 में उपलब्ध करा दी गयी है ? क्या यह सही है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु शासन ने भी जनवरी/फरवरी, 1984 में आदेश दिया है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा अभी तक नियुक्ति पत्र जारी न करने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ये आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

उक्त पदों हेतु सचिव, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा 45 चयनित अभ्यर्थियों की सूची जुलाई, 1983 में तथा अनुसूचित जाति के एक अभ्यर्थी का नाम अगस्त, 1983 में प्राप्त हुआ था ।

जी हां, शासन ने नियुक्ति हेतु अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल एवं प्रबन्ध निदेशक, पी0 सी0 एफ0, को 16 फरवरी, 1984 को आदेश भेज दिये हैं । उत्तर प्रदेश, सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ द्वारा चयन किये गये अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा, उनके पूर्ववृत्त तथा चरित्र सत्यापन की औपचारिकतायें अभी पूर्ण कराई जा रही हैं । जैसे-जैसे नियुक्ति की औपचारिकतायें पूर्ण होती जा रही हैं, वैसे-वैसे नियुक्ति का आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

श्री विश्वनाथ—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या 17 मई, 1983 को एक राजाज्ञा जारी हुई थी और उसमें यह था कि अभ्यर्थियों के चुनाव के 15 दिन के अन्दर ही नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा, अगर इसमें विलम्ब हुआ और जो अधिकारी विलम्ब के दोषी हुए, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? इन अभ्यर्थियों के चुनाव के बाद आज तक उनकी स्वास्थ्य परीक्षा, उनके पूर्ववृत्त तथा चरित्र सत्यापन की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं । मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है 34 लोगों की यह औपचारिकताएं पूरी हो गयी हैं । यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई है और मंत्री जी क्या यह स्पष्ट करेंगे कि नियुक्ति पत्र देने के बाद डाक्टरी जांच की कार्यवाही होती है, ज्यादातर एडहाक नियुक्तियां की जा रही हैं, इनमें भरी घोटाला क्यों किया जा रहा है ?

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, नियुक्ति करनी थी, सेवा मण्डल के चयन के बाद, लेकिन तुरन्त ही माननीय सदस्य का प्रार्थना-पत्र आया कि इसमें धांधली की गयी है । उसमें जांच के होने के उपरान्त ही कार्यवाही शुरू कर दी गयी । जांच की वजह से उसमें विलम्ब हुआ । अगर उसमें पहले ही देते और उसके बाद फिर जांच होती, तो वह ठीक नहीं था । इसलिए पहले जांच की गयी । माननीय सदस्य का जो प्रार्थना-

पत्र आया, उस पर कार्यवाह. ी गयी। माननीय सदस्य ने 34 अभ्यर्थियों की संख्या बतायी। मान्यवर, 34 नहीं बल्कि मैं समझता हूं 38 ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनकी सभी कार्यवाही हो गयी हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इनकी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कोई तिथि निश्चित की गयी है कि यह कब तक पूरी कर दी जाय या इसके लिए कोई भी तिथि निश्चित नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ? दूसरे इसमें कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्रों का चयन किया गया है ?

श्री बच्चा पाठक---

कोई तिथि निश्चित नहीं होती। सारे मामले पर जांच करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाती है और की गयी है। एक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी का नाम सूची में है।

श्री विश्वनाथ -

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 38 लोगों की औपचारिकताएं पूरी कर दी गयी हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिये गये? जिनको नहीं दिये गये, वह कब तक दिय जायेंग ?

श्री बच्चा पाठक--

मैंने कहा कि 38 लोगों की नियुक्ति कर दी गयी है और बाकी की कर दी जायगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

जो 45 व्यक्तियों का चयन किया गया था, उसमें कौन सा ऐसा कारण है कि एक ही अनुसूचित जनजाति का पात्र चयनित किया गया ? मैं जानना चाहूंगा कि कितने अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी आये थे ?

श्री बच्चा पाठक--

कुल संख्या 5 थी और उसमें केवल एक ही अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी आया जिसका चयन कर लिया गया।

श्री रियासत हुसैन--

बड़े आश्चर्य की बात है। क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 45 में से 5, आपने जैसा कहा 5 ने एप्लीकेशन दी थी, एक चुनाव में आया। इस समय जब कि अनुसूचित जाति के लोग क्लास-4 से लेकर क्लास-1, आई० ए० एस० तक मौजूद हैं, हर जगह 18 प्रतिशत की पूर्ति कर सकते हैं, इसके बाद भी वे सड़क पर घूम रहे हैं। इसका क्या कारण है ? क्या विशेष जांच करने की कृपा करेंगे कि कौन से कारण हैं कि इश्तहार नहीं दिया गया या क्या कारण है कि 5 ही दरख्वास्त सामने आयीं और एक ही चुना गया ?

श्री बच्चा पाठक---

जैसा कि मैंने कहा 5 स्थान थे, एक आया। बाकी माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि क्यों नहीं आये, इसकी जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं कहना चाहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, माननीय नियोजन मन्त्री एवं अन्य मन्त्रिगण, जिनके विभागों में हरिजनों के प्रमोशन म कोटा पूरा नहीं है, तो इस बात पर विचार करना चाहिये कि अलग से "रिटेन टेस्ट" लें या जो भी पद्धति अपनाएं जैसाकि अन्य प्रदेश सरकारों ने किया है और पहले भी हुआ है। इस पर आप विचार कर लें और उसी कैटेगरी में से बुलवायें। अगर वे उपयुक्त नियमों का पालन करते हैं और शर्तें पूरी करते हैं तो उनका इन्टरव्यू इत्यादि कर लें, इस पर विचार करना चाहिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि किसी माननीय सदस्य के शिकायती-पत्र पर मामले की जांच करवाई है। मैं जानना चाहता हूं कि वह शिकायती-पत्र क्या है और जांच के बाद क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री बच्चा पाठक--

दरखास्त में यह आया कि इनके चयन में कई प्रकार की गड़बड़ी की गयी है। उसकी जांच करायी गयी लेकिन शिकायत सत्य नहीं पायी गयी। जो लोग आये उनको नियुक्ति-पत्र भेजे गये।

श्री राम जी राम--

माननीय मुख्य मंत्री ने हरिजन और महिला सम्मेलन में ऐलान किया था कि 3 वर्षों में हरिजनों का आरक्षण पूरा करेंग। क्या इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री को माननीय मुख्य मंत्री के जरिये कोई आदेश, निर्देश या संकेत मिला है ? यदि नहीं, तो आप अपने माध्यम से, क्योंकि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि हरिजनों का कोटा मन्त्रि मन्डल स्तर से विधिवत पूरा किया जाय, इसे पूरा करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

जहां तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न का सवाल है इसमें कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति के लोग नहीं आये और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मुख्य मंत्री के आदेश हैं, वह हमें शिरोधार्य है।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आपने आरक्षण कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति, जन जाति, विकलांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों में से कितने लोगों को नियुक्ति अलग-अलग की ?

श्री बच्चा पाठक--

इस सूचना को एकत्र करने की आवश्यकता है।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, इसी आदरणीय सदन के पटल पर तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह घोषणा की थी कि जहां पर भी यदि आरक्षण कोटा किसी वजह से पूरा नहीं है तो उस स्थान को रिक्त रखकर दुबारा प्रयास किया जायेगा उसको पूरा करने का, लेकिन इसके स्थान पर किसी दूसरे की नियुक्ति नहीं की जायेगी। क्या इसके अनुसार कार्यवाही हो रही है ?

श्री बच्चा पाठक--

इसी के अनुसार प्रयास जारी है, और जो पद शेष हैं उसको भी इसी के अनुसार भरा जायेगा।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों की आपूर्ति

*2--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के कितने पद इस समय रिक्त हैं और उसका क्या कारण है ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिक्त पदों पर भर्ती कब तक की जायेगी ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

इस समय प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के 131 पद रिक्त हैं, जिसमें से 106 पद वर्ष 1983-84 में सृजित किये गये थे। शेष 25 पद विभिन्न कारणों से रिक्त हैं। रिक्त पदों की भर्ती शीघ्र कराने हेतु विचार किया जा रहा है।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, आप देखें, माननीय मंत्री जी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि 131 पद रिक्त हैं, जिससे यह प्रतीत

होता है कि यह होम्योपैथिक को कितनी गम्भीरता से देख रहे हैं। यह इस बात का द्योतक है। क्या यह सही है कि यह पद केवल 12 जिलों से सृजित होकर आए हैं जबकि पूरे प्रदेश में 57 जिले हैं। क्या उनमें से यह पद सृजित किये गये हैं, यह माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, यह जो मैंने बताया कि 106 पद सृजित किये गये हैं, वह पूरे प्रदेश से सृजित किये गये हैं।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह जो पद सृजित किये गये हैं तो इनके चयन की क्या प्रक्रिया अपनाई गयी है, चयन समिति द्वारा इसका आधार क्या है ?

श्री हरि सिंह--

जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, इसके लिए लिखा गया है। जब वहां से इसकी परमीशन आ जायेगी तो चयन प्रक्रिया के आधार पर इनको लिया जायेगा।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

माननीय मंत्री के उत्तर से संबंधित। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय अस्पतालों में अनिवार्य रूप से होम्यो-पैथिक चिकित्सकों की व्यवस्था करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या एक जिले में कम से कम 4 ब्लाकों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में यथाशीघ्र अर्थात् इसी वित्तीय वर्ष में होम्योपैथिक डाक्टर की व्यवस्था करने को कृपा करेंगे ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, हमारी सरकार यह कोशिश कर रही है कि सभी क्षेत्रों में, देहातों में स्वास्थ्य की सेवायें प्राप्त हो जायं। जहां तक आयुर्वेदिक और एलोपैथिक का सम्बन्ध है, जहां पर इनकी सुविधायें नहीं हैं, वहां पर होम्योपैथिक चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। परन्तु यह नहीं है कि हर जगह यह तीनों प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी और अस्पताल खोल दिये जायेंगे। हर जिले के हेडक्वार्टर पर होम्योपथिक की डिसपेन्सरी खोलने की बात है।

श्री किरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि मन्त्री जी ने अपने पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि होम्योपैथिक के चिकित्सकों की नियुक्ति का मामला पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया गया है। तो जब यह मामला पब्लिक सर्विस कमीशन में गया तो इससे पूर्व की जो नियुक्तियां हुई हैं तो क्या उनमें अनुसूचित जाति के कोटे को भरा गया है ?

श्री हरि सिंह--

जो ऐसे चयनित हुये थे, वे चयन समिति के द्वारा चयन किये गये थे। इसमें हरिजनों का कोटा पूरा कर लिया गया है।

श्री रेवती रमण सिंह--

अभी मन्त्री जी ने अपने मूल उत्तर में कहा है कि 106 नये पदों का सृजन किया गया है, पहले से 25 पद विभिन्न कारणों से रिक्त हैं तो क्या आप उनकी नियुक्ति के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करेंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन से इस बात की चेष्टा करेंगे कि ये 106 पद इसी वर्ष 1984 में ही भर दिये जांय ?

श्री हरि सिंह--

हां, मान्यवर, जल्दी से जल्दी इनको भर देंगे।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

क्या माननीय मन्त्री जी के समक्ष प्रस्ताव विचाराधीन हैं कि जो स्थान रिक्त हैं, उनकी आवश्यकता को देखते हुए होम्योपैथिक की डिग्री और डिप्लोमा होल्डर अपनी डिग्री और डिप्लोमा लेकर सड़क पर मारे-मारे घूम रहे हैं, उनको तत्काल नियुक्त करने का कष्ट करेंगे ?

श्री हरि सिंह--

अगर कमीशन हमें लिख करके यह दे दे कि आपके इतने पद को हमने अपनी परिधि में ले लिया है, तब हम एडहाक एप्वाइन्टमेंट का प्रोसीजर एडाप्ट कर सकते ह ।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप एडहाक शब्द की हिन्दी नहीं कर सकते हैं ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, इसकी हिन्दी तदर्थ है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

यह उत्तर में जो मन्त्री जी ने बताया कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक अस्पताल हैं तो इन पर तो आप 25,000 रुपये और 8,00,000 रुपये खर्च करते हैं । जब कि होम्योपैथिक बहुत सस्ता इलाज है । जिस पर मुश्किल से डेढ़ लाख का खर्च आयेगा । होम्योपैथिक की थोड़ी सी दवा बहुत कारगर होती है और सस्ती भी होती है तो इनकी रिक्तियों को क्या आप शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिये तैयार हैं ?

श्री हरि सिंह--

बहुत जल्दी ही करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मन्त्री जी अपने उत्तर के संदर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि इनके यहां से लोक सेवा आयोग को अपनी परिधि में लेने के लिये प्रस्ताव कब भेजा गया ? और लोक सेवा आयोग इस पर जल्दी कार्यवाही करे इसके लिये आपके यहां से क्या कार्यवाही की गई है ? इन्होंने यह भी कहा कि सभी जिलों में डाक्टरों को नियुक्त कर दी हैं । लेकिन मैं कहता हूं कि उनको बजट बहुत थोड़ा दिया गया है लोकल परचेज के लिये साथ ही उन्हें खरीददारी का अधिकार भी नहीं दिया गया है । आपका मुख्य चिकित्सा-धिकारी ही खरीददारी करता है । जबकि उनको इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । क्या आप उन्हें लोकल परचेज के अधिकार व बजट देंगे और नियुक्तियां शीघ्र ही करेंगे ?

श्री हरि सिंह--

जो माननीय सदस्य ने लोक सेवा आयोग को भेजन का समय पूछा है तो यह नम्बर, 1983 में भेजा गया है । यह जो बजट कम है स्थानीय स्तर पर लोकल परचेज के लिये, इस पर विचार किया जा सकता है । इस पर अवश्य विचार करेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

होम्योपैथिक मान्यवर, गरीबों की दवा है । उसके लिये इनके पास बजट नहीं है और एलोपैथिक जो अमीर लोग करते हैं, उस पर ये लाखों-करोड़ों का बजट देते हैं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जल निगम में कार्यरत अधीक्षण एवं अधिशासी अभियन्ता तथा आरक्षण के अनुसार पदोन्नति

*1--श्री भीखा लाल (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश जल निगम में कितने

अधीक्षण एवं अधिशासी अभियन्ता, दिनांक 31 जनवरी, 1984 को कार्यरत हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ? क्या यह सही है कि उक्त पदों पर आरक्षण के अनुसार पदोन्नति नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

पंचायती राज तथा ग्राम्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)

प्रश्नगत अवधि में 215 अधिशासी अभियंता एवं 48 अधीक्षण अभियंता, उत्तर प्रदेश, जल निगम में कार्यरत थे। अधिशासी अभियंता में से 7 अधिशासी अभियंता हरिजन हैं और अधीक्षण अभियंताओं में से कोई हरिजन नहीं है। जी हां, क्योंकि उत्तर प्रदेश जल निगम अभियंता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियमावली, 1978 में निहित प्राविधानों के अनुसार समय समय पर अधिशासी अभियंता के पदों पर केवल पात्रता क्षेत्र में आने वाले अभियन्ताओं के नामों पर चयन समिति द्वारा विचार किया गया और उपयुक्त पाये गये अभियन्ताओं की पदोन्नति की गयी। इसी प्रकार अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति हेतु वर्ष 1983 में चयन में केवल 2 अधिशासी अभियन्ता पात्रता क्षेत्र में आते थे जिनके नामों पर विचार किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न सं0 1 के सम्बन्ध में माननीय भीखा लाल मुझसे यह कह गये थे कि मेरे प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये और बाद में यह भी कह गये थे कि लिखकर दे दूंगा इसलिये मैं इसको आज के लिये स्थगित करता हूं।

*2—श्री बिहारी लाल, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मित्रसेन, श्री केदार नाथ सिंह, श्री विद्या सागर नौटियाल, श्री शंकर सिंह, श्री राम प्रसाद, श्री मोहन सिंह तथा श्री मोती लाल देहलवी—

[दिनांक 26 मार्च, 1984 को सदन वक्तव्य होने के कारण निरस्त।]

कुमायूं मन्डल में 'अशोका लिक्विड' नामक द्रव्य के पीने से मृत्यु तथा बिक्री पर रोक के निर्देश

*3—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सरकार की जानकारी है कि कुमायूं मंडल में अशोका लिक्विड नाम से एक द्रव्य बिक रहा है जिसके पीने से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी हैं और ड्राइवरों द्वारा पीने से कई मोटर दुर्घटनायें हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी तुरन्त जांच कराकर इस पर रोक लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह—

शासन की जानकारी में यह आया है कि कुमायूं मण्डल में अशोका लिक्विड नाम का द्रव्य बिक रहा है। इस द्रव्य के पीने से हुई मृत्युओं तथा मोटर दुर्घटनाओं की सूचना शासन में प्राप्त नहीं हुई। उक्त औषधि का नशे के लिए दुरुपयोग करने तथा उसकी बिक्री पर रोक लगाने की कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो अशोका लिक्विड है, उसने हजारों लोगों को बेघरबार बना दिया है और सरकार कहती है कि इस पर रोक लगाने की कार्यवाही की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो अशोका लिक्विड है यह कहां पर बनता है, इसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है, इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, प्रश्न कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अशोका लिक्विड ह, यह कैसे बनती ह और कहां पर बनती हैं, इसको रोकने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप पीते हैं या नहीं, अगर पीते होंगे तो जानते होंगे कि कहां बनती हैं । आप दूसरा सवाल करें ।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट—

मान्यवर, जनपद चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में जो अशोका लिक्विड है । उसके पीने से कई लोगों की मृत्यु हो गयी हैं। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मरने वालों का पोस्ट मार्टम कराया गया है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री हरि सिंह—

किसी की मृत्यु की जानकारी नहीं है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

जैसा माननीय मंत्री जी ने अपन उत्तर में स्वीकार किया है कि अशोका लिक्विड न म की कोई वस्तु बिक रही है और उन्होंने जवाब दिया कि आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह आवश्यक कार्यवाही क्या की है ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, यह जो अशोका लिक्विड हैं, वह गवर्नमेंट आफ इन्डिया की जो सूची है, उसमें सम्मिलित है । इसके मैन्यूफैक्चर के लिए लाइसेंस मिलता है । जो नुस्खा बनाया जाता है, उसका प्रापरली एक्जामिनेशन किया जाता हैं, और दूसरे इसका भी प्रयास किया जाता हैं कि इसका मिसयूज न हो ।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग न करें । कभी गलती से निकल जाय तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि रिवाज पड़ गया है । आप उनको हिन्दी बता दिया करें ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में जितनी भी अशोका लिक्विड की दुकानें हैं, वह विधिवत आपके द्वारा दिये गये लाइसेन्स के आधार पर चलती हैं । इसका लाइसेंस मुख्य चिकित्साधिकारी देता हैं । तो आप जनहित में इस तरह की व्यवस्था बनायेंगे कि ऐसे लोग जो मादक पदार्थ बनाते हैं, उनके लाइसेंस को समाप्त कर दिया जायेगा ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, इसके गलत इस्तेमाल को देखते हुए सरकार ने निश्चय किया है कि जिन चीजों से सच में दवाइयां बनायी जाती हैं, उन्हीं को रखा जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी जानकारी को सही मानकर जिस परिपत्र की आपने जानकारी दी है उसमें यह भी उल्लेख है कि बिना डाक्टर के नुस्खे के यह दवा नहीं बेंची जायेगी । जब माननीय सदस्य का प्रश्न आपको मिला उस समय आपके विभाग ने क्या इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि जो इस तरह से यह दवा बेची जा रही है, खुलेआम दुकानदार इसको क्यों बेच रहे हैं ? जब आपको यह जानकारी मिल गई कि इसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है और शराब के रूप में बेची जा रही है तो इस बात पर आपने क्या विचार नहीं किया ? दूसरी बात यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में यह दवा बड़े पैमाने पर बेची जा रही है, देहरादून और कुमांयू में बड़े पैमाने पर इसके बारे में आन्दोलन हो

रहा है कि इन चीजों को रोका जाय । इसको रोकने के लिये आपने मात्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं अथवा कोई प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश भी इस विषय में दिये हैं कि दुकानदारों को इसके लाइसेन्स न दिये जाय और जो दुकानदार इस दवा को बिना लाइसेन्स के अथवा बिना डाक्टर के नुस्खे के बेच रहे हैं अथवा जिन चिकित्सा अधिकारियों ने इस तरह के नुस्खे गलत आदमियों को दिये हैं, उनके ऊपर भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, इस दवा के बेचने के लिये किसी डाक्टर के नुस्खे की जरूरत नहीं है । केन्द्रीय सरकार की जो लिस्ट है उसमें यह दवा लिखा है उसमें डाक्टर के नुस्ख की जरूरत नहीं है । इसका मिसयूज न हो उसको चेक करने के लिये हमारी सरकार ने उपाय किये हैं कि बगैर लाइसेन्स के कोई बेच नहीं सकता । पहले हर दुकानदार तैयार हो जाता था । यह जनरल चीजों के तहत अहतियात के तौर पर नजर रखते हुये किया गया है । दवा बेचने के लिये किसी डाक्टरी नुस्खे की अवश्यकता नहीं है ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक ऐसा बिन्दु उठाया है, जिसमें उन्होंने औषधियों का वर्णन किया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि औषधियों को बालायताक में रखते हुये आज सस्ती मादक वस्तुओं को पीकर लोग निरन्तर मर रहे हैं, मोटरों का परिचालन करते हैं, यात्री उसमें बैठे होते हैं और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है । इस व्यवस्था को तत्काल रोकने के लिये आप कौन से प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं जिससे इन सस्ती मादक दवाओं पर रोक लग सके और यात्रियों को दुर्घटना से बचाने के लिये आपके पास और कौन के उपाय हैं ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इसकी चेक-अप हमने शुरू कर दी है और इस दवा को बेचने पर पाबन्दी लगा दी है । जो हमारे इन्सपेक्टर हैं, निरीक्षण करने वाले हैं वे इसको देख रहे हैं । चेकिंग शुरू हो गयी है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानकर कि वहां के जिलाधिकारी ने भी शासन को यह लिखा कि इस अशोका लिक्विड की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है । इसकी जांच की खाद्य एवं नियंत्रक उत्तर प्रदेश ने औपचारिकता पूरी की । जांच में यह पाया कि यू० पी० ड्रग हाउस जो है वह इस दवा को पहाड़ों पर सप्लाई करता है जो मेटोरियल अशोका लिक्विड के लिये बनाया जाता है, उसका उसके पास आयातित लाइसेन्स नहीं है । यह जांच आपकी पत्रावली में मौजूद है । सम्भवतः ड्रग हाउस का लाइसेन्स भी कैंसिल किया गया और फिर उसने वहां पर दूसरा बोर्ड लगाकर इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया । मेरी सूचना है कि जो तत्कालीन खाद्य एवं औषधि नियत्रक उत्तर प्रदेश हैं, उनका भी हाथ इसमें है । इसलिये क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर नये सिरे से इस पत्रावली का देखकर, जिलाधिकारी चमोली का शिकायती-पत्र देखकर, अन्य आरोप पत्रों को देखकर, सारे मामले की छानबीन करके उस ड्रग हाउस का लाइसेन्स रद्द करेंगे और जो दोषी व्यक्ति इस तरह से बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने एक विशेष मामले की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है । मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसके बारे में कुछ थोड़ा सा लिखकर दे दें ।

अगर शिकायत सही पायी गयी तो उसके साथ-साथ दूसरी जो कानूनी कार्यवाही होगी वह भी हम करेंगे ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि अल्मोड़ा कांग्रेस कमेटी द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव किया गया है केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को कि ड्रग लाइसेंस में संशोधन किया जाय । दूसरा यह कि मेरी निश्चित जानकारी है कि अशोका लिक्विड उत्तर प्रदेश में नहीं बनता है बल्कि पंजाब और हरियाणा से बनकर आता है ...

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मिलिटरी वाले कहते हैं कि इसमें 86 परसेंट अलकोहल है । इसको पीने से वहां बच्चे अनाथ हो गये हैं । तो क्या माननीय मंत्री जो आश्वासन देंगे कि ऐसी अवैध सुरा को बिकने पर रोक लगायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप ऐसी कोई बात न कहें जिससे माननीय सदस्य यह कहें कि आप फेक हैं ।

(प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मेरा उत्तर दिला दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हरि सिंह जी, आप इनको अपने कक्ष में बुला लीजिये और उसके अनुसार कार्यवाही करें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या ड्रग लाइसेंस में संशोधन करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो नियम 49 में चर्चा करा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, आप उत्तर नहीं दिलाते हैं और आज्ञा नहीं देते हैं तो मैं इसके विरोध में वाक-आउट करता हूं ।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट सदन त्याग कर चले गये ।)

[बृहस्पतिवार, 5 अप्रैल, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

थाना कोतवाली, जिला प्रतापगढ़ में श्री राम कृपाल पाण्डे के विरुद्ध बिना लाइसेंस लिये ईंट-भट्ठा चलाने के अपराध में दर्ज एफ0 आई0 आर0

*1--श्री मोहन सिंह--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ थाना कोतवाली में दिनांक 20 जनवरी, 1983 को 11-15 बजे अपराध संख्या 34 धारा 3/7 ई0 सी0 ऐक्ट के अन्तर्गत श्री राम कृपाल पाण्डे के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी जिसमें यह कहा गया कि कोई ईंट उद्योग बिहारगंज में चलाया जा रहा है जिसके लिए न तो लाइसेंस लिया गया और न ही कोई वैधानिक कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो उक्त अनधिकृत उद्योग के प्रोप्राइटर के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री बैरागी गौतम)--

जी हां ।

थाना कोतवाली, जिला प्रतापगढ़ में दिनांक 20-1-1983 को अपराध सं0 34 धारा 3/7 ई0 सी0 ऐक्ट के अन्तर्गत श्री राम कृपाल पाण्डे के विरुद्ध बिना लाइसेंस लिये भट्ठा चलाने के अपराध में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी थी । उक्त मामले में अभी विवेचना हो रही है ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय, इस विभाग की अकर्मण्यता का इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण और कुछ हो नहीं सकता है कि 20-1-83 को एक एफ० आई० आर० दर्ज करायी गयी कि बिना किसी लाइसेंस के एक व्यक्ति भट्ठा चला रहा है और आज एक वर्ष तीन महीने बीतने के बाद माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मामले की विवेचना हो रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह विवेचना, प्रत्यालोचना, समालोचना आदि जो आपके समदर्शी हो रहा है यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

माननीय, यह बात सही है कि 20-1-83 को एफ० आई० आर० दर्ज हुई। उस पर आरोप-पत्र दिये और उसको इनक्वायरी हुई। उसके बाद फिर उसमें कुछ कमियां पायी गयी तो वहां के एस० पी० (इंटेलिजेंस) द्वारा उसकी अलग से जांच कराई जा रही है, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आयी।

श्री मोहन सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बतायेंगे कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी एफ० आई० आर० दर्ज कराई गयी क्या उसे कभी कोई भट्ठा चलाने का लाइसेंस दिया गया था ? यदि नहीं, तो फिर इतने अंतराल तक मामले को लटकाये रखने के लिये किसकी अकर्मण्यता थी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, लाइसेंस नहीं दिया गया था। इसमें चार-पांच महीने जांच करने में लगे और उसके बाद चार्जशीट दी गयी। जब विवेचना हुई तो कमियां मालूम हुई इसलिए उसकी जांच करने के लिए वहां के पुलिस अधीक्षक (इंटेलिजेंस) को दिया गया।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इनके दफ्तर में पूरे जिले भर के जो लाइसेंसदार होते हैं उनकी लिस्ट होती है। मौके पर भट्ठा चल रहा है और उसका लाइसेंस नहीं लिया है। तो यह चीज होते हुए उसे गिरफ्तार न किये जाने और इतने लम्बे समय तक टालने का क्या कारण है ? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने इतने लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, इसमें यदि कोई अवहेलना की गयी है तो उसकी अवश्य जांच की जायेगी लेकिन कार्यवाही चल रही है।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि एस० पी० इन्टेलीजेन्स को मामला चला गया है। मैं जानकारी चाहता हूं कि यह भट्ठा कब से चल रहा था और अब चल रहा है कि नहीं ? यह बिना लाइसेंस के भट्ठा अब चल रहा है और इंटेलीजेन्स को जांच दे दी गयी है, तो मंत्री जी क्या आपका विभाग भट्ठे को चलाने से रोकने में अक्षम है। उसके खिलाफ क्या कार्यवाही अब तक किया है, बिना लाइसेंस के अब भट्ठा क्यों चल रहा है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यदि भट्ठा चल रहा है तो माननीय सदस्य लिखकर बतायें।

श्री अध्यक्ष--

यह आपका काम है देखने का कि भट्ठा चल रहा है कि नहीं।

श्री मोहन सिंह--

माननीय, प्रश्नों के माध्यम से ही हम विभाग को सूचना देते हैं और मेरे सूचना देने के बाद कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि लिखकर सूचित कर दें। तो सूचित क्या करना है। जब मामला स्पष्ट है कि आपके विभाग ने लाइसेंस नहीं दिया

और उसके खिलाफ चार्जशीट आपने अदालत म दाखिल कर दिया । इसलिये सी0 आई0 डी0 या इंटेलीजन्स विभाग से इंक्वायरी कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, जैसा पहले कहा कि यह आरोप-पत्र में कुछ कमी के कारण दूसरे को दिया गया । इसके बाद हाई कोर्ट का आदेश हो गया कि यह आवश्यक वस्तु में नहीं आता है, तो उस पर विचार चल रहा है और उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

आगे जांच के लिये मैं इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर रहा हूं ।

खारा पानी पाये जाने वाले क्षेत्रों में पेयजल हेतु वेल लागिंग सर्वे का इस्तेमाल

*2--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खारा पानी पाये जाने वाले क्षेत्रों में पेयजल के लिये सफल नलकूप निर्माण हेतु लागिंग सर्वे का इस्तेमाल करने की व्यवस्था की जा रही है ? क्या विश्व बैंक ने इस सर्वे को कराने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो इस दशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नगर विकास एवं आवास राज्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में भू लागिंग सर्वे के कितने डिवीजन हैं । इस सर्वे के लिए आपने कौन-कौन मशीनें और संयंत्र मंगाये हैं और वह कितनी धनराशि है ।

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, इस सर्वे में कुछ जिले लिये गये हैं । जिसमें आगरा, मथुरा सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अलीगढ़ और एटा हैं । इसके अतिरिक्त 5 कवाल टाऊन हैं तथा कुमायूं, गढ़वाल के क्षेत्र एवं बुन्देलखंड के जनपद शामिल हैं ।

इसके लिये दो मशीनें मंगाई गयी हैं, जिनके द्वारा सर्वेक्षण कार्य होता है ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

मान्यवर, मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि इनके विभाग ने क्या कोई ऐसा सर्वेक्षण कराया है, भले उसका उपचार यह न कर पायें उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में पीने के लिये खारा पानी है और उसको दूर करने की क्या व्यवस्था होगी ? तो आपके विभाग ने कोई ऐसा सर्वेक्षण कराया या नहीं कराया ? नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया ? और करायेंगे तो कब तक करा लेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मैंने पहले ही निवेदन किया कि आगरा, मथुरा, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, एटा तथा अलीगढ़ जनपदों का सर्वेक्षण कराया गया है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

जनपद उन्नाव के बीघापुर में खारा पानी पिया जाता है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया ? (उत्तर नहीं दिया गया) ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

जैसा मन्त्री जी ने बताया, इस प्रदेश की यह बहुत बड़ी समस्या है । खारा पानी के कारण यहां पर योजनायें

पूरी नहीं हो रही हैं, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास इस प्रकार की कोई योजना है या उन्हें विश्व बैंक से जो रुपया मिला है, उससे वह इसके लिये कौन-कौन, कहां-कहां योजनायें चालू करने वाले हैं। जिससे मालूम हो जाये कि प्रदेश में यह स्थिति है और खारे पानी की समस्या का निदान हो सके।

श्री अरुण कुमार सिंह--

विश्व बैंक से जो मिला है, उससे कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में, केवल टांउन में कराया है। बुन्देलखण्ड के क्षेत्र आते हैं। दूसरे मैंने पहले ही निवेदन किया है। इलेक्ट्रिकल लागर्स क्रय कर लिए गये हैं और उनके माध्यम से पानी का स्ट्रेटा देखा जाता है। जहां-जहां माननीय सदस्यों ने कहा है और जैसा श्री वाजपेयी जी ने उन्नाव में कहा है, वहां का भी सर्वेक्षण करा लिया जायेगा।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1971 में भारत सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में भू-सर्वेक्षण विभाग की ओर से इस प्रकार की जांच कराई गई थी कि कहां पर पानी पीने की कठिनाई है और उसके आधार पर जिलों में नलकूप लगाये जाते हैं या लगाये जाने चाहिये। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन क्षेत्रों में पहुंचने आदि की कर्मचारियों की सुविधा होती है वहां पर नलकूप लगाये जाते हैं और जहां पर पानी पीने की सुविधा नहीं है पर वह दूरस्थ स्थान है और कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक नहीं है तो वहां पर नहीं लगाये जाते हैं। तो क्या इस बात की वह जांच करायेंगे कि कहां पर खारा पानी है और कहां पर पेयजल की कठिनाई है, वहीं पर नलकूप निगम या दूसरी एजेंसियों द्वारा नलकूप लगाये जायें ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

करा लेंगे। माननीय सदस्यों जैसा प्रदेश की योजना के बारे में कहा है जल निगम के तहत जो हाइड्रोलाजिकल सेल का गठन किया गया है....

(व्यवधान)

उसके द्वारा उसका सर्वेक्षण चल रहा है।

श्री विजय सिंह राना--

जहां खारा पानी है, उन खारे पानी के क्षेत्रों के लिए पानी आपूर्ति हेतु अब तक आपने क्या व्यवस्था की है, यह मन्त्री जी बता दें ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जहां खारा पानी है, उसकी विधिवत जांच चल रही है। सम्बन्धित स्थानों का स्ट्रेटा देखा जाता है और उसके अनुसार अच्छे पानी के हिसाब से कभी नलकूप ऊपर लगाया जाता है और कभी नीचे लगाया जाता है। उसी लिये लागर मंगाये हैं। उसके लिये सर्वेक्षण हो रहा है और उसी के अनुसार कार्यवाही होगी। आगरा और मथुरा ऐसे जिले हैं जहां की जल पूर्ति के लिये भारत सरकार से दूसरे प्रान्तों से पानी लेने की योजना चल रही है। हरियाणा से भी बात चल रही है।

जिला सहकारी बैंक लि0, राय-बरेली के संचालक मंडल के उपनिबन्धक द्वारा संचालक मंडल भंग करने के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश

*3--श्री प्रदीप कुमार यादव (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0,

रायबरेली के संचालक मंडल के उप-निबन्धक (के0), सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालक मंडल भंग करने के आदेश दिनांक 1 जुलाई, 1981 के उपरान्त उच्च न्यायलय (लखनऊ बेंच) से कोई स्थगन आदेश प्राप्त किया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि दिनांक 2 नवम्बर, 1982 को उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) द्वारा उक्त स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया है ? क्या शासन द्वारा इसकी प्रति प्राप्त करके निर्णय का अनुपालन कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जिला सहकारी बैंक लि0, रायबरेली के संचालक मंडल न उपनिबन्धक (के0), सरकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश दिनांक 1-7-81 के उपरान्त दिनांक 7-7-81 को एक स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) से याचिका सं0 3152-81 में प्राप्त किया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7 अक्तूबर, 1982 को ट्रांसफर पिटीशन सं0 218/82 में नोटिस जारी करने के साथ यह आदेश दिये गये थे कि उस मामले में आगे कार्यवाही स्थगित रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 25 फरवरी, 1983 के अपने आदेश द्वारा ट्रांसफर पिटीशन स्वीकार कर ली और यह आदेश दिया है कि उक्त बैंक के प्रबन्ध के सम्बन्ध में स्थिति यथावत् बनी रहेगी। उक्त वाद अभी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

तुलसीपुर, जिला गोंडा में पीने के पानी का अभाव

*4—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तुलसीपुर, जिला गोंडा में पीने के पानी का अभाव है जिसकी पूर्ति हेतु एक और ट्यूबवेल की मंजूरी 1981 में सरकार द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां।

नगरीय क्षेत्र की पेयजल योजना के लिये सीमित धनराशि उपलब्ध होने के कारण इस योजना का कार्यान्वयन अब तक नही किया जा सका है।

श्री रियासत हुसैन—

सन् 1981 में यह तय हुआ कि तुलसीपुर में, वहां पर पीने के पानी की आवश्यकता को देखते हुए पानी की टंकी बनायी जाये, पर सन् 1984 आ गया, अभी तक वह बनी नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे कि इस साल के अन्दर-अन्दर उसे पूरा करा देंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

हो जायेगा, सन 1984-85 के बजट में इस योजना को ले लिया गया है।

जनपद बदायूं में मलेरिया से मृत्यु तथा रोकथाम हेतु उपाय

*5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद में मलेरिया से अगस्त, सितम्बर, 1983 में कितनी मौतें हुई और क्या शासन को इस सम्बन्ध में हाल में ही कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ कि चिकित्सा विभाग ने इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं किया ? यदि हां, तो शासन ने इस बारे में क्या कार्यवाही की ?

श्री हरि सिंह—

जनपद बदायूं में अगस्त, 1983 में मलेरिया से कोई मृत्यु नहीं हुई उक्त जनपद में मलेरिया की रोकथाम हेतु

निम्न उपाय किए गये हैं--

(1) सर्वेक्षण कार्यक्रम को चुस्त बना दिया गया है ।

(2) रक्त पट्टिकाओं को समय से जांच करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

(3) उक्त जनपद के अधिक प्रभावित क्षेत्रों में फरवरी, मार्च, 1984 में बी० एच० सी० के छिड़काव की विशेष व्यवस्था की गई ।

(4) मई, 1984 से सितम्बर, 1984 तक जनपद की सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या में कीटनाशक औषधियों के छिड़काव का प्रस्ताव है ।

(5) स्वैच्छिक संस्थाओं की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बना दिया गया है तथा उन्हें पर्याप्त मात्रा में औषधियों की आपूर्ति की जा रही है ।

प्रश्न में वर्णित ज्ञापन शासन को प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बी० एच० सी० का छिड़काव किन-किन ब्लाकों में किया गया है तथा वहां कितनी-कितनी मात्रा में दवा का छिड़काव कराया गया ?

श्री हरि सिंह--

जो ब्लाक लिए गये हैं, जहां छिड़काव हुआ है । वह हैं कादर चौक, सहसवान, गुन्नौर, राजपुर, दातागंज तथा समरैर । हर एक में बड़े पैमाने पर छिड़काव कराया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने यह भी जानना चाहा था कि कितनी-कितनी मात्रा में इसका छिड़काव हुआ ?

श्री हरि सिंह--

इसकी जानकारी तो नहीं है, आवश्यकतानुसार हुआ है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

समस्त प्रदेश में मलेरिया अधिकारियों के पद समाप्त कर उनको सी० एम० ओ० के अधीन कर दिया गया था क्योंकि यह समझा गया कि मलेरिया खत्म हो गया है । अब चूंकि पूरे प्रदेश में उसका प्रकोप है, इनकी रोकथाम के लिए, क्या मलेरिया अधिकारियों की तनाती फिर से करेंगे ताकि इसकी रोकथाम हो सके ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, मलेरिया सारे प्रदेश में फैल रहा है, ऐसी बात नहीं है । कुछ पश्चिमी जिलों में मलेरिया के केसेज बढ़े हैं लेकिन उन पर विशेष ध्यान दिया गया और उनको मलेरिया स्कीम के अंदर ले लिया गया है ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, इस प्रदेश में जगह-जगह नारा लगाया गया था कि मच्छर रहेंगे, मलेरिया नहीं रहेगा । आजकल वह बोर्ड जो हैं उनको खोदने की कृपा करें क्योंकि बहुत सारे मच्छर फैल गये हैं जिससे मलेरिया फैल रहा है । इन मच्छरों का उन्मूलन करेंग ताकि मलेरिया का प्रकोप न हो ?

श्री हरि सिंह--

मलेरिया का उन्मूलन करने, मच्छरों को मारने के लिए सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है ।

श्री अध्यक्ष--

मलेरिया का सिद्धान्त है कि मच्छर रहेंगे लेकिन मलेरिया नहीं जायेगा ।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मलेरिया से संबंधित अवधि में किसी

की मृत्यु नहीं हुयी तो यह हो सकता है कि उसमें मलेरिया की बीमारी न लिखी गयी हो। मेरा कहना है कि संदर्भित दिनों में बदायं में बड़े पैमाने पर एक बीमारी फैली और उसमें लोग मरे तो उनकी संख्या बता दें। मेरी जानकारी को सही मानकर कि जिन ब्लाकों के नाम आपने बताये हैं, वहां छिड़काव नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में आप क्या मुख्यालय से किसी अधिकारी को भेज कर इस चीज का सत्यापन करायेंगे कि छिड़काव हुआ या नहीं ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, जिला स्तर पर इसको देखने के लिए अधिकारीगण हैं।

*6—प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*7—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[दिनांक 23 फरवरी, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या-140 द्वारा उत्तरित।]

अतिरिक्त निबंधक, सहकारिता द्वारा कोआपरेटिव बैंक, हरदोई का निरीक्षण तथा अनियमितताओं के संबंध में प्रशासक को कार्यवाही करने का निर्देश

*8—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 17 अगस्त, 1983 को अतिरिक्त निबंधक, सहकारिता ने जिला कोआपरेटिव बैंक, हरदोई का निरीक्षण किया था और बैंक में बहुत अनियमितताएं पाई थीं तथा क्या उसके आधार पर प्रशासक को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां। अवैधानिक पाये गये प्रस्तावों को निरस्त करने का निर्णय बैंक प्रशासक द्वारा दिनांक 25 मार्च, 1984 को लिया गया है एवं निबन्धक द्वारा उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 128 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु मामले को उप निबन्धक (केन्द्रीय), सहकारी समितियां, लखनऊ को संदर्भित कर दिया गया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, हमारे प्रश्न डालने से कम से कम इतना तो हुआ कि आपने अनियमितायें स्वीकार कीं। लेकिन जो कार्यवाही करने की बात थी उसको गोलमाल रखा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि अवैधानिक पाये गये प्रस्ताव क्या-क्या थे ? निबंधक को किस तारीख को जिलाधिकारी ने कार्यवाही करने के लिये कहा और जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही करने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, कई बातें अवैधानिक पायी गयीं थीं जिस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का पत्र 27-4-83 को मिला था और 10 मार्च, 1984 को निबन्धक को आदेश दिया गया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि अनियमितताएं हैं। चूंकि मैंने निजी रूप से मन्त्री जी से शिकायत की थी कि उप निबन्धक, लखनऊ क्षेत्र जो हैं वह भ्रष्टाचारी हैं और हरदोई सहकारी बैंक में खुले आम पैसा लिया जाता है। लेकिन इन्हीं को कार्यवाही करने का आदेश माननीय मन्त्री जी ने दे दिया।

मैं स्पष्ट रूप से मन्त्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि जिन-जिन लोगों के लिये अनियमितताएं पायी गयीं

हैं क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और कब तक कार्यवाही करके हमको सूचित करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, शीघ्र ही कार्यवाही कर दी जायगी।

मुरादाबाद के ईंट भट्ठे के व्यापारी श्री मोहम्मद वसीम को पैरोल पर छोड़ने का औचित्य

*9--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने उ0 प्र0 रूल्स आफ बिजनेस, 1975 के अन्तर्गत प्रिवेन्शन आफ ब्लैक मार्केटिक एण्ड मेन्टिनेन्स आफ सप्लाईज आफ एशेन्शियल कमोडिटीज एक्ट, 1980 में अपने अधिकारों से खाद्य मन्त्री को प्राधिकृत किया है ? यदि हां, तो मुरादाबाद के एक ईंट भट्ठे के व्यापारी श्री मोहम्मद वसीम जिनके विरुद्ध उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निरोधादेश पारित किया गया था और जिला कारागार, मुरादाबाद में दिनांक 16 मार्च, 1983 को निरुद्ध किया गया था, को दिनांक 28 मार्च, 1983 को 15 दिन का पैरोल सचिव, मुख्य मन्त्री के लिखित आदेशों के अनुपालन में खाद्य विभाग द्वारा दिया गया ? तदुपरान्त सचिव, मुख्य मन्त्री के लिखित आदेशों के अनुपालन में दूसरी बार पैरोल 15 दिन का और स्वीकृत किया गया ? क्या यह सही है कि इस मामले में मुख्य मंत्री ने कहीं भी कोई लिखित आदेश नहीं दिये थे ? क्या इस मामले में बिना जिलाधिकारी की रिपोर्ट एवं परीक्षण के दो बार पैरोल दिया गया ? तीसरी बार पुनः 26-4-83 को सचिव, मुख्य मन्त्री जी के आदेश पर पैरोल स्वीकृत हुआ ?

श्री जैराज गौतम--

उ0 प्र0 रूल्स आफ बिजनेस, 1975 के अनुसार मुख्य मंत्री जी ने प्रश्न में सन्दर्भित ऐक्ट के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्ति के निरुद्धि के आदेशों का अनुमोदन एवं उसके प्रत्यावेदन को अस्वीकृत करने का अधिकार खाद्य मंत्री को प्रतिनिधानित कर दिया है। श्री मोहम्मद वसीम को पैरोल पर छोड़ने हेतु श्री खुर्शीद अहमद अंसारी, विधायक ने मुख्य मंत्री जी को बार-बार प्रत्यावेदन दिये थे और मुख्य मन्त्री जी ने, सचिव, मुख्य मन्त्री जी को मौखिक आदेश दिये कि पैरोल दे दिया जाय। अतः मुख्य मंत्री जी की स्वीकृति से आदेश जारी किये गये। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट मंगाना अनिवार्य नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो आदेश दिया गया है, उसमें यह हवाला है कि माननीय मंत्री जी के मौखिक आदेश से यह आदेश दिया जा रहा है, देख लें फाइनल को और बता दें ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, फाइनल में यह है कि मौखिक आदेश दिया गया, सचिव ने आदेश दिया।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, इस अधिनियम के अन्तर्गत 4 आदमी निरुद्ध हुए थे, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय विधायक ने एक आदमी की सिफारिश की थी कि चारों की सिफारिश की थी और एक का पैरोल दिया गया कि चारों का पैरोल दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, एक ही की सिफारिश की गयी थी और एक को ही पैरोल पर छोड़ा गया।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मोदीनगर के जिन मजदूरों को एन0 एस0 ए0 में बन्द किया गया था, माननीय मुख्य मन्त्री के आश्वासन के बावजूद भी उनको पैरोल पर नहीं छोड़ा जा सका, इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एडवर्स रिपोर्ट दी । क्या यह सही है कि जब इनको छुड़वाने के लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच की गयी, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इनके समर्थन में, इनके छुटवाने की रिपोर्ट नहीं दी जा सकती है । जिन हालात में वे बन्द किये गये, तो इसके बावजूद बार-बार एक विधायक ने किन कारणों से छुटवाने की सिफारिश की ? क्या उन वजूहात की जांच करायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट नहीं आयी थी, माननीय सदस्य के प्रार्थना-पत्र पर उनको पैरोल दे दिया गया था ।

महिला अस्पताल, रामपुर में जन्म होने के बाद मृत बच्चों की संख्या

*10—श्री मुहम्मद आजम खां (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि रामपुर जिला महिला अस्पताल में गत वर्ष लगभग 100 बच्चे पैदा होते समय डाक्टरों व स्टाफ की लापरवाही के कारण मौत के शिकार हो गये ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर सम्बन्धित डाक्टरों को दंडित करेगी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)—

महिला अस्पताल, रामपुर में गत वर्ष में कुल 783 प्रसव सम्पन्न हुए जिसमें से 67 मृत बच्चे पैदा हुए । जन्म होने के बाद मृत बच्चो की संख्या केवल 1 है । मृत बच्चे स्टाफ अथवा डाक्टर की लापरवाही के कारण नहीं बल्कि माताओं के रोगग्रस्त होने एवं जटिलताओं के कारण पैदा हुए । अतः किसी डाक्टर को दंडित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

थाना खुखुन्दू, जिला देवरिया में स्मगलिंग का बरामद गेहूं तथा मक्का, बाजार भाव से कम भाव में बेचने का कारण

*11—श्री हरिवंश सहाय—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि थाना खुखुन्दू, जिला देवरिया ने दिनांक 3-12-83 को स्मगलिंग का बरामद 130 क्विंटल गेहूं मात्र 8,600 रु0 में नीलाम किया गया जबकि गेहू का बाजार भाव काफी ऊंचा था ? यदि हां, तो कम भाव में बेचने का क्या कारण है ?

श्री जैराज गौतम—

कुल 116 बोरे गेहूं व एक बोरा मक्का पकड़ा गया था । इस मामले में चलाये गये मुकदमें में न्यायालय का निर्णय शासन के पक्ष में रहा तथा दिनांक 3-12-83 को उक्त खाद्यान्न को 8,600 रु0 में नीलाम किया गया । प्रश्नगत खाद्यान्न में क्योंकि घुन लग गया था तथा इसकी किस्म घटिया हो गई थी अतः उसे कम मूल्य पर नीलाम कर दिया गया ।

श्री हरिवंश सहाय—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने जो यह जवाब दिया है, उससे ऐसा लगता है कि फाइल को उन्होंने पढ़ा नहीं । 118 कुंटल गेहूं और एक कुंटल मक्का 23,600 रुपये में नीलाम

हुआ। 15,000 रु0 अधिकारियों ने अपने पाकेट में रख लिया 8,600 रु0 दिखाया। मैं मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं किस तारीख को वह गल्ला नीलाम हुआ ? नीलाम के वक्त गल्ले का वजन कितना था और किस अधिकारी न नीलाम किया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, इसको अदालत के आदेश से गल्ले को बेचने का आदेश हुआ।

श्री मोहन सिंह--

किस तारीख को आदेश हुआ ?

मान्यवर, एक ही डेढ़ महीने बाद गल्ला नीलाम हो गया, तब तक घुन लगने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, हाट निरीक्षक को इसकी नीलामी के लिए कहा गया था, लेकिन उसने जब गल्ले की हालत खराब देखी तो उन्होंने कहा कि यह दूसरे अधिकारी को उसको नीलामी कराने के लिए सुपुर्द किया जाय। तब नायब तहसीलदार ने इसकी नीलामी दिनांक 3-12-83 को की।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या इस बात की जांच करायेंगे कि उस गल्ले की नीलामी 23 हजार 6 सौ में हुई थी, 15 हजार अपने पास रख लिया और 8 हजार 6 सौ दिखाया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

दरख्वास्त देंगे तो जांच करा देंगे, लेकिन नीलामी की जांच क्या हो सकती है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह हमारी तहसील का मामला है। अक्तूबर, 1983 में गल्ला पकड़ा गया; दिसम्बर 83 में नीलाम हो गया। मन्त्री जी ने बताया कि घुन लग गया था। दो महीने में घुन गया यह बात विश्वास योग्य नहीं है। जो आरोप माननीय सदस्य ने लगाया है, मेरी भी जानकारी है कि नीलामी 23 हजार में हुई और 8,600 दिखाया गया। शेष पैसा अपने पास रखा। उक्त आरोप की रोशनी में पुनः इस मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेंगे कि वाकई इसकी नीलामी 8,600 म हुई थी, या 23 हजार में हुई थी, यदि 23 हजार में हुई थी, तो अवशिष्ट राशि किसकी जेब में गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

प्रतिवेदन दे दें जांच करा दी जायेगी।

*12--श्री बदन सिंह--

[दिनांक 29-3-84 को तारांकित प्रश्न संख्या 9 द्वारा उत्तरित।]

आवास विकास परिषद् द्वारा जमीन मकान के आवंटन हेतु जमा करायी गयी अग्रिम राशि का ब्याज तथा अवशेष किश्तों पर वसूल किये जाने वाले ब्याज की दरों में विसंगति का औचित्य

*13--श्री राम नारायण पाठक--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा जमीन/मकान आवंटन हेतु अग्रिम धनराशि जो ली जाती है, उस पर परिषद् द्वारा ब्याज के रूप में 6 प्रतिशत दिया जाता है जबकि आवंटन के पश्चात् अवशेष किस्तों पर सम्बन्धित व्यक्ति से ब्याज की वसूली 13 1/2 प्रतिशत की दर से की जाती है ? यदि हां, तो ऐसी विसंगति का औचित्य क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह बात सही है कि आवास विकास परिषद् द्वारा जमीन/मकान के आवंटन

हेतु जमा की गयी अग्रिम धनराशि पर 6 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है किन्तु आवंटन के पश्चात अवशेष किस्तों पर सम्बन्धित व्यक्तियों से सभी श्रेणी के जमीनों/मकानों पर 13 1/2 प्रतिशत की दर से ही वसूली नहीं की जाती है बल्कि विभिन्न दर से वसूली की जाती है। कम ब्याज देने और अधिक ब्याज लेने की विसंगति राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी है जहां सेविंग बैंक के खातों में 5 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है जब कि वह ऋण के रूप में 15 प्रतिशत से 18 प्रतिशत पर दिया जाता है।

जनपद शाहजहांपुर के विभिन्न अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही

*14—श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि इस समय जनपद शाहजहांपुर के विभिन्न अस्पतालों में 19 डाक्टरों की रिक्तियां चल रही हैं ? यदि हां, तो इन्हें भरने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के अस्पतालों में चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रदेश के समस्त एलोपैथिक सरकारी डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध

*15—श्री विजय सिंह राना—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नियुक्ति अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 5776 से0 14/पांच-323/83, दिनांक 30-8-83 द्वारा उत्तर प्रदेश में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अध्यापक चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी के 1 सितम्बर, 83 से आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इन आदेशों का पालन करते हुये इस प्रकार के चिकित्सकों ने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह—

चिकित्सा अनुभाग—14 की अधिसूचना संख्या-5774 से0 14/पांच—323/83, दिनांक 30 अगस्त, 1983 द्वारा प्रदेश के समस्त एलोपैथिक सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर दिनांक 1 सितम्बर, 1983 से प्रतिबन्ध लगाया गया है।

कुछ डाक्टरों ने उपरोक्त अधिसूचना के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है तथा तदनुसार वे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। शेष पर प्रतिबन्ध लागू है।

श्री विजय सिंह राना—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् 82 में डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगी, उसके बाद डाक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश निरस्त कर दिया, स्थगन नहीं दिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश निरस्त कर दिया तो, दुबारा प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों खोली गयी और फिर एक साल बाद क्यों बन्द कर दिया ?

श्री हरि सिंह—

जो माननीय सदस्य ने पूछा है, इसका जवाब मेरे पास है। मेरी एक कठिनाई है, लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच में आजकल इसकी बहस चल रही है। कोई डिटेल में बात कहना ठीक नहीं होगा।

श्री विजय सिंह राना—

यह गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश निरस्त होने के बाद, 42

लाख रुपया लेकर इस सरकार ने फिर से प्राइवेट प्रैक्टिस खोल दी और जब पैसा ले लेते हैं तो फिर कुछ दिन बाद बन्द कर देते हैं। डाक्टरों से पैसा वसूलने का इन्होंने धन्धा बना रखा है। इसलिए सही उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह--

मन्त्री जी ने कहा चूंकि उच्च न्यायालय में रिट विचाराधीन है, बहस चल रही है, इसलिए कुछ कहना ठीक नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डाक्टरों की मांग को रद्द कर दिया, उसके बाद दुबारा शासन ने प्राइवेट प्रैक्टिस खोलने का निर्णय क्यों लिया? इस सवाल से जो मामला है उसका कोई सम्बन्ध नहीं है तो आप जानकारी दें कि शासन के सामने क्या परिस्थिति आ गई जो उन्होंने निर्णय ले लिया?

श्री हरि सिंह--

जो मैंने निवेदन किया, जो सवाल है उसका जवाब तो हो गया। वह सीधा फैसले को प्रभावित करेगा। इसको इस तरीके से लाइन से हटाना और रखना कठिन है।

श्री अध्यक्ष--

जब मामला कोर्ट में है तो मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं, आपने स्वयं लिखा है कि तदनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके ऊपर प्रतिबन्ध लगे हैं। स्थगन आदेश कोर्ट में चला गया और आपने स्वयं लिखा है कि कुछ डाक्टर विशेष ने आदेश लिया है, शेष की प्रैक्टिस बन्द है और अब आप चाहते हैं कि स्थगन आदेश से बचकर भाग जाएं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जितने भी मेडिकल कालेज जहां-जहां हैं उनके जो डाक्टर हैं। उन्होंने इतना अबंध धन्धा चला रखा है। हर डाक्टर के अलग-अलग अस्पताल खुल गये हैं अपने जिले में। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की भी यह मंशा है और हमारी भी है कि जितने डाक्टरों ने अस्पताल खोल रखे हैं, वह टूटें। जिससे गरीब जनता को राहत की सांस मिल सके। जो डाक्टर मेडिकल कालेज में प्रोफेसर हैं, उनका तीन साल में ट्रांसफर करने की योजना क्या सरकार बनायेगी, जिससे उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस का अखाड़ा न जमने पावे। जिससे की वह 10-10 हजार रुपया कमाते हैं।

श्री हरि सिंह--

इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

नगरपालिका, मुंगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर के ग्रामवासियों से पथकर की कथित वसूली

*16--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, मुंगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर की कमालपुर गजराजगंज एवं सटवां की पथकर चौकियां किन नियमों के अन्तर्गत पालिका सीमा क्षेत्र के एक-एक कि0 मी0 बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करके उक्त परिधि के अन्तर्गत आने वाले ग्रामवासियों से भी पथ कर की वसूली की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह--

पथकर की वसूली नहीं की जा रही है, क्योंकि नगरपालिका मुंगरा बादशाहपुर में पथकर लागू ही नहीं है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने अभी

उत्तर में कहा कि हम चुंगी वसूल नहीं कर रहे हैं । परन्तु मेरा निश्चित मत है कि नगरपालिका मुंगरा बादशाहपुर के जितने भी नगरपालिका के कर्मचारी हैं जौनपुर के, वह निरन्तर चुंगी वसूल करते रहे हैं । मान्यवर, लगता है मन्त्री जी ने सुना भी नहीं, वह नीचे काम कर रहे हैं । मेरा प्रश्न है कि मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि चुंगी वसूल नहीं कर रहे हैं, नियम में नहीं है, यह भी कहा । लेकिन मेरी निश्चित सूचना है कि जनपद जौनपुर की नगर-पालिका मुंगरा बादशाहपुर में जितने भी नगरपालिका के अधिकारी हैं, वह लोगों से चुंगी वसूल कर रहे हैं । यही कारण है कि यह प्रश्न यहां आया, इसको आपके समक्ष उपस्थित किया गया । तो क्या माननीय मन्त्री जी उसकी जांच करवा करके वहां के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और जिनसे वसूली की गई है, उनको वसूल किया गया रुपया वापस करेंगे या नहीं ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, जैसा सम्मानित सदस्य ने कहा, ऐसी कोई जानकारी तो है नहीं, अगर कोई आपकी जानकारी है तो उसको दिखवाया जा सकता है और उसकी पुनः जानकारी कराई जा सकती है । जो अधिकारी इस तरह कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, नगरपालिका मुंगरा बादशाहपुर इनका खुद का गांव है, यह अपने जिले की खबर नहीं रखते हैं ।

यदि माननीय मन्त्री जी अपने गांव की खबर नहीं रखते, तो पूरे सूबे की खबर इनसे मिलने की कल्पना करना व्यर्थ है । मैं माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी विस्तृत जांच कराकर जौनपुर में जहां-जहां अवैध वसूली हो रही है, उसको रुकवाने के सम्बन्ध में आदेश देने का कष्ट करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि ऐसा नहीं हो रहा है । लेकिन माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं तो जांच करा ली जायेगी और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, सरकार द्वारा पथकर पूरे सूबे में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन मुझे स्वयं एक बार बस में पथकर देना पड़ा था और टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया द्वारा वसूली की जा रही है । जब मैं अकबरपुर (फैजाबाद) से टांडा गया था, तब वसूली की गयी थी । तो क्या माननीय मन्त्री जी एक बार फिर पूरे प्रदेश में पथकर एबालिशन लागू करने के लिये शीघ्र आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां, दिये जाएंगे ।

नगरपालिका फैजाबाद में अरसे से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की मांग

*17-- श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका फैजाबाद में विगत 15 वर्षों से 8 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी विविध कर अनुभाग में कार्य कर रहे हैं ? उनको अब तक स्थायी नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ।

श्री बलराम सिंह यादव--

किसी सृजित पद के सम्मुख कार्य न करने के कारण उन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं दी जा सकी ।

प्रदेश में जल-प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु कार्यवाही

*18--श्री सरदार सिंह (अनुपस्थित)--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नदियों में जल प्रदूषण, वायु में वायु प्रदूषण, एवं शहरों में ध्वनि प्रदूषण तेजगति से बढ़ रहा है ? यदि हां, तो प्रदेश के कौन-कौन से शहर उक्त प्रकार के प्रदूषणों से सर्वाधिक प्रभावित हैं ? शासन तीनों प्रकार के प्रदूषणों को रोकन के लिए कौन से उपाय व कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

झांसी नगर में नजूल की भूमि के दिये गये पट्टे की वसूली के सम्बन्ध में पत्र

* 19--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी नगर में नजूल की भूमि के दिये गये पट्टे की वसूली के सम्बन्ध में दिनांक 5 जुलाई, 1983 को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा कोई जांच कराई गयी है ? 11 लाख रुपये बकाये का राजस्व की वसूली अभी तक न करने का क्या कारण है ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

जी हां, मामले में जिलाधिकारी, झांसी द्वारा जांच करायी गयी । जांच से पता चला कि बजाय 11 लाख रुपये के केवल 14,798.00 रु0 की धनराशि वसूली हेतु शेष है । पट्टेदारों न पट्टे का नवीनीकरण नहीं कराया व वार्षिक लगान का भुगतान नहीं किया जिनके विरुद्ध बेदखली का वाद न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि जो 14,798.00रुपये की धनराशि बकाया है, यह कितने वर्षो की धनराशि बकाया है और उसकी वसूली करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? दूसरा प्रश्न यह है कि यह जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो किस तारीख से न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, कृपया इसकी भी तिथि बताने की कृपा करें ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, यह बकाया 1965 से है । उसके बाद तत्काल कार्यवाही की गयी जिलाधिकारी के स्तर पर और मान्यवर, वह शासन स्तर पर तभी आया ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मुकदमें की तिथि बता दें ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, यह जो पूछना चाहते हैं, उसके बारे में रिपोर्ट है 30 नवम्बर, 1983 की कि अधिकांश पट्टेदारों ने धनराशि दे दी थी और उसके बाद से कार्यवाही शुरू की गयी ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि जिस तिथि के बारे में यहां सदन में बताया कि इसके पहले पट्टे निरस्त करने के आदेश शासनादेश द्वारा हुये थे और क्या उस पर माननीय मंत्री जी ने पुनः जांच के आदेश दिए हैं और आदेश देने के पश्चात ही इसका सारा मामला अदालत में गया है । दूसरी बात यह कि माननीय मंत्री जी फिर से बताने की कृपा करें कि जो 14,798.00 रुपया बकाया की वर्षों की धनराशि वसूली के लिए जिलाधिकारी को किसी तिथि में यह आदेश दिये थे या नहीं दिये थे, इसका उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, जिलाधिकारी के तहत यह मामला प्रकाश में आया, तब उन्होंने नवीनीकरण के बाद 1965 में वार्षिक किराये की दर बढ़ाई। उसके बाद वे लोग देय धनराशि को जमा नहीं कर रहे थे। इसी के आधार पर उनके पट्टों के निरस्तीकरण की बात कही गई और यह भी आधार दिखाया गया कि इस जमीन का ब्रीच आफ ट्रस्ट भी किया गया है। एक में तो पेट्रोल पम्प बनाया गया है और दूसरे को किराये पर दे दिया गया है। यही आधार उन्होंने शासन को भेजे थे। शासन ने इसकी जांच कराई। भूमि संख्या 29/1 क्षेत्रफल 2 एकड़ जो मुक्त पाई गई, उसमें ब्रीच आफ ट्रस्ट नहीं पाया गया। भूमि संख्या 29/2 क्षेत्रफल 1.87 एकड़ है तथा भूमि संख्या 30/3 क्षेत्रफल 16 एकड़, इन दोनों में बीच आफ ट्रस्ट पाया गया, चूंकि इन दोनों पर दूसरे लोगों का कब्जा था।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, माननीय मंत्री जो की यह जानकारी बिल्कुल सही है। सही जानकारी होते हुए भी आज हजारों रुपये प्रति मास अवैध रूप से उससे कमाया जा रहा है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि जो शासन के रेवेन्यू को हानि हो रही है, उस हानि से बचने के लिये आप अविलम्ब क्या उपाय कर रहे हैं? दूसरा, प्रश्न मेरा यह है कि जो 14 हजार 798 रुपये वसूल किए जाने हैं, उसकी वसूली हेतु आप सख्त से सख्त आदेश देने की कृपा करेंगे?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, यह सारा मामला लाडिपार्टमेंट को रेफर हुआ है, जैसे ही वहां से फारमेलिटीज पूरी हो जायेंगी, और वह शासन के सामने आ जायेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी और धनराशि वसूल की जायेगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पास सारे मामले की सही रिपोर्ट है। मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि लाडिपार्टमेन्ट से रपट आने के बाद ही शासन ने निरस्तीकरण के आदेश दिए थे और इसकी जांच हेतु आयुक्त महोदय, झांसी को आदेश दिए गए थे। मैं इस प्रश्न को इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि इस मामले में मेरा भी नाम है यह कहा जा रहा है कि मैंने शासन को गलत जानकारी दी है। आयुक्त महोदय झांसी ने इसकी जांच की और जांच करने के बाद उनकी रिपोर्ट आ गयी है। इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह आयुक्त महोदय, झांसी की रिपोर्ट को बताने की कृपा करें?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, इसकी विधिवत् जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है। आयुक्त महोदय की जो रिपोर्ट आई है, उसकी न्याय विभाग द्वारा जांच कराई जा रही है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मेरी निश्चित जानकारी है कि आयुक्त महोदय की रपट आ चुकी है। और मैंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि लाडिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही शासन ने निरस्तीकरण के आदेश भेजे। जब उन लोगों को पता लगा तो, उन्होंने माननीय मंत्री जी को एक प्रार्थना-पत्र दिया और उसमे यह कहा गया कि जिलाधीश और मैंने शासन को गलत जानकारी दी है, इस पर आपने इसकी जांच हेतु आयुक्त महोदय, झांसी को आदेश कर दिए। जांच करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। सेक्रेटरी महोदय का मेरे पास पत्र नहीं है, सेक्रेटरी महोदय ने हमें जानकारी दी है कि आयुक्त महोदय की रपट आ चुकी है और उस पर तुरन्त कार्यवाही की जा रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी

से जानना चाहता हूं कि कमिश्नर, झांसी की रिपोर्ट क्या है, कृपया इसे बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

माननीय सदस्य को आयुक्त की रिपोर्ट बता दूं । आयुक्त से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है । जांच में यह पाया गया है कि श्री उर्मिला चरण गुप्त के कब्जे में वास्तविक रूप से केवल भूमि सं0 29/1 क्षेत्रफल 2.00 एकड़ है । इस भूमि पर निर्मित पेट्रोल पम्प वाणिज्य की परिभाषा में अवश्य आता है, किन्तु पट्टेदार को यह भूमि वाणिज्यीय प्रयोजन हेतु स्वीकृत प्राप्त है । इसी प्रकार भूमि सं0 29/1 पर निर्मित बंगला नं0 944, जिसमें लम्बे समय तक राजकीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित रहा, का किराया जो राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा भवन स्वामी को प्राप्त हो रहा है, वाणिज्य की परिभाषा में नहीं आता है। भूमि संख्या 29/2 क्षेत्रफल 1.87 एकड़, 30/3 क्षेत्रफल .16 एकड़ पर सर्वश्री रवि सक्सेना आदि का कब्जा है और वे इसे वाणिज्यीय उपयोग करके लाभ अर्जित कर रहे हैं । माननीय, मुख्य रूप से यह रिपोर्ट है । माननीय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि जो आयुक्त की रिपोर्ट की बाबत बात है, उसका परीक्षण न्याय विभाग द्वारा हो रहा है, जैसे ही वह पूरा हो जायेगा, उस पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु चयनित सूची एवं नियुक्तियां

* 20--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री कुबेर मडारी तथा श्री श्याम नारायण तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों की रिक्तता को देखते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन, इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 22-9-83 को नियुक्ति हेतु कोई सूची प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो प्राप्त सूची के अनुसार शासन ने डाक्टरों का नियुक्ति कर दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति--

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से मैदानी क्षेत्र में साधारण ग्रेड के चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु दिनांक 4 अक्तूबर, 1983 को चयनित सूची शासन को प्राप्त हुई थी । चयनित अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन के पश्चात नियुक्तियां की जाती हैं । उक्त औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही हैं एवं शीघ्र नियुक्तियां कर दी जायेंगी ।

अतारांकित प्रश्न

'दून अस्पताल' जनपद देहरादून की मरम्मत हेतु दी गयी धनराशि व्यय की जांच

1--श्री श्याम सिंह---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 'दून अस्पताल' जनपद देहरादून को जो बड़ी धनराशि मरम्मत के लिये दी गई थी वह अस्पताल में न खर्च करके सी0 एम0 ओ0 तथा सुपरि-

न्टेंन्डेन्ट ने अपने आवासों में खर्च की है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री लोकपति--

प्रश्नगत मामले की जांच स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के संयुक्त निदेशक (नियोजन) द्वारा करायी जा रही है ।

राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम में कार्यरत सीजनल अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

2--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आ0 वस्तु नि0 में कार्यरत सीजनल/अस्थाई कर्मचारी जिन्होंने एक वर्ष में 240 दिन कार्य कर लिया है उन्हें नियमित सेवा में समायोजित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी नहीं । सीजनल अस्थाई कर्मचारियों के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम की सेवा नियमावली तैयार होने के बाद निर्णय लिया जा सकेगा ।

3-4--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[दिनांक 29 मार्च, 1984 को अतारांकित प्रश्न सं0 4-5 द्वारा उत्तरित]

गांधी नेत्र चिकित्सालय, धामपुर, जनपद बिजनौर की भूमि पर श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी धामपुर द्वारा अवैधानिक कब्जा हटाने के विरुद्ध कार्यवाही

5--श्री श्याम सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी नेत्र चिकित्सालय, धामपुर, जनपद बिजनौर की लगभग 4 लाख की 8 बीघा जमीन पर माननीय नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी धामपुर ने अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कब्जे को हटाने का आदेश देगी तथा अब तक जो हानि पहुंची है उसका मुआवजा लेगी ?

श्री लोकपति--

गांधी नेत्र चिकित्सालय, धामपुर जनपद बिजनौर की 4 बिसवा जमीन पर श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्यारे लाल निवासी धामपुर ने कब्जा कर रखा है । यह गैर सरकारी चिकित्सालय है। अवैधानिक कब्जे की समाप्ति हेतु संस्था को स्वयं उचित कार्यवाही करनी होगी ।

साधन सहकारी समिति परतुपुर, तहसील टांडा जनपद फैजाबाद के सेल्समैन के विरुद्ध दर्ज मुकदमा

6--श्री माता प्रसाद पांडेय--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति, परतुपुर, वि0 ख0 जहांगीरगंज, तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद के सेल्समन के विरुद्ध एक वर्ष पूर्व एस0 डी0 एम0 द्वारा जांचोपरान्त 3/7 इ0 सी0 ऐक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया था और सेल्समैन जमानत पर छूटा है ? क्या यह भी सही है कि जुलाई, 1983 से सचिव के स्थानान्तरित होने के बाद वह सचिव का कार्यभार भी देख रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या शासन उक्त सचिव को निलम्बित करने पर विचार करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरदोई नगर में आवास विकास परिषद् में पंजीकृत व्यक्तियों को प्लाट का आवंटन

7--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विगत वर्ष 1980 में हरदोई नगर में भूमि आवंटन हेतु आवास विकास ने पंजीकरण किया था और प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति से 2 हजार की धनराशि जमा कराई थी ? यदि हां, तो उनको अभी तक प्लाट न देने का क्या कारण है ? प्लाट रजिस्टर्ड लोगों को कब तक दे दिये जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । अधिगृहीत की गयी भूमि पर आवास विकास परिषद् का कब्जा विलम्ब से प्राप्त होने के कारण पंजीकृत व्यक्तियों को अभी तक प्लाट आवंटित नहीं किया जा सका है । यदि निर्माण एवं विकास कार्य में कोई अवरोध न हुआ तो दिसम्बर, 1985 तक पंजीकृत व्यक्तियों को प्लाटों का आवंटन किया जा सकेगा ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ में कार्यरत स्टाफ नर्स, सिस्टर ट्यूटर को आवास भत्ते का भुगतान

8--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ में कार्यरत कितनी ऐसी स्टाफ नर्स, सिस्टर तथा सिस्टर ट्यूटर हैं जिन्हें निःशुल्क निवास गृह के बदले अनमन्य मकान किराया भत्ता जो शासनादेश सं0 जी-1-646/दस 83-208-81, दिनांक 14 मार्च, 1983 द्वारा स्वीकृत किया गया है, का भुगतान नहीं किया गया है ? भुगतान न किये जाने क्या कारण है और इसके लिए कौन काधिकारी दोषी हैं तथा उक्त भत्ते का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति--

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ से सम्बद्ध चिकित्सालय में कार्यरत किसी स्टाफ नर्स सिस्टर ट्यूटर का आवास भत्ते का कोई भी मामला भुगतान हेतु शेष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक लि0, बस्ती के लिपिक/कैशियर कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तथा स्थायीकरण सूची में संशोधन

9--श्री ध्रुव प्रसाद राय--

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि कार्यालय जिला सहकारी बैंक लि0, जनपद बस्ती के पत्रांक 1637/83-84/स्था/बरी सूची दिनांक 4 फरवरी, 1984 के माध्यम से लिपिक/कैशियर (वर्ग-3) के 71 कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी जिसमें 15-11-79 के बाद के तिथि यानि 24-11-79 को ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को सीनियर तथा 15-11-79 को ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को जूनियर दर्शाया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर और क्यों ? क्या सरकार जनवरी, 1983 में प्रकाशित उक्त कर्मचारियों को स्थायीकरण की सूची के अनुसार वरिष्ठता की उक्त सूची को संशोधित करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां ।

जिला सहकारी बैंक लि0, बस्ती के लिपिक/कैशियर वर्ग-3 के 71 कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची, बैंक के पदोन्नत कर्मचारियों, सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को यथास्थान सम्मिलित करते हुये, तैयार की गयी थी । इस सूची में वरिष्ठता का आधार योगदान की तिथि नहीं है ।

उक्त कर्मचारियों की जनवरी, 1983 में कोई स्थायीकरण सूची प्रकाशित नहीं की गयी थी, अपितु स्थायीकरण आदेश पत्रांक 206/82-83, दिनांक 14-9-82 को जारी किये गये थे, जिसमें वरिष्ठता के क्रम निर्धारण में कुछ त्रुटियां रह गयी थी। उनका निराकरण करते हुये संशोधित आदेश पत्रांक 1901/83-84/स्थ0, दिनांक 30-3-84 द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ में छटनी शुदा कर्मचारियों को वेतन निर्धारण की सुविधा

10—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में कितने तृतीय श्रेणी छटनीशुदा कर्मचारी हैं। छटनीशुदा कर्मचारियों को वेतन निर्धारण में दी जाने वाली सुविधाएं दे दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

प्राप्त सूचना के अनुसार स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में तृतीय श्रेणी के कुल 20 छटनीशुदा कर्मचारी कार्यरत हैं। इन छटनशुदा कर्मचारियों में से एक कर्मचारी के वेतन निर्धारण का मामला विचाराधीन है तथा शेष 19 कर्मचारियों को उक्त सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

जिला सहकारी बैंक, शाहजहांपुर के लिपिक कम कैशियर पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र

11—श्री पंचानन राय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, शाहजहांपुर के लिपिक कम कैशियर पदों पर नियुक्ति हेतु सहकारी सेवा मंडल द्वारा 17 अभ्यर्थियों का चयन अक्तूबर, 1983 से दिसम्बर, 1983 के मध्य किया गया है ? यदि हां, तो इनको नियुक्त पत्र कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां।

समस्त चुने गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भेजे जा चुके हैं।

राशन कार्डों के मुद्रण तथा वितरण की कार्यवाही

12—श्री कृष्ण कुमार शुक्ल—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि प्रश्नकर्ता को मिले तत्कालीन खाद्य मंत्री के पत्रांक 641/खा0 मंत्री/82, दिनांक 15 अप्रैल, 1982 जो राशन कार्डों के सम्बन्ध में था, क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

तत्कालीन खाद्य मंत्री जी के पत्रांक 641/खा0 मंत्री/82, दिनांक 15 अप्रैल, 1982 की कार्यालय प्रति उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जहां तक राशन काड वितरित किये जाने का प्रश्न है, एक करोड़ पचास लाख राशन कार्ड राजकीय मुद्रणालय में मुद्रित किये जा रहे हैं जिनके अतिशीघ्र वितरित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लोमा-धारकों सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा विभाग के आदेश जारी होने के बाद उक्त डिप्लोमा-धारकों की अवर अभियन्ता पद पर नियुक्तियां

13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव नगर विकास विभाग को विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश

शासन (श्री हरि मोहन) प्राविधिक शिक्षा अनु0-2 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 यू0 ओ0 87 इंडो 18-ध-79, दिनांक 28 मार्च, 1979 प्राप्त हुआ जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लोमा (3 वर्षीय) प्राविधिक शिक्षा परि0 उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित को अन्य इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों के समकक्ष बताते हुए नियुक्तियों के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस राजाज्ञा की प्राप्ति के बाद से अब तक विभाग ने कितने अवर अभियंताओं की नियुक्तियां हुई तथा उनमें कितने कृषि डिप्लोमा इंजीनियरिंग धारकों में से नियुक्त किया गया ? यदि नहीं नियुक्त हुए, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राइवेट चिकित्सकों को सूचीबद्ध करने सम्बन्धी मामले पर शासन की नीति

14---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन आफ इंडिया के सदस्यों को सूचीबद्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक विधेयक बनाया था तथा इस विधेयक को केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय का संस्तुति भी प्राप्त हो गयी थी । इस विधेयक को अभी तक विधान सभा में क्यों नहीं पेश किया गया ? उपरोक्त विधेयक को कब तक सदन में पेश किया जायेगा ?

श्री लोकपति--

जी हां । बाद में इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि चूंकि ऐसे प्राइवेट चिकित्सकों को सूचीबद्ध करने का मामला एक अखिल भारतीय मामला है, अतः भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि इंडियन मेडिकल कौंसिल के परामर्श से भारत सरकार स्वयं इस मामले में प्रदेशों के

मिर्जापुर जनपद को आवंटित लेवी सीमेंट तथा फैक्ट्रियों से प्राप्त सीमेंट

15---श्री राम चरण सिंह---

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में वर्ष 1983-84 में माह फरवरी, 1984 तक जनपद को कुल कितनी लेवी सीमेंट आवंटित की गई थी ? उक्त आवंटित मात्रा में लेवी के स्टाकिस्टों द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में लेवी सीमेंट फैक्ट्रियों से उपयुक्त अवधि में प्राप्त की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मिर्जापुर जनपद को वर्ष 1983-84 में माह फरवरी, 1984 तक कुल 960 मी0 टन लेवी सीमेन्ट का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन के विरुद्ध लेवी सीमेंट के स्टाकिस्टों द्वारा जितनी-जितनी मात्रा में लेवी सीमेंट फैक्ट्रियों से उपयुक्त अवधि में प्राप्त की गयी उसकी सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 117 पर ।)

श्री शोक निवारण सिंह, टेक्नोलाजिस्ट, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उ0 प्र0, लखनऊ की पदोन्नति सम्बन्धित श्रीमती प्रेमवती तिवारी सदस्य, विधान सभा का पत्र

16---प्रियदर्शी जेतली---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रेमवती तिवारी, सदस्य विधान सभा का दिनांक 11-10-1983 का पत्र जो श्री शोक निवारण सिंह, टेक्नीलोजिस्ट (यांत्रिक) विद्युत एवं यांत्रिका अनुरक्षण सेल, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ को सहायक अभियन्ता (यांत्रिका) की पदोन्नति के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्मोड़ा जनपद के विकास खंड स्याल्दे के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों की रिक्तियां

17--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0 खं0 स्यालदे अल्मोड़ा में कितने राजकीय चिकित्सालय हैं, उनमें से जनवरी, 1980 से जनवरी, 1984 तक कितने चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं हैं ?

श्री लोकपति--

विकास खंड स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा में नौ राजकीय चिकित्सालय हैं जिनमें से पांच में चिकित्सक नहीं हैं ।

भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में उप व्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

18--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक शिकायती पत्र दिनांक 11-11-1983 को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को एवं जिसकी प्रतिलिपि मुख्य मंत्री को दी है, जो भवन निर्माण के नक्शे स्वीकृत करने में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र पर किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि प्रस्तावित भवन मानचित्र में भूखंड पर जाने के लिये जो एक मात्र रास्ता दिखाया गया है वह महापालिका की भूमि है और विवादग्रस्त है । इस संबंध में न्यायालय में वाद विचाराधीन हैं । न्यायालय के निर्णय तथा महापालिका से राइट आफ पैसेज की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त भवन चित्र को स्वीकृत करने के संबंध में विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा निर्णय किया जा सकेगा ।

जिला चिकित्सालय, देवरिया, के हड्डी रोग विशेषज्ञ, डा0 चन्द्र प्रकाश का स्थानान्तरण निरस्त किया जाना

19--श्री स्वामी नेमपाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय, देवरिया में ही सात वर्षों से तैनात एवं वहीं प्रोन्नत किए गये हड्डी रोग विशेषज्ञ (डा0 चन्द्र प्रकाश) का स्थानान्तरण जून, 1982 में किया गया था किन्तु कार्यमुक्त किये जाने के बाद पुनः वहीं चार्ज दिलवाया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त डाक्टर का वहां से स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ?

श्री लोकपति--

जिला चिकित्सालय, देवरिया में हड्डी रोग विशेषज्ञ के साधारण ग्रेड के पद पर डा0 चन्द्र प्रकाश मई, 1979 से कार्यरत थे । जून, 1982 में वे स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त किए गए, किन्तु बाद में उनका स्थानान्तरण निरस्त करके उन्हें उक्त पद पर ही रोक लिया गया । दिसम्बर, 1982 में वे सीनियर स्केल में प्रोन्नति पर उक्त चिकित्सालय में ही सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन के पद पर तैनात किए गए । अब इस वर्ष वार्षिक स्थानान्तरण सत्र में उनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।

20--श्री भीखा लाल--

(8वें गुरुवार के लिए स्थगित।)

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों में कार्यरत कार्यवाहक प्रधानाचार्य

21--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों में तदर्थ एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त हैं और उनमें से कितने कालेजों में नियुक्तियां शासन से स्वीकृति प्राप्त हैं ? क्या यह सही है कि कार्यवाहक एवं तदर्थ रूप से चलाई जा रही व्यवस्था के कारण वरिष्ठ प्रोफेसरों की प्रोन्नति नहीं हो पा रही यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या विचार कर रही है ?

श्री लोकपति--

प्रदेश के दो आयुर्वेदिक कालेजों में, तदर्थ आयुर्वेदिक कालेजों में प्रान्तीयकरण करने के समय के तथा चार आयुर्वेदिक कालेजों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। एक यूनानी कालेज में प्रान्तीयकरण करने के समय से तथा एक यूनानी में कालेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। कार्यवाहक प्रधानाचार्य को छोड़कर अन्य प्रधानाचार्यों की नियुक्ति शासन द्वारा अनुमोदित हैं : जी नहीं। प्रोफेसरों की पदोन्नति प्रधानाचार्य के पदों पर नहीं होती है।

वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक (आपूर्ति शाखा) में अनुसूचित जाति का कोटा

22--श्री सरदार सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री को जानकारी है कि वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक (आपूर्ति शाखा) में अनुसूचित जाति के निरीक्षकों का कोटा अपूर्ण है जब कि अनुसूचित जाति के योग्य पूर्ति निरीक्षक पर्याप्त संख्या में विभाग में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो शासन अविलम्ब उनका कोटा पूर्ण करने की कृपा करेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां।

नियमानुसार कोटा पूरा करने की कार्यवाही की जा रही है।

कानपुर नगरमहालिका के पास कूड़ा ढोने वाली गाड़ियां तथा इन गाड़ियों की मरम्मत पर व्यय

23--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में कूड़ा ढोने वाली गाड़ियों (ट्रक) की मरम्मत पर जनवरी, 1983 से 28-2-1984 तक कितनी रुपया व्यय किया गया ? कुल कितनी गाड़ियां नगर महापालिका के पास हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उक्त अवधि में कुल रु0 9.92 लाख व्यय किया गया।

कुल 210 गाड़ियां हैं।

कानपुर में घंटाघर से जाने वाली नहर में सीवर योजना

24--भूधर नारायण मिश्र--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में घंटाघर से जाने वाली नहर में नगर विकास द्वारा सीवर पड़ने की योजना है ? यदि हां, तो यह कार्य कितने समय तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

यह कार्य अक्तूबर, 1984 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

कानपुर नगर महापालिका की सीमान्तर्गत कतिपय ग्रामों में मार्ग, प्रकाश एवं पेयजल व्यवस्था

25--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या कानपुर नगर महापालिका की सीमा के अन्दर आने वाले गांव काकोरी, मवइया, जाना, भदारपुर, किशनपुर, सुथनीपुर, अलौलापुर, शेखपुर, वाजिदपुर पेउदा एवं जाजमऊ में मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो शासन यहां के नागरिकों को कब तक यह सुविधायें उपलब्ध करायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उक्त गांवों में से मवइया, वाजिदापुर, पेउदो एवं जाजमऊ में मार्ग प्रकाश व्यवस्था है, तथा सम्पूर्ण जाजमऊ एवं वाजिदापुर के कुछ क्षेत्रों में पेयजल की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

नगर महापालिका के सीमित संसाधनों के कारण शेष क्षेत्रों में अभी मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है ।

हरदोई मार्ग, चौक लखनऊ पेट्रोल पम्प के सामने स्थित नजूल की भूमि पर अवैध कब्जा तथा निर्माण

26--डाक्टर बृज किशोर मिश्र --

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई मार्ग चौक लखनऊ पेट्रोल पम्प के सामने स्थित नजूल की भूमि पर असामाजिक तत्व द्वारा अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उक्त अवैध कब्जा हटाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

उक्त नजूल भूमि पर श्री रहीम बख्श पुत्र श्री कल्लू का अनधिकृत कब्जा है, जिन्हे बेदखल करने हेतु विहित प्राधिकारी के न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है ।

लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों को आवंटित भवनों के किराए की वसूली

27--श्री किरन पाल सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (जिसे अब लखनऊ विकास प्राधिकरण कहा जाता है) द्वारा वर्ष 1956 में नगर महापालिका लखनऊ के कतिपय कर्मचारियों को बशीरतगंज योजना राजेन्द्र नगर और करोन्दिया सिल कालोनी, डालीगंज लखनऊ में किराया क्रय के आधार पर जिसकी कटौतियां उनके वेतन से की जानी थी, भवन आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उनमें से कुछ कर्मचारी नगर महापालिका/विकास प्राधिकरण, लखनऊ की सेवाएं कई वर्षों पूर्व ही छोड़कर बाहर चले गये हैं और उनके वेतन से उक्त भवनों के किराये क्रय की कोई वसूली नहीं हो पाई है और न ही ऐसे कर्मचारियों ने अपनी ओर से ही उसकी कोई अदायगी की है ? क्या ऐसे कर्मचारियों से नगर महापालिका/विकास प्राधिकरण के पास किराया क्रय वसूल कराने का कोई उपाय है ? यदि नहीं, तो क्या नगर विकास मन्त्री जी ऐसे कर्मचारियों के उक्त भवनों को उन व्यक्तियों को किराया क्रय के आधार पर आवंटित करने पर विचार करेंगे जो उक्त भवनों में कई वर्षों से रह रहे और उक्त भवनों का बढ़ा हुआ किराया तथा कथित मकान मालिकों को देते रहे हैं और उन्होंने इस सम्बन्ध में समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारियों को

प्रार्थना-पत्र भी दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

कुछ कर्मचारियों ने अदायगी की है और कुछ ने नहीं की है । वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

आवंटन गुणावगुण के आधार पर किए जाते हैं इसी के अनुसार विचार संभव है ।

मिर्जापुर जनपद के चुनार एवं राबर्ट्सगंज तहसीलों के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों की रिक्तियां

28--श्री राम चरण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के चुनार एवं राबर्ट्सगंज तहसील में कितने एलोपैथिक व आयुर्वेदिक राजकीय चिकित्सालय हैं उनमें जनवरी, 1984 तक चिकित्सकों के कितने स्थान रिक्त हैं ? क्या सरकार चिकित्सकों की नियुक्तिकाल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद जनपद के ग्राम सोनबरसा निवासी श्री विश्राम की मृत्यु का कारण

29--श्री मित्रसेन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के प्रथम गुरु० के लिए निर्धारित प्रश्न-कर्ता के अता० प्र० सं० 85 के संबंध में श्री विश्राम, ग्राम सोनबरसा, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद की मृत्यु दिनांक 13-3-77 को दिल का दौरा पड़ने से सम्बन्धित चिकित्सा व्यवस्था किस चिकित्सालय में हुई थी और उक्त बीमारी से मृत्यु के कारण और परीक्षण प्रमाण क्या हैं इस सम्बन्ध में दिनांक 19-12-76 को नसबन्दी के परिणाम मृत्यु के अन्य कारणों का क्या आधार एवं प्रमाण है ?

श्री लोकपति--

श्री विश्राम जिनकी नसबन्दी दिनांक 19-12-76 को जनपद फैजाबाद में हुयी थी, ने कभी भी नसबंदी से उत्पन्न जटिलता की शिकायत नहीं की थी ।

श्री विश्राम की मृत्यु दिनांक 13-3-77 को दिल का दौरा पड़ने से हुई जिसका चिकित्सा एक स्थानीय प्राइवेट चिकित्सक ने की थी । इस तथ्य की पुष्टि उपरोक्त प्राइवेट चिकित्सक नें भी की है । अतः नसबंदी के परिणाम स्वरुप मृत्यु के कारणों तथा आधार एवं प्रमाण देने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जनपद की टाउन एरिया पीपीगंज में कार्यरत बख्शी के विरूद्ध जांच के आदेश

30--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री गौरी शंकर भैय्या तथा श्री राम गोविन्द--

क्या नगर विकास मंत्री यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 12-9-83 को एक शिकायती-पत्र टाउन एरिया पीपीगंज, जनपद गोरखपुर में कार्यरत बख्शी के विरुद्ध दिया था ? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब और किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

जी हां ।

जांच कराने का आदेश 21 अक्टूबर, 1983 को जारी किए गये थे। जांच परगनाधिकारी, फरेन्दा द्वारा कराई गई है।

देवरिया जनपद के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय समउर बाजार में डाक्टर की नियुक्ति

31--श्री विश्वनाथ--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत समउर बाजार के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अनेक वर्षों से कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो डाक्टर न रहने का कारण क्या है ? क्या जनहित का आदर करते हुए डाक्टर की शीघ्र नियुक्ति की जायेगी ?

श्री लोकपति--

देवरिया में मसउर बाजार नाम का कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। समउर बाजार नाम का राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय है जहां पिछले कुछ समय से डाक्टर नहीं हैं। उक्त चिकित्सालय पर डाक्टर की यथाशीघ्र नियुक्ति कर दी जायगी।

कानपुर महानगर के कतिपय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति का समय तथा नई पाईप लाइन बिछाने की योजना

32--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के सुतरखाना, लोकमन मोहाल, दौलतगंज, भसाटौली, तेलियाना व हूलागंज में जल संस्थान द्वारा दिन में कितने घंटे पेयजल की सप्लाई की जाती है ? क्या उक्त जगहों पर पेयजल की सप्लाई बढ़ाने हेतु नई पाईप लाइन बिछाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह कब तक पूर्ण होगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

कानपुर महानगर के सुतरखाना, लोकमान, मोहाल, दौलतगंज, भूसाटोली तेलियाना व हूलगंज में वर्तमान में जल संस्थान द्वारा प्रतिदिन लगभग 7-1/2 घंटे पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

जी हां। योजना पर समस्त कार्य वर्ष 1985-86 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित बट कालोनी के भवनों के घटिया प्लास्टर का नमूना तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

33--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981 में तत्कालीन नगर विकास मंत्री ने कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित बट कालोनी का निरीक्षण कर दीवाल की प्लास्टर में घटिया प्लास्टर का नमूना लिया था ? यदि मसाला घटिया था तो इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

34--श्री विजय पाल सिंह--

[9वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जल निगम में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर चयन

35--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जल निगम में कतिपय अधिशासी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति विषय पर

प्रश्नकर्ता का एक पत्र 14 फरवरी, 1984 को या उसके आसपास मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । अधीक्षण अभियंता के पद पर दुबारा चयन कराने का निर्णय लिया गया है ।

36--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[9वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मसूरी नगरपालिका द्वारा स्वीकृत बहुमंजिले भवनों के नक्शों की जांच तथा जांचरिपोर्ट पर कार्यवाही

37--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंसूरी नगरपालिका द्वारा स्वीकृत बहुमंजली भवनों के नक्शों में कोई जांच निदेशक स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

जांच रिपोर्ट में कतिपय बहुमंजिला भवनों के निर्माण में भवन निर्माण सम्बन्धी बाइलाज का उल्लघंन करके नक्शा स्वीकृत किया गया पाया गया अतएव उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है ।

गोरखपुर के पूर्ति निरीक्षकों द्वारा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में विधायकों के पत्रों पर जांच

38--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के जिलापूर्ति कार्यालय में कार्यरत अनेक पूर्ति निरीक्षकों व वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षकों के विरुद्ध अपने पद के दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार करने, असीमित धन उगाहने, स्थाई सम्पत्ति बनाने (मकान, कार आदि) से सम्बन्धित शिकायतें शासन को जनवरी, 1983 से माह नवम्बर, 1983 तक कुछ विधायकों ने भेजी हैं ? यदि हां, तो ऐसे लोग कौन-कौन हैं और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां, प्रश्नगत अवधि में माननीय विधायकों से इस प्रकार के कई शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन पर जांच प्रगति में है । मुख्यतया वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक श्री शम्भू प्रसाद भट्ट अन्तर्गस्त हैं । जांच पूरा हो जाने पर ही कार्यवाही के किए जाने का प्रश्न उठेगा ।

किसान सेवा सहकारी समिति मथौली, देवरिया के सचिव श्री केदार नाथ पाण्डेय का निलम्बन

39--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 1983 के सन्दर्भ में निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश को जांच के लिए निर्देशन किया गया था और जिसकी मंत्री जी के प्रश्नकर्ता को प्रेषित पत्र दिनांक 6 मई, 1983 द्वारा सूचना दी गयी थी, उस जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री बच्चा पाठक--

जांच में यह पाया गया कि श्री केदारनाथ पाण्डेय, सचिव, किसान सेवा सहकारी समिति लि0, मथौली, जनपद-देवरिया के द्वारा ऋण वितरण एवं वसूली में अनियमितताएं की गयी थी । श्री पाण्डेय को दिनांक 14 मार्च, 1983 को निलम्बित कर दिया गया है तथा विवादास्पद मामलों में सालसी

कार्यवाही द्वारा निर्णय लेने के निर्देश सहायक निबन्धक द्वारा दिये गये हैं ।

एस0 ब 0 डो0 चिकित्सालय, सहारनपुर में कायरत मंट्रन कु0 कौशल्या पाठक के विरुद्ध श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन का शिका- यती-पत्र तथा जांच

40—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 डी0 बजेरिया अस्पताल, सहारनपुर में कार्यरत मंट्रन (इस समय सहायक निदेशक नर्सिंग) के विरुद्ध श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन द्वारा 12-5-83 को निदेशक, स्वास्थ्य विभाग को यह शिकायत की गयी थी कि उक्त मंट्रन (कु0 पाठक) द्वारा नर्सेज मेस की क्राकरी के दुरुपयोग तथा दो नर्सों की हत्या करायी गयी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करके उनकी प्रोन्नति करने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

एस0 बी0 डी0 चिकित्सालय, सहारनपुर में कार्यरत मैट्रन कु0 कौशल्या पाठक (जो इस समय सहायक अधीक्षिका, उपचारिका सेवा के पद पर कार्यरत हैं) के विरुद्ध श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन का दिनांक 12-1-83 का पत्र प्राप्त हुआ था । उस शिकायती-पत्र में कु0 पाठक के विरुद्ध नर्सेज मेस की क्राकरी के दुरुपयोग तथा दो नर्सों की हत्या कराये जाने के आरोप हैं । कु0 कौशल्या पाठक को दिये गये आरोप-पत्र के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, मेरठ मण्डल से प्राप्त जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षण के पश्चात् जो तथ्य सामने आवेंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

जिला चिकित्सालय, आगरा के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में विकलांगों का कोटा

41—श्री बदन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय आगरा के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में कई भी विकलांग कर्मचारी कार्यरत नहीं है ? यदि हां, तो इस चिकित्सालय में विकलांगों का कोटा पूर्ण न करने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

जी हां । नियुक्तियों के लिए चयन प्रणाली स्वीकृत है । जो विकलांग साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए उनमें वह योग्यता नहीं थी जो उस पद के लिए विज्ञापित थी । इसलिए साधारण वर्ग से यह नियुक्ति कर ली गयी ।

यू0 पी0 बैंक इम्पलाइज कोआपरेटिव सोसाइटी लि0, लखनऊ के प्रशासक के विरुद्ध एक हिस्सेदार का पत्र

42—श्री भीखा लाल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-1-84 यू0 पी0 बैंक इम्पलाइज कोआपरेटिव सोसायटी लि0, लखनऊ के हिस्सेदारों के प्रार्थना-पत्र के साथ उनको मिला है, जिसमें सोसायटी के प्रशासक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां । माननीय विधायक का उक्त पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके साथ

यू0 पी0 बैंक इम्पलाइज कोआपरेटिव सोसाइटी लि0, लखनऊ के एक हिस्सेदार का पत्र संलग्न किया गया था। उस पर जांच करायी गयी। प्रशासक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सही नहीं पाये गये।

पौड़ी गढ़वाल जनपद की बहेड़ाखाल उपभोक्ता सहकारी समिति में प्रशासक की नियुक्ति

43--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत बहेड़ाखाल उपभोक्ता सहकारी समिति के संचालक मन्डल के 30 जून, 1981 को भंग हो जाने के फलस्वरूप नियुक्त प्रशासक द्वारा संचालक मन्डल से कब कार्यभार किस अधिकारी द्वारा लिया गया है और तब से प्रशासक द्वारा समिति के कारोबार की जांच स्वयं बहेड़ाखाल आकर कब-कब की गयी है ?

श्री बच्ची पाठक--

बहेड़ाखाल उपभोक्ता सहकारी समिति में सहायक विकास अधिकारी (सह0) कोट को प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासक द्वारा कार्यभार 2-2-83 को लिया गया है। दिनांक 24-5-83, 26-8-83 तथा 27-8-83 को प्रशासक द्वारा समिति के कारोबार की जांच की गयी।

स्वर्गीय श्री के0 डी0 त्रिपाठी, प्रसार शिक्षक पौड़ी गढ़वाल के आश्रितों को बीमा, जी0 पी0 फंड तथा ग्रेच्युटी आदि का धनराशि का भुगतान

44--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल मे कार्यरत एक प्रसार शिक्षक (श्री के0 डी0 त्रिपाठी) जिनका हत्या सेवाकाल में ही 14-8-81 को हो गयी थी उनके आश्रित को सामूहिक बीमा, जी0 पी0 फंड, ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन का धन अब तक न दिये जाने का क्या कारण है ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति--

स्वर्गीय श्री के0 डी0 त्रिपाठी, प्रसार शिक्षक, पौड़ी गढ़वाल के आश्रितों को देय धनराशि के भुगतान हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है और निकट भविष्य में उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक के स्थायीकरण में आरक्षण का लाभ

45--श्री राम सेवक--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 तथा 1983 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के स्वास्थ्य संवर्ग के कितने लिपिकों का स्थायीकरण किया गया है ? इस स्थायीकरण में शासनादेश संख्या 15/25/73 रा0 एकी0, दिनांक 10-5-1976 के अन्तर्गत स्थायीकरण में आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के कितने लिपिको को प्रदान किया गया ? यदि आरक्षण का लाभ नहीं प्रदान किया गया है, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के स्वास्थ्य संवर्ग के किसी लिपिक कलर्क का वर्ष 1980 में स्थायीकरण नहीं किया गया।

वर्ष 1983 में इस संवर्ग के 78 लिपिकों का स्थायीकरण कनिष्ठ लिपिक के पद पर किया गया। प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश के अन्तर्गत स्थायी-

करण में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण के लाभ का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वर्ष 1976 के उक्त शासनादेश में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों/सेवाओं में अस्थायी तौर पर पहली नियुक्ति के समय तथा स्थायीकरण दोनों समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किये जाने का प्राविधान है, जबकि वर्ष 1983 में पहली नियुक्ति नहीं की गई थी, वरन् 1960 में विभागीय परीक्षा के फलस्वरूप जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण तथा अनुमोदित हुए थे उन्हीं के स्थायीकरण की कार्यवाई की गयी थी। इस प्रकार यह कार्यवाई सन् 1976 के पूर्व की ही थी।

सुल्तानपुर जनपद के थाना व ग्राम धम्मौर निवासी श्री बद्री प्रसाद के तथा उनके परिवारजनों के नाम मिट्टी के तेल और डीजल के लाइसेन्स एवं अनियमितता के कारण लाइसेन्स का निरस्तीकरण

46--श्री मुईद अहमद--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बद्री, निवासी ग्राम व थाना धम्मौर, जनपद सुल्तानपुर मिट्टी के तेल का लाइसेन्सी हैं उसकी स्त्री के नाम भी डीजल का लाइसेन्स हैं तथा अन्य दो बेनामी लाइसेन्स श्री बद्री के ही पास हैं और मिट्टी का तेल ब्लैक करने के आरोप में उसकी दुकान पर मार्च अथवा अप्रैल सन् 1983 में छापा मारा गया जिसमें 179 लीटर मिट्टी का तेल कम पाया गया परन्तु उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु निगम के अन्तर्गत मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? क्या मंत्री जी श्री बद्री के समस्त बेनामी लाइसेन्स निरस्त करके 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा कायम कराने की कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्री बद्री प्रसाद, निवासी ग्राम व थाना धम्मौर, जनपद सुल्तानपुर फुटकर मिट्टी तेल का लाइसेन्सी हैं तथा इनकी पत्नी के नाम अन्य चौहद्दी पर डीजल का लाइसेन्स है। जहां तक श्री बद्री प्रसाद के पास अन्य दो बेनामी लाइसेन्स होने का प्रश्न है ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर जांच करायी गयी थी। श्री बद्री प्रसाद के भान्जे राजाराम व बहनोई रामबरन के नाम अलग-अलग चौहद्दी पर मिट्टी तेल के फुटकर लाइसेन्स हैं और वह अलग-अलग रहते हैं। श्री बद्री प्रसाद की दुकान की शिकायत के आधार पर मार्च, 1983 में जांच की गयी थी जिसमें उनकी दूकान पर मिट्टी तेल कम नहीं पाया गया।

उपर्युक्त उल्लिखित श्री रामबरन, फुटकर मिट्टी तेल विक्रेता, जो श्री बद्री प्रसाद के बहनोई हैं, की दुकान की भी जांच मार्च, 1983 में की गयी है जिसमें उनके स्टाक में 179 लीटर मिट्टी का तेल कम पाया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय यह प्रकाश में आया कि श्री रामबरन उपस्थित नहीं थे और उनकी दुकान पर श्री बद्री प्रसाद मिट्टी का तेल विक्रय करते हुय पाये गये। अतः विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत स्पष्टीकरण का उत्तर न देने के कारण श्री रामबरन का फुटकर मिट्टी तेल लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया तथा जांच के समय उनकी दुकान पर चूंकि श्री बद्री प्रसाद मिट्टी तेल का विक्रय करते पाये गये थे अतः विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत जिलाधिकारी ने श्री बद्री प्रसाद का फुटकर मिट्टी तेल लाइसेन्स निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध श्री बद्री प्रसाद द्वारा मण्डलायुक्त, फैजाबाद के न्यायालय में अपील की गयी तथा न्यायालय मण्डलायुक्त, फैजाबाद, द्वारा जिलाधिकारी का निरस्तीकरण आदेश अपील के निर्णय तक लागू न होने का आदेश दिया गया है। अभी अपील में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

उपर्युक्त संदर्भित मामले में जिलाधिकारी ने श्री बद्री प्रसाद तथा श्री रामबरन के नाम जारी फुटकर मिट्टी तेल लाइसेन्स को परिस्थितियों के आधार पर केवल निरस्त करना ही उचित समझा जिसके कारण उक्त दोनों लाइसेन्सियों के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया।'

उपर्युक्त कथित स्थिति में प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता।

बस्ती जनपद की न्याय पंचायत बसहिया, घनौरा बोहली तथा टाउन एरिया बढ़नी को आवंटित चीनी और मिट्टी के तेल का विवरण

47--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1982-83 में बस्ती जिले के विकास खण्ड बढ़नी के न्याय पचायत बसहिया, धनौरा बोहली तथा टाउन एरिया बढ़नी को किस किस माह मे कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल व चीनी आवंटित किया गया व किसको किस मात्रा में वितरित किया है तथा उक्त दुकानों पर अलग-अलग कितने कार्डधारक हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

वांछित सूचना† संलग्न है जिसमें चीनी तथा मिट्टी के तेल के विवरण अलग-अलग दर्शाये गये हैं।

साधन सहकारी समिति ग्राम बसटिट्या, विकास क्षेत्र के लिपिक/विक्रेता श्री भोला की सेवा समाप्ति

*48--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सहकारिता मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि श्री भोला निवासी ग्राम खड्कुइयां, वि० क्षेत्र बढ़नी साधन सहकारी समिति ग्राम बसहिया में वि० क्ष० बढ़नी के अन्तर्गत एकाउन्टेन्ट थे और लगभग 80 हजार लीटर मिट्टी के तेल की चोर बाजारी एवं तस्करी करने के आरोप में वर्ष 1981-82 में अपने सचिव के साथ सेवा से बर्खास्त कर दिये गये थे यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उन्हें पुनः विकास खंड जगिया में मिट्टी का तेल, सीमेन्ट चीनी, गल्ला आदि का डीलर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कैसे ?

श्री बच्चा पाठक--

श्री भोला साधन सहकारी समिति ग्राम बसहिया में विकास क्षेत्र बढ़नी के अन्तर्गत एकाउन्टेन्ट के पद पर कार्यरत न थे बल्कि लिपिक/विक्रेता के पद पर कार्यरत थे। मिट्टी के तेल की चोर बाजारी एवं तस्करी के आरोप में वर्ष 1981-82 में उनकी सेवा समाप्त नहीं की गई थी बल्कि भूतपूर्व कोटेदार होने के कारण 15-4-1981 को उनकी सेवायें समाप्त की गयी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, सफदलपुर, जिला सहारनपुर की भूमि पर घेराबन्दी के कार्य हेतु श्री सुरेन्द्र शर्मा ठेकेदार को किया गया भुगतान

*49--श्री रामस्वरूप निम--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट डिस्पेंसरी सफदलपुर, सहारनपुर की बाउन्डरी को बनाने के लिए लोहे के खम्भे लोहे के तार अथवा पक्की दीवाल बनाये जाने के लिए 10 हजार रुपया 31-3-83 को ड्राफ्ट बनाकर ठेकेदार सुरेन्द्र शर्मा को दे दिया

†(छापा नहीं गया।)

गया था जबकि कोई बाउन्डरी लाइन न बनायी गयी और न मौके पर है ? सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही कर सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, मफदलपुर, जिला सहारनपुर की भूमि की घेराबन्दी कराने के लिये मार्च, 1983 में खम्भे बनवाने तथा उसमें कांटेदार तार लगवाने का ठेका ठेकेदार श्री सुरेश चन्द्र शर्मा को दिया गया था । ठेके की शर्तों के अनुसार कार्य पूरा होने पर ही 9,995 रुपये का भुगतान दिनांक 28-11-1983 को ठेकेदार को किया गया । सभी खम्भे तथा कांटेदार तार मौके पर उपलब्ध हैं, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद माननीय संसदीय कार्य मन्त्री कोई प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं ।

प्रथम भारतीय श्री राकेश शर्मा को अन्तरिक्ष उड़ान पर बधाई का प्रस्ताव

(12 बजकर 20 मिनट पर)

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन 3 अप्रैल, 1984 को सोयूज टी-11 में प्रथम भारतीय श्री राकेश शर्मा की अन्तरिक्ष उड़ान पर अपार हर्ष प्रकट करता है और श्री राकेश शर्मा और उनके साथियों को उनके अदम्य साहस एवं उत्साह पर बधाई देता है तथा इस अन्तरिक्ष उड़ान, जो भारत-रूस मैत्री के एक नये अध्याय का प्रतीक है, की सफलता की कामना करता है ।"

अध्यक्ष जी, यह बात सारे भारतवर्ष के लिये और हम सबके लिये अत्यन्त हर्ष की है कि भारत का बेटा आज अन्तरिक्ष में है और हमारा सिर इस बात पर फख्र से ऊंचा उठ जाता है । यह जो एक बड़ा मुहिम शुरू की गयी है इसका मान्यवर क्रेडिट हमारे एयर-फोर्स के जो दो नौजवान हैं, राकेश शर्मा और जो उनके दूसरे साथी हैं रवीश मल्होत्रा, उनको जाता है । साथ ही साथ जिस प्रकार से भारतवर्ष ने स्पेस टेक्नालोजी में तरक्की की है, वह, मान्यवर, बहुत प्रशंसनीय है । आज सारे संसार की नजरें भारत की ओर लगी हुई हैं, क्योंकि भारत ने थोड़े समय में इतनी ज्यादा तरक्की की है । उन तमाम चीजों की तरफ, जिनको कुछ दिन पहले सोचा नहीं जा सकता था । अध्यक्ष जी, जैसाकि आपको विदित है सबसे पहले 20 फरवरी, 1962 को यूरी गागरिन अन्तरिक्ष में गये, 16 जून 1963 में एच0 गलेन अन्तरिक्ष में गये और उसके बाद तो एक सिलसिला हो गया और दूसरे मुल्कों के, जो एडवांस कन्ट्रीज थे, वहां के लोग बराबर जाते रहे । उसमें सोवियत यूनियन भी है, अमेरिका भी है, बुल्गारिया है, हंगरी, क्यूबा, वियतनाम, फ्रांस, इन मुल्कों के लोग वहां पर गये । मान्यवर, भारतवर्ष के एक नौजवान का अन्तरिक्ष में जाना इस बात की मिसाल है, दलील है कि भारतवर्ष कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है । सिर्फ थोड़े ही समय में, तमाम टेक्नोलाजी है खास तौर से स्पेस टेक्नोलाजी में कितनी तरक्की की है ।

(व्यवधान)

आप सबको खुश होना चाहिए । लेकिन, बहुत से लोग ऐसे हैं, जो अपनी बातों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को, जो अपने एचीवमेंट्स हैं, जो कुछ हमने उपलब्धियां की हैं, उन पर गर्व करना और फख्र करना नहीं चाहते हैं, यह बात तो अलग है। लेकिन, कोई भी हिन्दुस्तानी जिसके सीने में धड़कता दिल है, देश से प्रेम है, वह आज फख्र महसूस करता है, जब राकेश शर्मा अन्तरिक्ष में गया। लेकिन मान्यवर, उन लोगों को जो अपनी ही बात सोचते हैं उन्हें तकलीफ होती है। जो भारत में रहकर, भारत की तरक्की से खुश नहीं होते हैं। ऐसे भी गद्दार हमारे यहां पड़े हैं। यह मौका वह है, जब हम सबको, एक आवाज होकर, इसमें किसी दल की बात नहीं है चाहे यह दल हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लोकदल हो, जनसंघ हो, चाहे जनता पार्टी हो, जो भी भारतीय हैं....

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है। एक अच्छे प्रस्ताव के ऊपर माननीय संसदीय कार्य मन्त्री भाषण दे रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कहा कि वह लोग गद्दार हैं, जो खुश नहीं होते। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको कोई ऐसी सूचना मिल गयी है कि ऐसे भी लोग हैं, जो खुश नहीं हो रहे हैं? यदि नहीं, तो इन अल्फाज को प्रोसीडिंग्स से निकलवा दीजिये।

(घोर व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

आपने स्वयं महसूस किया होगा कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर टीका-टिप्पणी, तानें या व्यंग्य की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस पर भी कुछ लोगों ने ऐसा किया।

(विपक्ष की ओर से "नहीं किया", "नहीं किया" की आवाजें।)

श्री अम्मार रिजवी—

नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन अगर किया तो क्या आप समझते हैं कि यह बात सही है? आज हम सबका एक आवाज होकर माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जो बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि सब लोग इसकी प्रशंसा करेंगे।

श्री सरदार सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने गम्भीर मामले पर भी, जिससे पूरे देश का सम्बन्ध है आप लोग छींटाकशी कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मुझे अफसोस इस बात का है कि टीका-टिप्पणी इस बात की आ रही है कि जो देश की तरक्की की बात है, जो न्यूक्लियर और एटामिक या स्पेस टेक्नालाजी की बात है। जब यह बातें हों कि सितारों से आगे जहां और भी हैं और भारत के लोग वहां जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आज हमारी भारतमाता का एक सपूत, देश का नौजवान वहां गया है—

तू शाहीं है, काम है परवाज तेरा,
तेरे सामने आसमां और भी हैं।

जो आसमानों पर फतेह कर रहा है, तो टीका-टिप्पणी ठीक नहीं है। सबको एक स्वर से, एक आवाज से राकेश शर्मा को बधाई देनी चाहिये। मैं अनुरोध करूंगा, कि सब लोगों की तरफ से आप राकेश शर्मा को और रवीश मल्होत्रा को बधाई दें। सोवियत यूनियन, भारत का मित्र है। उसकी सहायता से जो इतना बड़ा काम हुआ है, इसकी सराहना करें।

भारत के राष्ट्रपति को बधाई दें, प्रधान मन्त्री को बधाई दें . . .

(घोर व्यवधान)

मैं जानता था कि आपको तकलीफ होगी क्योंकि जितने बड़े काम हुए हैं, सब श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मन्त्रित्वकाल में हुए हैं। आप देखें कि आर्य भट्ट किस जमाने में गया . .

(घोर व्यवधान)

इसलिये माननीय प्रधान मन्त्री को बधाई दें कि उनके प्रधान मन्त्रित्वकाल में भारत का एक नौजवान अन्तरिक्ष में गया है। एयर चीफ मार्शल बिलबाग सिंह को बधाई दें, जिनकी सेना का नौजवान स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा इस काम के लिये चुने गये। आज हमारा सर गर्व से उठा हुआ है। एडवान्स्ड टेक्नालाजी के जितने भी देश हैं, चाहे वह यूनाइटेड स्टेट्स हों या और कोई देश हों, आज हम उनके बराबर खड़े हैं। इसी के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने मिशन में कामयाब हों और कामयाबी के साथ सुरक्षित वापस आयें। हमारा काम स्पेस के अन्दर इसी तरीके से चलता रहे। आज हम 300 कि० मी० ऊपर गये हैं, कल मार्स नेपच्यून और सरकरी तक पहुंचें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, जिस समय माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने यह प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया, मैं सचमुच कहता हूं कि मेरे हृदय में....

कई सदस्य--

पीड़ा उठने लगी।

श्री मोहन सिंह--

खामोश रहिए, अगर बदतमीजी की बात करेंगे तो बदतमीजी से उत्तर भी दिया जायेगा। एक अच्छे विषय को लेकर, राजनीतिक भाषण से उसे बिगाड़ना चाहते हैं।

(व्यवधान)

इस मौके पर आप लोग राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जिस समय माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने यह प्रस्ताव पढ़ना प्रारम्भ किया, मैं अपने हृदय की बात कहता हूं कि हमारे हृदय में हर्ष और उत्साह के ताल-तरंग उठने लगे। लेकिन जब उन्होंने अपना भाषण विस्तृत किया और जब मैंने उसे सुना तो उसमें राजनीतिक गंधसी आने लगी तब उन्होंने अच्छा काम नहीं किया।

(व्यवधान)

यह अपनी जगह सही है कि भारत के एक सपूत ने अपने परिश्रम, पराक्रम और लगन से यह काम किया। वह वास्तव में बधाई का पात्र है, लेकिन इससे माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जो जो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, वह उचित नहीं है।

(शोर)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव तो आपकी ओर से आना चाहिए नियमों के अनुसार, क्योंकि इस सदन की अपनी कुछ परम्पराएं हैं और नियम हैं। नियम 110 के अनुसार आप देखें, ऐसा ही है। लेकिन यह प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ले आये। इसमें मुझे कोई व्यक्तिगत रूप से आपत्ति नहीं है और दूसरी बात इस प्रकार के प्रस्ताव पर होता यही रहा है कि पहले नेता सदन और नेता विरोधी दल मिलकर आपस में परामर्श कर लेते हैं। अगर यह हो गया होता तो इससे जन-मानस की भावना पैदा होती और लोगों का मन इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा भी नहीं किया और रह गयी बात जहां तक देश की प्रगति की ऐसे किसी भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मौके पर हम लोग आपसे अलग नहीं ह । भारत किसी भी क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करे, हमें गर्व है और खुशी है, जितनी आपको है ।

जहां तक हमारी देशभक्ति का सवाल है, इसके लिए हमें किसी राजनीतिक दल से प्रमाण-पत्र हासिल करने की आवश्यकता नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा तथा सोवियत यूनियन की मैत्री का जो हक है, अदा करने को, बधाई देता हूं और साथ ही जैसा कि संसदीय कार्य मन्त्री जी ने दो बातों की टिप्पणी की, मैं भी उनका जवाब देना चाहता हूं न चाहते हुए भी उन्होंने कहा कि हमारा देश तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, यह सही है कि हिंदुस्तान अन्तरिक्ष में तरक्की कर रहा है या किसी भी क्षेत्र में कर रहा है साथ ही उसकी तरक्की इस ओर भी होनी चाहिए, जो आज हमारे देश में न जाने कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे की ओर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको भी हमें उठाना होगा, तभी पूरी तरक्की होगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं ।

(शोर)

एक सदस्य--

क्या यह बात राजनीतिक लाभ की नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, पूरे प्रतिपक्ष की ओर से राकेश शर्मा को बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं, ईश्वर राकेश शर्मा को और आगे बढ़ने में और सुरक्षित भारत वापस पहुंचाने में मदद करे ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मैं आदरणीय गुप्ता जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सोवियत यूनियन के सहयोग से यह कार्य हुआ है तो आप अपने श्रीमुख से उसको तो बधाई दे दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने सब कह दिया है ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं तो आशा करता था कि यह प्रस्ताव आपकी चेयर की तरफ से आयेगा और यह सदन बिना किसी मत-भेद के इसको पारित करेगा । लेकिन ऐसा नहीं हुआ । मुझे खेद है कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को यह प्रस्ताव यदि सदन में रखना चाहिये था तो उन्होंने इसमें एक दिन का डिले क्यों किया ? श्रीमन्, इन्होंने इसको राजनीति से जोड़ दिया । यह उनके सूचना देने के ढंग से हम सहमत नहीं हैं । हमारे सारे मुल्क की सहायता से जिन्होंने इस टेक्नालाजी में मदद की है, मैं उन सबको शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान जैसे गरीब मुल्क को उन्होंने आगे बढ़ाने में मदद की है कि हम कल स्पेस टेक्नोलोजी में दाखिल हो गये । हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनको हम बधाई देते हैं । हम राकेश शर्मा को और उनके परिवार को बधाई देते हैं, उनके माता-पिता को बधाई देते हैं, जिन्होंने इतने दिलेर बच्चे को जन्म दिया । मैं बधाई देता हूं उन सारे साइंटिस्ट्स को जिन्होंने स्पेस टेक्नालाजी में आज इस मुल्क का नाम आगे बढ़ाया है ।

अगर कल रात आपने पौने नौ बजे की आल इण्डिया रेडियो की न्यूज सुनी होगी, जिसने इस उपलब्धि को एक "घटना" बताया है । मैं कहता हूं कि यह घटना नहीं है बल्कि एक "उपलब्धि" है कि आज हम स्पेस टेक्नालाजी में दाखिल हो गये, लेकिन आपके रेडियो से ब्राडकास्ट हुआ है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह एक घटना हुई है । मैं कहता हूं कि यह उपलब्धि है और यहां पर खबरों में "उपलब्धि" शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिये था ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपने सारे मुल्क की जनता को, यहां के साइंटिस्ट्स को, राकेश शर्मा को और राकेश शर्मा के परिवार को, जिसने ऐसा नौजवान बच्चा पैदा किया जो कि एयरफोर्स के अन्दर स्क्वेड्रन लीडर के पद पर रहा है, को बधाई देता हूं । मेरा कहना है कि मैं स्वयं चार साल एयरफोर्स में रहा हूं, उसी एयरफोर्स के एक नौजवान स्क्वेड्रन लीडर ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, एक बार फिर मैं उसको बधाई देता हूं ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी तो बधाई दीजिये ।

श्री रिआसत हुसैन—

इसमें इन्दिरा गांधी को बधाई देने की कोई बात नहीं है । इस मुल्क का पैसा इस पर खर्च हुआ है । यह साइन्स टेक्नालाजी इन्दिरा गांधी के जमाने के दौरान नहीं हुई है । इस पर बहुत दिनों से एक्सपेरीमेन्ट्स् हो रहे थे । कोई एक व्यक्ति का इसमें ठेका नहीं है । अगर व्यक्ति के नाम से बात चलती है तो राकेश शर्मा का नाम आगे आता है, इसके अलावा और किसी का नाम आगे नहीं आता है । सारे देश की जनता का पैसा, सारे देश के साइन-टिट्स की कोशिश और टेक्नालाजी से यह काम हुआ है । क्या आप समझते हैं कि जनता राज्य में साइंस की टेक्नालाजी बन्द हो गयी थी ? सब बातें और कोशिशें जारी थीं । आर्यभट्ट तभी गया था । हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार की उप-लब्धियां, ऐसे प्रयोग, ऐसे शानदार वाकयात देश के अन्दर होंगे क्योंकि हमारे साइनटिटस् बराबर कार्य कर रहे हैं । यह सारे देश की उपलब्धि है, इसको राजनीतिक दलदल में न डाला जाये ।

श्री चेतराम गंगवार—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री विजय सिंह राना—

माननीय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री मोहन सिंह—

आप परिपाटी समझिये, मैं तमाशा देख रहा हूं, जो बधाई और इस तरह के श्रद्धांजलि के प्रस्ताव आते हैं उसमें इस तरह से व्यवस्था का प्रश्न नहीं उपस्थित किया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

चेतराम गंगवार, आप बैठें । (श्री चेतराम गंगवार के बराबर खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास करने पर ।)

आपको मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । मैं व्यवस्था का प्रश्न की आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप बैठें । मैं आपको व्यवस्था के प्रश्न को उठाने की आज्ञा नहीं रहा हूं ।

श्री चेतराम गंगवार—

आपने आज्ञा दी है, आपने मुझे बुलाया है ।

श्री अध्यक्ष—

आपको आज्ञा नहीं दी जाती है । मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है । आपका कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

(श्री चेतराम गंगवार के खड़े रहने पर) आप अपने स्थान पर बैठें, मैंने श्री विद्या सागर नौटियाल को बुलाया है ।

(व्यवधान)

आप बैठिए, अगर कोई शब्द आपत्ति-जनक होगा, तो मैं कार्यवाही को देख लूंगा ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

(जोर से) यह इन्दिरा गांधी को ठेकेदारी में हुआ है ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मुझे आप सुन लें....

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, राकेश शर्मा की अन्तरिक्ष यात्रा भारतीय जनता की शताब्दियों के बाद एक महान यात्रा है और यह पूरा देश, इस देश की जनता और इसके करोड़ों लोग इस पर गर्व करते हैं ।

(व्यवधान)

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

इन्दिरा गांधी को बधाई देनी चाहिए ।

(सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के सदस्य इन्दिरा गांधी जिंदबाद के नारे लगाने लगे ।)

श्री विजय सिंह राना--

इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद...

(विरोध पक्ष के सदस्य इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं 15 मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 45 मिनट पर सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया तदुपरान्त 1 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई ।)

(श्री बिद्यासागर नौटियाल के खड़े होने पर और श्री चेतराम गंगवार के व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठना चाहिये, मैं किसी माननीय सदस्य को आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

मैं प्रेस प्रतिनिधियों से जो यहां पर बैठे हुए हैं, यह निवेदन करूंगा कि वे इस वक्त जो सदन स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, राष्ट्र हित में आप इस खबर को नहीं छापेंगे ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

श्रीमन्, इस देश के अन्दर शताब्दियों से ज्ञान और विज्ञान के प्रति विचार होता रहा है और इस देश का गौरव है कि इससे दुनिया में पहली बार गणित के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र म शून्य का आविष्कार किया और आज जो राकेश शर्मा अन्तरिक्ष में कोई भी कार्य करते हैं तो उनकी उस कार्यवाही की जानकारी देखने के लिए इस देश के करोड़ों लोग उत्सुक रहते हैं । राकेश शर्मा को जब सोते हैं या जागते हैं तो उनकी धड़कनें इस देश के करोड़ों नर-नारियों की धड़कनों से एकरूप हो जाती है । जब एक व्यक्ति के सोने, जागने और उसके हर काम के बारे में सम्पूर्ण देश में उत्सुकता हो तो यह हम सब के लिए गौरव की चीज है । मैं उन तमाम संस्थाओं, व्यक्तियों, सरकारों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके सहयोग से यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमें मिली है । मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सोवियत मैत्री जो अन्तरिक्ष में प्रगाढ़ हो रही है । यह और अधिक मजबूत होगी और म उम्मीद करता हूं, भारत और सोवियत जनता

में और अधिक करीबी आयेगी और हमारी और अधिक उपलब्धियां होंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी पार्टी की ओर से, इस सदन की ओर से राकेश शर्मा तक हमारी बधाई पहुंचाने की कृपा करें। इस बात का मुझे गर्व है कि हमारे सदन के अन्दर इस तरह के माननीय सदस्य मौजूद हैं जो रवीश मल्होत्रा के सहपाठी रह चुके हैं। हमारे बन्धु जयदीप सिंह बरार साहब, रवीश मल्होत्रा के सहपाठी रहे हैं, इसलिए हम लोग और भी बधाई देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस आदरणीय सदन की भावनाओं को क्योंकि आज हम बहुत प्रसन्न हैं, केन्द्र सरकार के द्वारा राकेश शर्मा तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री फखरे आलम—

अध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दुस्तान के नौजवान राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा को बधाई देना चाहता हूं। जो उन्होंने स्पेस में जाकर हिन्दुस्तान का सर बुलन्द किया। मैं हिन्दुस्तान की उस जनता को बधाई देना चाहता हूं, उन मांओं को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने पाले हुए अपने चांद के टुकड़ों को स्पेस में पहुंचाया। आज उनको हिन्दुस्तान का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर इंसान बधाई देता है, जिनकी वजह से आज हिन्दुस्तान का सर बुलन्द हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है, मैं अपनी ओर से अपनी पार्टी की ओर से, सोवियत यूनियन को बधाई देता हूं, जिनकी मदद से हम आज इस जगह पर पहुंच सके हैं। मैं उन तमाम पोलिटीशियंस को जो लेपटिस्ट और साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान की इस सफलता पर खुशी जाहिर की है जिससे हिन्दुस्तान का सिर ऊंचा हो गया है। हम सब इस बात पर बधाई देते हैं कि राकेश शर्मा हिन्दुस्तान के वह नौजवान हैं, जिनको यह बात हिन्दुस्तान की तारीख में सुनहरी तारीख रहेगी। जब तक हिन्दुस्तान का इतिहास रहेगा उनका नाम सुनहरे अक्षरों में रहेगा। मैं इन शब्दों के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी ओर से और हमारी पार्टी की ओर से इन नवजवानों को बधाई दें। हिन्दुस्तान के नवजवानों को बधाई दें, हिन्दुस्तान के एयर फोर्स के नवजवानों को बधाई दें और उनकी हिम्मतों को बढ़ायें ताकि वह आगे ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मौका दिया कि हम खड़े होकर उनके प्रति शुक्रिया अदा कर सकें।

श्री अध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री जी ने माननीय उप नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने जो प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है, जिसका स्वागत किया है, मैं भी उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मुझे थोड़ा दुख है और मेरी आंखों में आंसू आ गये जब यहां इस तरह का वातावरण पैदा हुआ। वह किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का सवाल है, इसलिये इस तरह का वातावरण इस सदन में नहीं होना चाहिये था, जिसका मुझे दुख है। भविष्य में जब इस तरह के प्रस्ताव आया करें तो आपस में विचार-विमर्श करके आना चाहिये। श्री जयदीप सिंह बरार जो नौजवान हैं और श्री रवीश मल्होत्रा के सहपाठी रहे हैं, दो साल तक इन लोगों ने ट्रेनिंग लिया है और एक साथ रहे हैं। मैं इनको भी इस सदन की तरफ से बधाई देता हूं। माननीय सदस्यों और माननीय नेताओं ने जो यहां भाव व्यक्त किये हैं वह मैं सम्बन्धित लोगों को भेज दूंगा और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह दीर्घायु हों और हजारों वर्षों तक रहें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब जो प्रस्ताव आया है, उसको मैं पढ़ रहा हूं :—

"यह सदन 3 अप्रैल, 1984 को सोयूज टी–11 में प्रथम भारतीय श्री राकेश शर्मा की अन्तरिक्ष उड़ान पर अपार हर्ष प्रकट करता है और श्री राकेश शर्मा और उनके साथियों को उनके अदम्य साहस एवं उत्साह पर बधाई देता है तथा इस अन्तरिक्ष उड़ान, जो भारत–रूस मैत्री के एक नये आयाम का प्रतीक है, की सफलता की कामना करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कुमारी कटोरी देवी द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में किये जा रहे अनशन के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझको आज नियम 301 के अन्तर्गत 21 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिसमें मैंने श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र एवं श्री रामस्वरूप निम, श्री बदन सिंह, श्री मोती लाल देहलवी, श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री जसवंत सिंह बिष्ट, श्री अकबर हुसैन एवं श्री रियासत हुसैन और श्री सन्त बख्श रावत की सूचना को स्वीकार किया है और बाकी सूचनाओं को अस्वीकार किया है।

श्री बदन सिंह—

माननीय, आज कुमारी कटोरी देवी पुत्री स्व0 राम चन्द्र दलपति, खिड़की, मथुरा का कोतवाल इंचार्ज मथुरा द्वारा दिनांक 4–1–1982 को अनशन स्थल से बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाकर अपने निजी कमरे में बलात्कार की कुचेष्टा को दबाने की गर्ज से धारा 294 का झूठा मुकदमा लगाने के विरोध स्वरूप विधान भवन के समक्ष धरना देने का 770 वां दिन है। इस बीच दिनांक 17–12–83 को रास्ता जाम करते हुए कार से कुचल जाना 23–12–1983 को धारा 309 के झूठे मुकदमें में जिला जेल, लखनऊ भेजना और दिनांक 27 फरवरी, 1984 को सी0 जे0 एम0, लखनऊ द्वारा उसे निर्दोष छोड़ देना आदि असामान्य घटनायें भी उसके धरने से जुड़ी हुई हैं। लम्बी अवधि तक धरने पर बैठने से कृशकाय हो गयी हैं। उसका वजन 20 किलो घट गया है। भारी शारीरिक व मानसिक क्षति से अचेत अवस्था में मरणासन्न पड़ी है। अपनी मांगें पूरी होती न देखकर अब उसके प्राण पखेरू उड़ जाना संभव है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर आग्रह करता हूं कि समय रहते कटोरी देवी की मांगे पूरी कर दी जायं ताकि उसकी जीवन रक्षा हो सके।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रशासनिक सुधार शाखा के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि उ0 प्र0 सचिवालय में प्रशासनिक सुधार शाखा के कार्यरत सभी श्रेणी के कर्मचारियों को मार्च, 1984 का वेतन अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। विभाग के इस प्रकार के रवैये के कारण कर्मचारियों को निकट भविष्य में भी वेतन मिलने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं हो रही है। कर्मचारीगण इससे अधिक परेशान हैं तथा उन्हें घोर आर्थिक संकट है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी काफी परेशान हैं।

अतएव इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मांग करता हूं कि आज स्थिति की जानकारी करके वेतन वितरण कराया जाय तथा वेतन न बंट पाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्य-वाही की जाय ।

महिगवां से कानपुर देहात में हुई अग्नि-कण्ड से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, बिगत 30 मार्च, 1984 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव महिगवां, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर (देहात) में लगभग 11 बजे दिन में भंयकर आग लगी । 25 मकान पूर्णतः भस्मसात हो गये । रामनिवास श्रीवास्तव को सूचना मिलने में तत्काल जिलाधिकारी कानपुर (देहात) के निवास पर पहुंचा । जिलाधिकारी को जगवाकर उनसे घटना-स्थल पर चलने का आग्रह किया । जिलाधिकारी ने मेरे साथ परगनाधिकारी देरापुर को रवाना किया । परगनाधिकारी देरापुर व मैंने तथा अन्य कार्यकर्त्ताओं ने गांव पहुंचकर देखा कि 25 मकान राख हो चुके हैं । आग की भयंकरता का अनुमान इसी से आंका जा सकता है कि जब हम लोग 31 मार्च, 1984 को गांव पहुंचे तो उस समय भी एक एक मकान में आग सुलग रही थी । आग की सूचना पर एक दमकल उसी दिन भेजी गई, जो घटनास्थल से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर खराब होकर शिवराजपुर में खड़ी हो गई । दूसरी दमकल आग की व्यापकता और प्रचडंता पर पहुंच पाई । प्रभावित लोग दाने-दाने को मुहताज हो गये हैं । कुछ भी बचा नहीं है । जिलाधिकारी द्वारा की गयी सहायता पूर्णतः नगण्य है । द्रवित होकर चौधरी धनपाल सिंह ने पीड़ितों को एक-एक बोरा आलू भिजवाने की घोषणा की । सरकार से अधिकतम आर्थिक सहायता देने व बिल्हौर में स्थायी दमकल केन्द्र स्थापित करने की अपेक्षा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शकदरपुर (बस्ती) निवासिनी बेवा विधराजी के पुत्रों का पुलिस की साठ-गांठ से अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान ग्राम शकदरपुर, थाना छपिया की बेवा मुसम्मात विधराजी की ओर दिलाना चाहता हूं । गुंडों ने स्थानीय पुलिस की सांठ-गांठ से इसके दो लड़के चन्द्र केशव व राम चन्दर के अपहरण हो जाने से स्थानीय जनता में भय का वातावरण व्याप्त है । उसकी मां लड़के के बिछोह में दर-बदर मारी-मारी पागलों जैसी फिर रही है । पुलिस इस कार्य में कोई भी मदद उस बेवा की नहीं कर रही है ऐसी भी सम्भावना पैदा हो गयी है कि यदि तुरन्त उसकी रक्षा नहीं की गई तो गुन्डे उसकी मां को भी जान से मार कर गायब कर देंगे । और उसकी सम्पत्ति पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की कुचेष्टा करेंगे ।

अतः मैं अति अविलम्बनीय लोक महत्व के इस गम्भीर मामले में आपके तथा सदन के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस मामले की सी० आई० डी० जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को पकड़ा जाय और उन्हें दण्ड दिया जाए।

पर्वतीय जनपदों में शराब के ठेकों की नीलामी का विरोध करने वाले नागरिकों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, अल्मोड़ा एवं पर्वतीय जनपदों में 1982 से शराब व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अवैध नशीली वस्तुओं के विरुद्ध जन आन्दोलन चल रहा है । जनता के भारी विरोध के बावजूद शासन ने शराब के ठेके की नीलामी 20 मार्च को रखी । जनता के विरोध पर नीलामी स्थगित कर 26 मार्च को पुनः नीलामी करने की घोषणा की । उत्तराखंड क्रान्तिकारी दल व उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने विरोध किया । जिसमें 51 व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया है । पुलिस ने लाठीचार्ज किया । जिसमें अनेकों व्यक्ति घायल हुए हैं । सरकार की दोहरी नीति नशाबंदा व शराब पिओं के विरुद्ध जनता में घोर आक्रोश है । पर्वतीय अंचल में सैकड़ों व्यक्ति इस अवैध शराब को पीने से मौत के शिकार हो गये हैं । मैं शासन से मांग करता हूं कि शराब की नीलामी के विरोध करने में बन्दी सभी व्यक्तियों को बगैर शर्त अल्मोड़ा जिला जेल से रिहा कर दिया जाए ।

जनपद मुरादाबाद में विद्युत मैंकेनिकों एवं आपरेटरों के अभाव में नलकूपों के बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन—

मान्यवर, जनपद मुरादाबाद में लगभग 1000 राजकीय नलकूप हैं और जनपद में मुख्य सिंचाई का साधन ट्यूबवैल (नलकूप) हैं । परन्तु इस समय आधे नलकूप विद्युत मैंकेनिक और कूप चालक के न होने के कारण खराब या बन्द पड़े हैं । इसकी वजह से जनपद मुरादाबाद में जायद की बोई जाने वाली फसल, विशेष तौर से दलहन नहीं बोयी जा सकेगी और हजारों हेक्टेयर जमीन कृषि उत्पादन से वंचित रह जायेगी । जिससे जनपद के कृषकों को तथा प्रदेश को भारी आर्थिक क्षति होगी इस सम्बन्ध में बार-बार जनपद के सम्बन्धित विभागीय विकास और कृषि एवं बिजली अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया गया है परन्तु अधिकारियों द्वारा कोई ठोस प्रभावशाली कार्यवाही राजकीय नलकूपों को चलवाने हेतु नहीं की गयी । जिसकी वजह से मुरादाबाद के कृषकों में घोर असंतोष, अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है । अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

केन यूनियन, ऐशबाग, लखनऊ द्वारा गबन की सम्भावना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त बख्श रावत—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सदन के सज्ञान में लोक महत्व की सूचना देना चाहता हूं । केन यूनियन, ऐशबाग, लखनऊ ने गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान 1983-84 का केवल माह दिसम्बर तक ही किया है । और गन्ना क्रय 13-2-1984 तक हुआ है । इस यूनियन से सम्बन्धित हजारों कृषकों से कृषि निवेश निधि के नाम पर 50 पैसा प्रति क्विन्टल के हिसाब से काटा गया है तथा इस सप्ताह में होने वाले भुगतानों में निरन्तर कटौती की जा रही है । ज्ञातव्य है कि उक्त निधि में प्रदेश की किसी भी गन्ना समिति द्वारा कृषकों से उनके गन्ने के मूल्य में कटौती नहीं की जाती है । इस कटौती के कारण लाखों रुपया के घुटाले की सम्भावना है क्योंकि कटौती का कोई प्रमाण-पत्र कृषकों को नहीं दिया जाता है । जो 1981-82 से प्रचलित है । जिसके कारण उक्त यूनियन के समस्त कृषकों में भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है । अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करता हूं कि अन्य समितियों की भांति उक्त समिति में भी किसानों के गन्ने के मूल्य में कृषि निवेश निधि में कटौती न की जाय और किसानों में व्याप्त असंतोष को समाप्त किया जाये ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

औचित्य के प्रश्न की 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । यह सर्वश्री मसरूर जाफरी, रामस्वरूप निम, राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा कुंवर सिंह नेगी की हैं । श्री मसरूर जाफरी की एतमादपुर, जिला गोंडा के प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव के सम्बन्ध में हैं । दिनांक 28 फरवरी, 1984 को नियम 56 में यह प्रश्न उठाया गया था । उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री ने न्यायिक जांच का आश्वासन दिया था । मैं शासन से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं कि इस आश्वासन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी, उसके उपरान्त में माननीय सदस्य को सूचित करूंगा । यदि उसके बाद भी कोई शिकायत रहेगी तो मैं इस मामले को देखूंगा ।

दूसरा माननीय रामस्वरूप निम का सुरक्षा हेतु शेडों की मांग के बारे में है ।

(व्यवधान)

मैंने उनके पत्र को पढ़ा है । यह प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता, फिर भी चूंकि यह मामला इस आदरणीय सदन के एक सदस्य की सुरक्षा से एवं उनके परिवार की सुरक्षा से सम्बन्धित है, अतः मैं इसकी प्रतिलिपि शासन को प्रभावी कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं उसके बाद भी कोई बात होगी तो मैं देखूंगा जिलाधीश एवं एस0 पी0 से कहा जाये कि वे उनकी तथा उनके परिवार की सुरक्षा का आवश्यक प्रबन्ध करें ।

बजट तथा विनियोग विधेयक द्वारा पारित धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(1 बजकर 20 मिनट पर)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हमारे जो भारत का संविधान है, उसके अनुच्छेद 202, 203, 204 के अन्तर्गत यह विधान मंडल बजट पास करता है और बजट पास करने के बाद विनियोग विधेयक पास करके सरकार को धन के उपयोग करने का अधिकार देता है । मान्यवर, धन के उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है धन के दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है । मेरे पास बहुत उदाहरण हैं, मैं बताना चाहता हूं कि मार्च के आखिर में सरकार द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है । मैंने कुछ आदेशों की प्रतियां भी आपके पास भेजी हैं, जिसके आधार पर पैसा बचाकर गलत ढंग से विनियोजित किया जा रहा है और अधिकारी अपने पर्सनल एकाउन्ट में जमा करके दुरुपयोग कर रहे हैं ।

एक उदाहरण मैंने स्वास्थ्य विभाग का दिया है। आप देखें 6 मार्च, को करीब डेढ़ करोड़ रुपया जो बचा उसको दैवी आपदा के खर्च के नाम जिलों को आवंटित किया गया है और उसके बाद 6 अप्रैल को एक तार जारी किया गया है । श्री बी0 बी0 माथुर, स्वास्थ्य सेवा निदेशक की तरफ से जारी किया गया है । उसमें लिखा है कि लेखा शीर्षक 289--दैवी आपदाओं से सम्बन्धित शासनादेश पृष्ठांकन सं0 268 (1)-सोलह--10, दिनांक सोलह फरवरी, देखें । धनराशि का प्रयोग/आहरण न करें । मुख्यालय पर उपरोक्त धनराशि का प्रयोग किया जा रहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । यह पैसा मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिया गया था और अब उनसे कहा गया है कि यह पैसा मुख्यालय पर खर्च किया जायगा । मेरे पास राजाज्ञायें हैं । बैंची आपदा में कुछ व्यवस्था है कुछ सामान वगैरह खरीदने की । मार्च के आखिर में यह पैसा व्यय नहीं होगा ।

इसके अलावा मान्यवर, यह भी कहना चाहता हूं कि श्री सिद्धि शरण शुक्ल जो इस विभाग में मुख्य वित्त लेखा अधिकारी हैं उन्होंने दिसम्बर में एक आदेश किया है । 50 हजार रुपया खर्च करना था जिसके बारे में 15 अप्रैल, 1984 को कम्प्लायन्स मांगी गयी है । तो जब 4 महीने में इतनी कम धनराशि नहीं खर्च की जा सकती तो यह डेढ़ करोड़ रुपया इतने कम समय में खर्च कैसे होगा इसमें मुझे सन्देह है । मान्यवर, इसी प्रकार से सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि विभाग में बहुत से ऐसे मामले हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह जो आप बता रहे हैं, यह इसी वर्ष हुआ है या पहले से होता आया है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं । मैं बड़ी नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर आज से पहले कोई गलत काम होता रहा है तो गलत काम को परम्परा मानकर हम आगे भी अनुमति देते रहेंगे । जो प्रश्न मैंने उठाया है, हमने पैसे के उपयोग का अधिकार दिया है, दुरुपयोग का अधिकार नहीं दिया गया है । जिस मंशा और जिस उद्देश्य से यह पैसा खर्च करने के लिए दिया गया था क्या वह मंशा और उद्देश्य पूरा हुआ है ? अपने पर्सनल एकाउन्ट डालकर, जो महालेखाकार की टिप्पणी है, क्या यह उससे बचने का बहाना नहीं है ? मान्यवर, पी० डब्लू० डी० में सड़कें बनी नहीं हैं, लेकिन पैसे का भुगतान हुआ है । माननीय सदस्य इस बात को जानते होंगे कि पी० डब्लू० डी० में, दफ्तरों में, ठेकेदार सामने बैठते हैं और लेनदेन तय होता है । मैं समझता हूं कि आपके संज्ञान में ऐसे उदाहरण आये होंगे । इसलिये इस गलत, नियम विरुद्ध, असंवैधानिक, औचित्य के विपरीत काम को कब तक होने दिया जायगा, इस सम्बन्ध में मैं औचित्य का प्रश्न उठा कर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने जो औचित्य का प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, उसमें पहला जो पैराग्राफ है उसकी आखिरी की तीन पंक्तियां देखने का कष्ट करें । उसमें लिखा है कि मार्च के आखिरी दिनों में खर्च से बचे धन को वापस करने के बजाय दूसरी मदों में समायोजित किया गया है और वह पर्सनल लेजर एकाउन्ट में जमा हो रहा है, जो अगले वर्ष व्यय होगा । तो यह आपत्ति उठाये हैं और इसके साथ ही साथ जो संलग्नक है, वह मार्च का है । उसमें 6 मार्च की तारीख पड़ी है । जो रुपया डिस्ट्रिक्ट में गया था, उसके बारे में तार है कि वह पैसा स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय से खर्च किया जायगा ।

मान्यवर, जो आपत्ति उठाई है, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने, वह यह है कि एक मद का रुपया दूसरे मद में खर्च किया जा रहा है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और अगले वर्ष में खर्च करने के लिये परसनल लेजर में जमा किया जा रहा है । लेकिन जो उदाहरण इन्होंने दिया है, उससे यह कोई बात साबित नहीं होती । यह 6 मार्च की बात है । मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप स्वयं जानते हैं और माननीय गुप्ता जी भी जानते होंगे, आप जहां बजट पास करते हैं, तो एक वर्ष के अन्दर खर्च करने के लिए बजट पास करते हैं, तो एक वर्ष के अन्दर वह रुपया खर्च हो सकता है। वह रुपया जिले में खर्च करने के लिये गया, उसके बाद मुख्यालय में उसी मद के अन्तर्गत आपवायें जो हैं, उसमें गया। उसके अन्दर अगर कोई सामान खरीदा जाता है, कोई दवाइयां खरीदी जाती हैं ...।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने आपत्ति की थी कि रुपया जो था, वह खर्च नहीं हुआ। वास्तव में वह सरेण्डर होना चाहिये था, वापस होना चाहिये था। वह दूसरे मद में खर्च किया गया। मान्यवर, इस पर मेरी आपत्ति है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य ने, यह आपत्ति उठाई कि 1962-63 स्कूलों का पैसा तो ड्रा कर लिया गया, लेकिन जूनियर हाई स्कूल को दिया नहीं गया। मान्यवर, इस तरह से बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि रुपया लैप्स नहीं होता है, बाद में जब जिलों से निर्णय आ जायगा कि किनको-किनको दिया जाय, तब वह दिया जायगा। मान्यवर, आपने जहां पर इस सम्मानित सदन में बजट पास किया, उसको समय के अन्दर उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय गुप्ता जी ने, 6 मार्च की बात कही, अगर यह 6 अप्रैल की बात होती तो दूसरी बात थी। तो मेरा नम्र निवेदन है कि इसके अन्दर जो स्वास्थ्य विभाग का उदाहरण संलग्न किया है और कहा है कि मेरे पास और भी बहुत से विभागों के सबूत हैं, तो उन्हें उनको भी संलग्न करना चाहिये था। मान्यवर, 6 मार्च का जो सबूत इनके पास था, उसको इन्होंने लगाया। मान्यवर, जो तथ्य इन्होंने आपके समक्ष रखे हैं, मैं समझता हूं कि वह उसी वित्तीय वर्ष के लिए हैं। मान्यवर, जो कुछ रुपया उपयोग किया जा रहा है, वह वैधानिक तरीके से, कानूनी तौर से नियमानुसार बिलकुल सही है। कोई नियम के विरुद्ध कोई बात नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। यह बात सही है, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप वित्त मंत्री जी से भी बात कर लें। इस परपाटी को जहां तक सम्भव हो सके, इसमें जो है, रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। यह बात सही है कि मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सूचना की एक प्रति लोक लेखा समिति को इस निर्देश के साथ भेज रहा हूं कि वह इस मामले में भी अपना ध्यान देकर उचित कार्यवाही करें।

श्री राम स्वरूप निम--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आपने जो मेरे औचित्य के प्रश्न पर निर्णय दिया है कि सरकार शैडो और मेरे परिवार की सुरक्षा का प्रबन्ध करेगी, किन्तु सरकार ने इसके बारे में कोई भी अपनी टिप्पणी या आश्वासन नहीं दिया है। जब कि मेरे ऊपर प्राण घातक हमला सन् 1980 में और मेरी पत्नी के ऊपर प्राण घातक हमला सन् 1981 में तथा इसी प्रकार की अनेकों घटनाएं लगातार होती चली आ रही हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह कहां व्यवस्था का सवाल है।

श्री राम स्वरूप निम--

तो मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार अपना निर्णय दे दे कि मेरी सुरक्षा के लिए सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी--

अध्यक्ष जी, जो आदेश आपने माननीय निम जी के बारे में दिया है, इनके निवास सहारनपुर में इनके तथा इनके परिवार की सुरक्षा के लिए गार्ड, शंडो आदि की व्यवस्था के लिए और जो भी सुरक्षा की चार्जे हो सकती हैं, उसके बारे में जो आपका आदेश है, उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जायगा और जो आपके आदेश हैं, उसका पूरा पालन किया जायेगा ।

सदन में हिन्दी में पारित विधेयकों को मान्यता न देकर अदालतों में उसके अंग्रेजी अनुवाद को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 282 के अनुसार सभा की भाषा संविधान के उपबन्धों के अधीन सभा का कार्य हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा ।

मान्यवर, इस नियम के अनुसार हमारे सदन में सारा कार्य हिन्दी में होता है, जो विधेयक पुरःस्थापित किये जाते हैं, हिन्दी भाषा में किये जाते हैं, हमारे संविधान की धारा 348 में लिखा है कि....

श्री अध्यक्ष--

अनुच्छेद कहें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

अनुच्छेद 348 के उपखण्ड (क) में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी, दूसरे उपखण्ड (ख) 1 में लिखा है "संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किये जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किये जाने वाले उनके संशोधनों, (ख) 2 में लिखा है--संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और, (ख) 3 में लिखा है कि इस संविधान के अधीन अथवा संसद किसी राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे । हमारे नेता राजनारायण जी ने सुप्रीम कोर्ट में मधुलिमये बनाम वेदमूर्ति के केस में हिन्दी में बहस करनी चाही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दी में नहीं बोलने दिया ।

श्री अध्यक्ष--

बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

जो विधेयक यहां पास होते हैं, उनकी भाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी होती है । गजट नोटीफिकेशन अंग्रेजी में अनुवाद करके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है । तो जो चीज हिन्दी में पास होती है, जब उसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है, तो उसमें शाब्दिक भिन्नता आ जाता है । जिसकी वजह से उसके अर्थ में भिन्नता आ जाती है । जब अर्थ में भिन्नता आती है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यह है कि हम जो मूल विधेयक हिन्दी में पास करते हैं, उसको मान्यता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती है । मान्यता किसको होती है, जो अंग्रेजी अनुवाद होता है, उसको वहां मान्यता दी जाती है । इसके बारे में मैं उदाहरण देना चाहता हूं, ए0 आई0 आर0 1962 इलाहाबाद की फुल बेंच की रूलिंग पेज 240 पर है ।

जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड, मेरठ वर्सेज दी प्रीसाइडिंग आफिसर इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल (थर्ड) यू० पी०, इलाहाबाद एण्ड अदर । "इट इज ओनली इन केस आफ कानफिलक्ट आर डिवरजेन्स बिटवीन दा टू वरजन्स दैट दा इंग्लिश वरजन मे रेन सुप्रीम ऐण्ड सुपरसीड दी हिन्दी वन ।"

इसमें है कि जो अंग्रेजी अनुवाद होगा, वह सर्वोपरि माना जायेगा । हिन्दी को मान्यता नहीं दी जायेगी ।

दूसरे में भी, मान्यवर, यह है । 1974 106 लखनऊ का है । और रामरति बनाम ग्राम समाज (ए० आई० आर० 1974 इलाहाबाद 106) यह है इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद की बात कही है, तो मैं यह कहने जा रहा हूं कि उस चीज को वहां पर मानते हैं, जो इस सदन के संज्ञान में नहीं है । जिसके बारे में सदन चर्चा नहीं करता है । जिसके बारे में सदन विचार नहीं करता है । सदन हिन्दी पर विचार करता है और हिन्दी का जब विधेयक बनता है तो ला डिपार्टमेंट में भेजकर उसका अंग्रेजी अनुवाद बना दिया जाता है । तो मैं कहना चाहता हूं, इस सदन की इसमें क्या मान्यता रह गयी कि जिस चीज पर सदन यहां पर विचार-विमर्श करे, यहां पर उसका परीक्षण करके उसको तय करते हैं और हमारा कोर्ट उसको नहीं मानता है । तो मैं इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में इसलिए उठा रहा हूं, कि इस पर हम अपने नियमों में प्रावधान करते हैं । मान्यवर, जब यहां पर कोई अंग्रेजी में बोलता है तो आप कहते हैं हमारी भाषा हिन्दी है, अंग्रेजी में मत बोलिए । लेकिन इसमें अंग्रजी को इतना महत्व दिया जा रहा है । मान्यवर, जब हम किसी विधेयक को पास करते हैं तो उसकी हिन्दी के साथ-साथ अंग्रजी अनुवाद भी उसका यहां पर हो और सदन देख सके कि इस अनुवाद में फर्क तो नहीं है । उसका परीक्षण कराए । जिससे बाद में यह न हो कि जो० ओ० उसका गलत निकल जाए । इसमें भ्रान्ति पदा हो जाए । मैं चाहता हूं, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय नेगी जी ने एक नियम 300 में प्रश्न दिया है । मान्यवर, अनुच्छेद 348 में किसी भी ऐक्ट या किसी भी विधेयक को अनुवाद अंग्रेजी में कराये जाने की बात कही गयी है । उन्होंने जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है और हमारे प्रान्त का, हमारे राज्य का सम्बन्ध है । हिन्दी हमारी राज्य भाषा है और देवनागरी हमारी लिपि है । इसके अन्दर किसी प्रकार का संशोधन करें । किसी प्रकार की ऐसी चीज नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है । लेकिन जो कोर्ट की बात कही गई है, जिस तरफ माननीय नेगी जी ने ध्यान आकर्षित किया है । यह बहुत सी अदालतों ने कहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं, हाई कोर्ट ने कांस्टीटयूशन का अनुवाद किया है, भाष्य किया है । तो, मान्यवर, मैं उन केसेज के बारे में बताऊंगा, जिसके अन्दर किया गया है । जिसमें हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद का होना आवश्यक है । पहला है, संगीर अहमद बनाम गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश (ए० आई० आर० 1954 इलाहाबाद 257) । दूसरा मेसर्स गोविन्दराम राम प्रसाद बनाम बिक्रीकर निर्धारण प्राधिकारी (ए० आई० आर० 1958 मध्य प्रदेश 6) । तीसरा ई० हिल एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट आफ यू० पी० 1961 ए० एल० जे० 506) । चौथा है, जिसको माननीय नेगी जी ने कहा जसवन्त शुगर मिल्स बनाम शीतलसीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण (ए० आई० आर० 1961 इलाहाबाद 240) (तीन सदस्यों की पूर्ण पीठ) । इसके अलावा था रामरती बनाम ग्राम समाज (ए० आई० आर० 1974 इलाहाबाद 106) । पांच न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ) । यह पांच न्यायाधीशों की पीठ थी, इसमें उन्होंने निर्णय लिया था कि इसका अनुवाद अंग्रेजी में होना चाहिए । अंग्रजी में होना जरूरी है और अगर कोई आशंका या किसी प्रकार की

कोई चीज होती है, उसके लिये अंग्रेजी का जो अनुवाद है, उसे एथेन्टिक माना जायगा और उसके अनुसार सारी बात की जायगी ।

मान्यवर, इसी प्रकार आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे केस हैं, जैसे हाजी लाल मोहम्मद बीड़ी वर्क्स बनाम बिक्रीकर अधिकारी, इलाहाबाद (ए0 आई0 आर0 1959 इलाहाबाद 208), (2) माता बदल पाण्डेय बनाम राजस्व परिषद् (1976 ए0 एल0 आर0 393) (तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ), (3) जे0 के0 जूट मिल्स कम्पनी बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 (1961 ए0 आई0 आर0 सुप्रीम कोर्ट पेज 1535), (4) स्टेट आफ बिहार वर्ग रह 1979 (3) ए0 एल0 आर0 पेज 369 । मान्यवर, इसके अन्दर लोगों ने यह निर्णय लिया कि बेसिक हिन्दी होगा और अगर कोई आशंका व्यक्त होती है हिन्दी का जो मूल विधेयक है, उसी से बात साफ होती है । मान्यवर, मैं यह बात बता दूं कि हाजी लाल मोहम्मद बीड़ी वर्क्स बनाम बिक्रीकर अधिकारी, इलाहाबाद (ए0 आई0 आर0 1959 इलाहाबाद 208) में जो निर्णय दिया गया था, वह मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा :—

"हिन्दी हैड बीन एडाप्टेड इज इट्स लैंग्वेज बाई दा यू0 पी0 लेजिसलेचर । बाई वरच्यू आफ आर्टिकिल 348 (3) आफ दा कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया, दा इंग्लिश वरजन आफ एन ऐक्ट इन दा स्टेट आफ उत्तर प्रदेश हैज मियरली दा स्टेट्स आफ ऐन अथारटेटिव टेक्स्ट इन दा इंग्लिश लैंग्वेज आफ दा ओरिजनल ऐक्ट । दा ओरिजनल ऐक्ट इज इन हिन्दी ऐण्ड वहेयरएवर देयर बी एनी डाउट ऐण्ड, इन फैक्ट, प्रिंसिपली फार परपजेज आफ प्रापरली इन्टरप्रेटिंग एनी प्राविजन आफ सच एन एनएक्टमेंट, दा प्रापर कोर्स इज टू लुक एट दा ओरिजनल ऐक्ट ऐज पब्लिश्ड इन हिन्दी ।"

इसका हिन्दी तर्जुमा इस प्रकार है कि हिन्दी को यू0 पी0 के विधान मण्डल ने अपनी आफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा माना है । संविधान की आर्टिकिल 348 की उपधारा (3) के अनुसार अंग्रेजी का जो अनुवाद है, वह अधिकृत अनुवाद है और वह अनुवाद की प्रतिलिपि की हैसियत रखता है । मूल विधेयक हिन्दी में है । अतः जहां भी किसी प्रकार की कोई आशंका होती, तो इसको इन्टरप्रीट करने के लिये, वहां पर हिन्दी का जो मूल ऐक्ट है, मूल विधेयक है, उसी को माना जायगा । मान्यवर, इसके आगे बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि सही यही होगा कि उस हिन्दी वाले मूल ऐक्ट को देखें, जो हिन्दी में छपा है ।" तो मान्यवर, जहां उस प्रकार का फैसला है, वहीं इस प्रकार का भी फैसला है । हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, जो हिन्दी को आधार मानता है । यही नहीं सुप्रीम कोर्ट में केस गये, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हेल्ड किया कि, माना कि जो फैसला उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश द्वारा लिया गया है, सही है ।

मान्यवर, इसी प्रकार हमारे जो सारे कार्य हैं, जो विधेयक हैं, आर्डिनेंस हैं, उनके ऊपर जो माननीय राज्यपाल के दस्तखत होते हैं, हिन्दी में जो प्रतियां होती हैं, उन्हीं के ऊपर होते हैं । जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, इसमें किसी प्रकार का औचित्य का प्रश्न नहीं बनता, इसलिए सरकारी तौर पर, किसी भी तौर पर हिन्दी से हटकर कोई कार्य नहीं होना चाहिये । जहां तक कान्स्टीट्यूशन में, संविधान में इन्टरप्रीट करने की बात आती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और उनके फैसले के ऊपर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते । हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो राज भाषा की बात है, उसके लिए जो प्रक्रिया अपनायी गई है, इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं,

बल्कि बहुत से फैसले माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे दिये हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि जो मैंने यह सारी बातें बताई और जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार हिसाब से कोई कहीं व्यवधान उत्पन्न नहीं होता । उससे कोई भी नई चीज नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता । इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता ।

*श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय श्री नेगी जो द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, वह औचित्य का प्रश्न है कि नहीं, इस पर निर्णय आपको देना है । मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस समय कोई विधेयक इस आदरणीय सदन में पेश किया जाता है और उसके बाद उसे अधिनियम के रूप में पारित किया जाता है । परन्तु मान्यवर, उस अधिनियम की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई महत्ता नहीं है, वहां पर सारा कार्य अंग्रेजी में होता है, वहां पर हिन्दी की छाया तक नहीं दिखाई देती है । इसलिए मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय इस आदरणीय सदन में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उसी के साथ लगा दिया जाय, ताकि उसका पारेषण भी उसी के साथ हो सके । क्योंकि मान्यवर, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचार-विमर्श होता है, तो वह सब अंग्रेजी अनुवाद से ही होता है । इस पर मान्यवर, आप व्यवस्था देने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री वाजपेयी जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । कदाचित् उनको स्मरण होगा, और इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को भी उसकी जानकारी होगी कि जब हिन्दी में प्रति आती है, तो उसी के साथ-साथ अंग्रेजी की भी प्रति हमारे यहां उपलब्ध रहती है । जब कोई माननीय सदस्य अंग्रेजी की प्रति मांगते हैं, तो हमारा कार्यालय उनको अंग्रेजी की प्रतियां दे देता है ।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी की प्रतियां भी उपलब्ध रहती हैं । मान्यवर, आपको भी याद होगा जब यहां पर बजट पेश होता था, तो उस समय बजट की प्रतियां अंग्रेजी में भी मिल जाती थीं । इसी माननीय सदन में जब सदस्यों द्वारा समय-समय पर इस अंग्रेजी के लिए प्रश्न उठाये गये, तो यह निर्णय हो गया कि हिन्दी में ही सारे कार्य का सम्पादन किया जायेगा । यहां तक कि अंग्रेजी का टाइपराइटर तक यहां नहीं मिला, यह भी निर्णय लिया गया कि बजट भी सारा हिन्दी में छपेगा और जो बाहर से टेलेक्स आते हैं, उसके साथ ही साथ हिन्दी का अनुवाद भी उसी के साथ आये । यहां तक कि पोस्ट-मार्टम की जो रिपोर्ट होती है, उसका भी हिन्दी में अनुवाद होना चाहिये । परन्तु वह चीज आज नहीं हो रही है पूरी तरह से । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि नियम 282 के ऊपर इस वक्त की हालात को जोड़ते हुए आप कोई निर्णय लें और माननीय नेताओं की जो आप बैठक बुला रहे हैं, उसमें आप इस मसले पर विचार-विमर्श कर लें तो बहुत उचित रहेगा ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, जो माननीय सदस्य पूरी तरह से हिन्दी नहीं समझते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ें । मैं इस सम्बन्ध में दो बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिससे आपको इस पर निर्णय देने में भी सहूलियत होगी । एक तो मान्यवर, आप हमारी नियमावली के नियम 282 को देखें । उसमें लिखा है "संविधान के उपबन्धों के अधीन सभा का कार्य हिन्दी भाषा और देवनागरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिपि में होगा ।" और यह बात सदन भी तय कर चुका है । जो प्रश्न उठाया गया है, वह औचित्य का प्रश्न बनता है कि नहीं । औचित्य के प्रश्न के माध्यम से सबसे पहले मान्यवर, हमको नियमावली बदलनी होगी और अंग्रेजी का पाठ भी उसी के साथ प्रारम्भ कर दिया जायेगा। तब प्रश्न पैदा होगा कि औचित्य के माध्यम से कौन सी ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से नियमावली को बदलना पड़ा ।

श्रीमन्, हाई कोर्ट स तथा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का यहां पर जिक्र किया गया । इसके सम्बन्ध में, मान्यवर, आपका ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (2) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । जिसमें लिखा गया है कि "खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।" इसके बारे में मान्यवर, न तो माननीय सदस्य ने कहा और न ही माननीय मंत्री जी ने ही । इसलिए मान्यवर, जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, 1951 से हमारी राज्य भाषा हिन्दी है और लिपि देवनागरी । राज्यपाल महोदय द्वारा यह प्रख्यापित कर दिया गया । इसलिए इस अनुच्छेद 348 (2) के अनुसार हाई कोर्ट में भी पूरी तरह से हिन्दी होनी चाहिए ।

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में तो इस सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि इस सरकार के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन इसकी पूर्ववर्ती सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रयास भी किये हैं । मेरे पास चर्चा की कोई जानकारी नहीं थी । मेरे पास राजभाषा हिन्दी में काम करने के लिए जो समय-समय पर परिपत्र जारी हुए हैं, उसका संकलन है । उस संकलन में साफ-साफ सविस्तार जारी कर दिया गया है कि माननीय हाई कोर्ट और जिलो के जो न्यायालय हैं, उनमें हिन्दी और बहुत सी भाषाओं के शब्द इस्तेमाल के किए भाष्य हैं । लेकिन, मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी की बात से सहमत हूं कि माननीय न्यायालयों को अपना भाष्य करने का अधिकार दें, वह कोई भाष्य इस्तेमाल कर सकते हैं । संविधान में शक्तियों का जो संतुलन बन गया है, जिसके अनुसार विधान मण्डल एक पृथक अस्तित्व रखता है । हाई कोर्ट से हमें मतलब नहीं है, उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहते । यह एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण है । प्रश्न यह उठा है, औचित्य के माध्यम से कि जब कोई विधेयक पुरःस्थापित किया गया है, तो उसके साथ अंग्रेजी पाठ भी दिया जाय । मान्यवर, अभी तक की जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो नियमों में व्यवस्था, नियमावली में व्यवस्था है, अध्यक्ष पीठ से जारी करण या जो पूर्व दृष्टान्त हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए, आज कोई परिस्थिति नहीं है कि हमारी जो इस समय सम्पर्क व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन कि ा जाय । अंग्रेजी पाठ भी उसके साथ लगाया जाय, न तो इसकी जरूरत है, और न संवैधानिक मांग है । यदि हम ऐसा करेंगे तो 1951 से लेकर अब तक जो कुछ हमने काम किया है, वह धरा का धरा रह जायेगा ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं इसे किसी और वक्त कहना चाहता था, लेकिन चूंकि यह मुद्दा आ गया, तो इस मुद्दे पर कहना चाहता हूं और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो हमारा नियम 345 है, उसमें कुछ कमी रह गई है, जिसको हमारी सरकार ने नहीं दूर किया । जब राजभाषा अधिनियम पर संशोधन रखूंगा, तब भी कहूंगा । उसमें यह है कि जब तक अन्यथा न निर्देशित किया जाय, तब तक राज्य

कार्यों में अंग्रेजी चलती रहेगी। मान्यवर, यह लेफ्ना रह गया है। मैं चाहूंगा सरकार से, इस स्तर पर मांग करूंगा कि सरकार की ओर से जो हिन्दी के प्रति प्रेम, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रकट किया है, उस पर मैं भी बल दे रहा हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन, समय आ गया है कि अन्यथा निर्देशित करने के लिए की बाबत एक विधेयक यहां पेश किया जाय, जिसका सब तरीके से पटाक्षेप कर दें। मान्यवर, मैं कहूंगा कि इस औचित्य के प्रश्न को न स्वीकारते हुए, यह व्यवस्था दें कि अब उस तरह के पुर.स्थापन के साथ अंग्रेजी का पाठ लगाने की जो बात है, इसकी आवश्यकता नही है।

(श्री कुंवर सिंह नेगी के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

अब नेगी जी इसमें क्या रह गया है? आपने गुप्ता जी की बात को भी सुन लिया, आप अपनी बात भी कह गए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी इस पर बोल चुके हैं। अब इसको समाप्त कीजिये।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अदालतों का विवाद बहुत पुराना है, कई बार उठ चुका है, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी। इसका व्यावहारिक रास्त निकाला गया। व्यावहारिक रास्ता यह है, कि अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, इनका इंटरप्रेटेशन बार-बार हो चुका है। उनकी व्याख्या कई बार हो चुकी है, वह कई तरीके से सामने आ चुके हैं। दोनों, हिन्दी और उसका अथराइज्ड ट्रांसलेशन दोनों अपनी जगह पर रखे जा सकते हैं। लेकिन, जो कंटरोवर्सी पैदा हुई, कोई दृष्टि भेद पैदा हुआ, विचारों में भेद पैदा हुआ, मान्यवर, यह ज्यादा व्यवहारिक समझा गया, कि अंग्रेजी वाले शब्द एडाप्ट किए जायें, वे ज्यादा एक्सप्रेसिव मीनिंगफुल और कई जगह इस्तेमाल हो चुके हैं। यह बात है कि वह व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया। अदालतों के लिए वह स्थिति भी पैदा हुई। हिन्दी के जो शब्द नये आये हैं, बहुत सी जगहों पर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वह हिन्दी समझ में नहीं आती। उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया रहता है, तो समझ में आ जाता है। अब से इस साल से अंग्रेजी अनुवाद नहीं दिया। हिन्दी ग्रेजुअली और प्रोग्रेसिवली वह उसका स्थान ले रही है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है। यह सही है।

तो अब माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक अदालतों का सवाल है, अदालतों की कार्य भाषा अंग्रेजी है, यह बात जो माननीय गुप्ता जी ने कही, यह इनेबलिंग सेक्शन है। आप्शन आपको आ गया है। कोई राज्य में हिन्दी या बहुत सी भाषा, चाहे पंजाबी हो वह भी एडाप्ट कर सकते हैं। यह इनेबलिंग सेक्शन है। कम्पलसरी इम्पोज नहीं करता है, खामखा हिन्दी एडाप्ट करें। वह जब समय आयेगा, बहुत से जजमेण्ट हैं, माननीय हाईकोर्ट में भी होने लगे हैं। अरगूमेन्ट्स भी हिन्दी में कर देते हैं, उसको भी वे एलाऊ कर देते हैं। बहुत से लोग हिन्दी में करते हैं, बहुत से लोग अंग्रेजी में करते हैं। इसमें "मेनिटिक" होने की बात नहीं है। हिन्दी बहुत धीरे-धीरे स्थान लेगी। सुप्रीम कोर्ट की जुबान अंग्रेजी है, इनकी जुबान अंग्रेजी है। अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करना अनुचित नहीं है। इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठता है। यह मसला सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड भी हो चुका है। लेटेस्ट यही है कि अगर दोनों में भेद पैदा होता है तो अंग्रेजी के शब्दों में ज्यादा सुविधा है लेकिन कोई इनकनसिस्टेंसी अगर पैदा होती है और लिबरल कांस्ट्रक्शन से दूर हो जाती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं तो अंग्रेजी को भी मान्यता दे सकते हैं । जो जस्टिस को एडवान्स करे, उसे प्राथमिकता दी जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय कुंवर सिंह नेगी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री श्याम लाल बाजपेयी, श्री रियासत हुसैन, श्री लाल प्रताप सिंह और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना । जहां तक विधायकों की अंग्रेजी प्रति यदि कोई सदस्य मांगते हैं, जसाकि मैंने अभी कहा था तो वह उपलब्ध कराई जा सकती है । किन्तु नियम 282 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता । हिन्दी की प्रतियां विधेयक की, जो वितरित की जाती हैं और जैसा कि मैंने अभी कहा और सदस्य उसकी प्रति-लिपि चाहते हैं, तो उनको अंग्रेजी की प्रतिलिपि प्राप्त हो जाती है । जहां तक न्यायालयों के निर्णयों की बात है, वह इस सदन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता । फिर भी, यह बात सही है कि न्यायालयों के निर्णयों में आपस में मत-भेद हो कि हिन्दी में बने अधिनियम को शुद्ध माना जाय या अंग्रेजी में बने अधिनियम को, तो इस पर शासन विचार करे और यदि आवश्यक हो तो इस स्थिति को स्पष्ट करे कि हिन्दी अधि-नियम भी शुद्ध माना जाय । इसके साथ ही मैं औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्य-वस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 को उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखता हूं । यह विधेयक विधान सभा द्वारा दिनांक 14 मार्च, 1984 को पारित किया गया था और 30 मार्च, 1984 को विधान परिषद् द्वारा किए गये संशोधनों सहित वापस प्राप्त हुआ है ।

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1983-84) का पंचम प्रतिवेदन†

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1983-84) का पंचम प्रतिवेदन, जो विनियोग लेखा 1968-69 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 1970 पर आधारित लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं ।

† छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1983-84) का षष्ठ प्रतिवेदन†

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1983-84) का षष्ठ प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1969-70 पर आधारित लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में कार्यान्वियन प्रतिवेदन से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रियासत हुसैन--

पांचवें और छठे प्रतिवेदनों को भी 216 नियम के अन्तर्गत, जो आपने कहा है, इनको चर्चा के लिए रखने पर इनको भी उसी में सम्मिलित कर दिया जाय ताकि तीनों पर एक साथ चर्चा हो जाय ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, ठीक है, कर दिया जायगा।

श्री हरनारायण सिंह, सदस्य विधान सभा के अवकाश प्रार्थना-पत्र पर सदन की अनुज्ञा का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

श्री हरनारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा ने सदन में अनुपस्थित रहने के कारण अनुज्ञा मांगी है ।

महोदय,

निवेदन है कि बीमारी के कारण लगातार सदन में उपस्थित नहीं हो सका। जिसकी सूचना मैंने अपने दिनांक 9-2-84 के पत्र द्वारा सचिव, विधान सभा को दे दी थी । मेरा स्वास्थ्य लगातार खराब चल रहा है । जिसके कारण सदन में 45 दिन से अधिक की अनुपस्थिति हो गयी । अतएव, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 280 (1) के अन्तर्गत मुझे 13-2-84 से 27-3-84 तक सदन से अनुपस्थिति का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें ।

प्रश्न यह है कि 1984 के प्रथम सत्र के दिनांक 13 फरवरी, 1984 से 27 मार्च, 1984 तक सदन के उपवेशनों से अनुपस्थिति के अवकाश हेतु श्री हर नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा की गयी प्रार्थना को सदन का अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 4 अप्रैल, 1984 की बैठक में यह सिफारिश की है कि दिनांक 7 अप्रैल, 1984 तक के विधान सभा के उपवेशनों के पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम में निम्नलिखित संशोधन किये जायं :—

1--माननीय मुख्य मंत्री से सम्बन्धित जिन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान दिनांक 7 एवं 9 अप्रैल, 1984 को निर्धारित हैं, उन पर चर्चा एवं मतदान शनिवार दिनांक 7 अप्रैल, 1984 को हो ।

2--दिनांक 7 अप्रैल, 1984 को सदन का उपवेशन पूर्वाह्न 10·00 बजे से आरम्भ हो । उस दिन प्रश्न एवं नियम 301, 56 और 51 के अन्तर्गत सूचनाएं पूर्व निश्चयानुसार न ली जायें और न

† छापा नहीं गया ।

ही कोई अन्य चर्चा या वक्तव्य निर्धारित किया जाय ।

3—दिनांक 9 अप्रैल, 1984 को सदन की बैठक न हो, इस प्रकार 8 से 10 अप्रैल, 1984 तक बैठक नहीं होगी ।

4—11 अप्रैल, 1984 को वित्तीय वर्ष 1984-85 की कृषि विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगो पर चर्चा का कार्य-क्रम यथावत रहे, और उसके उपरान्त उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार एवं उसका पारण हो (विधेयक हेतु आधा घंटा) ।

5—दिनांक 12 अप्रैल, 1984 को कृषि विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर मतदान के लिए आधा दिन, तथा गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) एवं नियोजन विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर मतदान के लिए आधा दिन यथावत रहे, और उसके उपरान्त निम्नलिखित मदें ली जायें :

(क) श्री हुकुम सिंह की सूचना पर जनपद मुजफ्फरनगर के इसापुर टील गांव को हरियाणा की पुलिस द्वारा घेरने तथा उनके साथ आए हरियाणा निवासियों द्वारा वहां की फसल को काटे जाने के सम्बन्ध में 45 मिनट की चर्चा ; (इसमें और माननीय सदस्यों के नाम जोड़ दिये गये जो उस वक्त प्रस्तुत हो जायेंगे)।

(ख) पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार और उसका पारण ।

6—दिनांक 13 अप्रैल, 1984 को सदन की बैठक न हो, इस प्रकार 13 अप्रैल से 15 अप्रैल, 1984 तक बैठक नहीं होगी ।

7—दिनांक 16 अप्रैल, 1984 से 19 अप्रैल, 1984 तक का कार्य क्रम यथावत रहे ।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी—)

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन की कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है सहमत हैं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी हैं, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें सर्वश्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री राम स्वरूप निम, मसरूर जाफरी, सरदार सिंह किरनपाल सिंह, राजेन्द्र कुमार गुप्त, कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह भण्डारी और डाक्टर शिवानन्द नौटियाल इन तीनों की एक सूचना है, रेवती रमण सिंह, राजेन्द्र अग्निहोत्री, फिरंगी प्रसाद विशारद तथा हरिवंश सहाय व नन्द किशोर सिंह की एक सूचना सम्मिलित है । इसमें से माननीय राम स्वरूप निम की सूचना जो कि जनपद सहारनपुर के बड़गांव, किसान सेवा सहकारी समिति में 7 लाख रुपये के गबन के सम्बन्ध में है और माननीय मसरूर जाफरी की सूचना,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बांदा के सार्वजनिक निरीक्षण भवन में आनन्द मार्गी नेता श्री प्रभात रंजन द्वारा बगैर आवंटित कराये रहना तथा वहां विदेशी सेन्ट की शीशियां बरामद होने के सम्बन्ध में है । इन सूचनाओं को मैंने शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये जांच के लिए भेज दिया है । मैंने सुनने के लिए माननीय सरदार सिंह, माननीय कुंवर सिंह नेगी, माननीय रेवती रमण सिंह, माननीय किरनपाल सिंह, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त के नाम रखे हैं और माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना पर 6-4-84 को चर्चा होगी । बाकी सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है ।

श्री राम स्वरूप निम--

माननीय अध्यक्ष जी, लाखों रुपये का गबन है, सैकड़ों किसान जेल जा रहे हैं, आप सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सरदार सिंह को बुलाया है, आप बैठिये । मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है, कृपया आप बैठिये ।

*श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, इस साल शिक्षा जगत में इतनी अशान्ति रही है, छात्रों का इतना नुकसान हुआ है, जितना कि शिक्षा के इतिहास में कभी नहीं हुआ । महाविद्यालय शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, बेसिक शिक्षक संघ इस साल हड़ताल पर रहे । आज यहां के विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिये संकट खड़ा हो गया है । छात्र परीक्षा देने के लिये तैयार हैं, परन्तु महाविद्यालय शिक्षक और गैर शिक्षक की हड़ताल के कारण से, जिन्होंने बहिष्कार कर रखा है, स्ट्राइक पर चले गये हैं । समस्त प्रदेश के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी हड़ताल की घोषणा कर दिये हैं, परीक्षा शुरू होने के लिये न सीटिंग अरेन्जमेन्ट है और न छात्रों को प्रवेश-पत्र ही मिले हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आज बहुत महत्वपूर्ण बजट है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे संक्षेप में ही अपनी बातों को कहें और कम समय लें ।

श्री सरदार सिंह--

इस तरह से लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ने जा रहा है । आगे कम्पटीटिव परीक्षायें भी होने वाली हैं, इस तरह से छात्रों का भविष्य अधर में है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आप आज चर्चा जरूर करा दें ।

श्री किरनपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, यह शिक्षणेत्तर कर्मचारी, कोई आज से अचानक हड़ताल पर नहीं चले गये हैं, ऐसी बात नहीं है । पिछले साल भी उन्होंने हड़ताल की थी और शासन के समक्ष अपनी मांगों को रखा था । जब महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षकों की हड़ताल चल रही थी, तब उन्होंने अपनी मांगों की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया था । मान्यवर, जैसे एक मेज की चार टांगें होती है और वह उन पर ही खड़ी रहती है इसी तरह से शिक्षा जगत में भी चार आधार होते हैं--शिक्षक, विद्यार्थी, पुस्तकें और गैर शिक्षक कर्मचारी । इन्ही चारों पर आधारित हो कर शिक्षा संस्थायें चलती हैं । इसमें अहम सवाल यह है कि जो उन लोगों ने मांग की थी, हमारा दुर्भाग्य यह है कि आज शिक्षा मन्त्री जी, जो कि शिक्षा जगत के महत्व को भलीभांति समझते हैं परन्तु शिक्षकों व गैर शिक्षकों को तब भी हड़ताल पर जाना पड़ रहा है । तमाम महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय इसका शिकार हो गये हैं । लखनऊ विश्वविद्यालय में 24 घन्टे के बाद परीक्षा शुरू होने वाली है, परन्तु वहां विद्यार्थियों के बैठने के लिये सीटें नहीं डाली गयी हैं, प्रवेश-पत्र नहीं जारी किये गये हैं । विश्व-

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया ।

विद्यालय में न विद्युत है और न पानी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर भी तीन दिन से छुट्टी पर गये हुये हैं। मान्यवर, इन तमाम बातों से विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकार में है। इस कारण मैं मांग करता हूं कि इस पर चर्चा करायें नहीं तो कम से कम इस पर शासन का वक्तव्य अवश्य दिलायें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्या, कानपुर, आप इधर से गयी थीं और आयी। आपको नियमों का पालन करना चाहिये। आप को पीछे से जाना चाहिए। भविष्य में आप ध्यान रखें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह कार्यस्थगन प्रस्ताव इसलिए आवश्यक है कि पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने पिछली बार आश्वासन दिया था, वह आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। मान्यवर, गैर शिक्षक कर्मचारियों की मांग है कि पिछली बार की जो मांगें हैं, वह पूरी होनी चाहिए और उनके पूरी न होने के कारण ही हड़ताल हो रही है। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। हमारे नियमों के अनुसार, इसमें सरकार का इनवाल्वमेन्ट होना चाहिए। विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी हैं। सरकार के प्रति इन लोगों को पूर्ण असन्तोष है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आप चर्चा करायें। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शान्ति और व्यवस्था की भी स्थिति पैदा हो गयी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में मारपीट हुई है। इस लिए यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है और इस पर चर्चा होनी चाहिए।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी--)

मान्यवर, यह बड़े दुख की बात है कि कुछ ऐसी हमारी आदत बन गयी है, आपकी नहीं कि जब भी छात्रों की बात आती है तो हम लोग आन्दोलन करते हैं। जहां तक कर्मचारियों, अध्यापकों और नान-टीचिंग स्टाफ की मांगों का सम्बन्ध है, उनके प्रति पूरी हमारी हमदर्दी है, और जो भी इसके लिए कार्य हुए हैं, जो राजाज्ञा जारी होनी चाहिए, वह जारी हो रही है। उस समय भी कहा था कि देर लगेगी। तो मान्यवर, देर लग सकती है। लेकिन मान्यवर, जब इम्तहान आ जाये और उस समय यह कहा जाये कि इम्तहान नहीं लेंगे, अगर मांगे नहीं पूरी होगी। तो माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो यह इम्प्लाइज हैं, हमारे कर्मचारी हैं, जिनको मैं मित्र समझता हूं, उनसे मेरा निवेदन है कि इम्तहान को अपनी मांगों को पूरा करने का मुद्दा न बनाये। छात्रों के हित को देखते हुए मैं कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं, इसमें किसी प्रकार समझौता नहीं करूंगा। हमने पिछली बार इम्तहान की सारी व्यवस्था की है और इस बार भी मैं, आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि वह हमारे कार्य में मदद करे, सहयोग कर। लड़कों के भविष्य को अन्धकार में न डालें। एक्जामिनेशन्स हो रहे हैं, जो कम्पटीटिव एक्जामिनेशन्स हो रहे हैं, उनमें बाधा न डालें। यह बात नहीं मानी जायेगी कि हमारी बात मानी जाये, वरना इम्तहान का बायकाट करेंगे। शायलाक ने कहा था कि एक पौंड पूरा पलश चाहिये, गोश्त चाहिये। तो गोश्त तैयार है, लेकिन खून नहीं निकलेगा। इम्तहान को लेकर कोई भी ब्लैकमेल बरदाश्त नहीं किया जायेगा।

मान्यवर, वह लोग काम पर वापस आवे और मेरा यह वायदा है कि जो कुछ उन्होंने कहा है, अगर आवश्यकता पड़ी तो उससे भी अधिक मैं उनको देने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए तैयार हूं । कोई हमारा रवैया कड़ा नहीं है । मान्यवर, इस पर न तो वक्तव्य की आवश्यकता है और न किसी चर्चा की ही आवश्यकता है । यह एक प्रशासनिक मामला है, इसे प्रशासनिक तरीके से करने दें । और आपके माध्यम से माननीय मोहन सिंह जी, गुप्ता जी और सारे माननीय नेताओं से अपील है कि वे इन परीक्षाओं को कराने में हमारा पूरा सहयोग दें क्योंकि उसमें पूरे प्रदेश के जितने भी राजनीतिक दल हैं और सम्मानित सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, सबके सहयोग की और सबके हित की बात है। मैं आपके माध्यम से उनको यह भी बताना चाहता हूं कि वे इस विषय पर हमें अपना पूरा सहयोग दें ।

*श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में पेयजल का भारी संकट पैदा हो गया है, जिसकी वजह से अकाल की स्थिति यहां पर हो गई है । अभी 3 अप्रैल को यहां पर लखनऊ में, जो कि प्रदेश का मुख्यालय है । उसमें हजारों महिलाएं जो हैं, उन्होंने पेयजल की परेशानी को देखते हुये और सरकार के सामने अपना रोष प्रकट करने के लिए घड़ा फोड़ आन्दोलन किया और नगर निगम के कार्यालय पर प्रदर्शन किया । यहां तक कि अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए वहां के शीशे तक तोड़ दिये । मान्यवर, यहां पर शहर में साढ़े तीन लाख किलो लीटर पानी की आवश्यकता है जब कि जल संस्थान केवल ढाई लाख किलो लीटर ही पानी उपलब्ध करा रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि शासन ने जल निगम और जल संस्थान बनाकर दोहरी नीति अपनाई है । इसी कारण से आज पेयजल संकट यहां पर पैदा हो गया है ।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, यहां पर पानी की चोरी भी शुरू हो गई है । मुख्य पाइप लाइन से बड़े-बड़े प्रतिष्ठान और बर्फ की फैक्टरियां पानी की चोरी कर रही हैं, जिसके कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । स्थिति यह है कि आज बिना स्नान किये और बिना बर्तन साफ किए ही कर्मचारी लोग दफ्तरों में आ रहे हैं । इसी तरह से इलाहाबाद, बनारस, फैजाबाद, लखनऊ और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है । इसी लखनऊ शहर के लिए कुछ वर्ष पूर्व 22 करोड़ रुपया विश्व बैंक से इस समस्या को हल करने के लिए मिला था, जिसमें से जल निगम आधा काम भी नहीं कर पाया । मान्यवर, यह ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर मैं चर्चा करने की मांग आपके माध्यम से करना चाहता हूं और आपसे निवेदन है कि यहां पर तुरन्त पेयजल की व्यवस्था की जाय जिससे नागरिकों का जन-जीवन सामान्य हो सके ।

नगर विकास एवं आवास राज्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)--

मान्यवर, यह सही है कि...

श्री अध्यक्ष--

मैं भी इस जल संकट से बहुत परेशान हूं । मैं आपके विभाग के लोगों से कह चुका हूं कि वहां पर मेरे निवास स्थान म पानी नहीं आता । इसलिए आप विशेषरूप से किसी को बुलाकर यह देखें कि क्या कारण है? क्या दिक्कत है? क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए विशेष रूप से इस ओर ध्यान दिया जाय ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, कहीं पानी उतर तो नहीं गया है ..

श्री अध्यक्ष--

आपके घर में उतरा होगा ।

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य नरेन्द्र सिंह भंडारी, कुंवर सिंह नेगी तथा अन्य सदस्यों ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियम 56 के अन्तर्गत जो पेयजल के सम्बन्ध में सूचना दी है उसके बारे में निवेदन करूंगा कि यह सही है कि पानी का संकट लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, रसड़ा में और अन्य महानगरों में है। यह बात सही है कि पानी का संकट है। मान्यवर, पानी का उपयोग और उसका महत्व सभी जानते हैं और उसके बारे में सब चिन्तित हैं। पानी जीवन का एक अंग है। पानी नहीं है, तो कुछ नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में सरकार भी प्रभावी कदम उठा रही है। महानगरों के लिए एक योजना बनी है। जो जोनल प्रणाली लखनऊ के लिए की गई है और उसके अन्तर्गत जो नये पंपिंग स्टेशन बने हैं, उनमें विद्युत की कमी है। उसके बावजूद भी जल निगम के जो अधिकारी हैं, वे विद्युत विभाग से सम्पर्क कर रहे हैं। और

(2 बजकर 20 मिनट पर)

जल्दी से पम्पिंग सेट चलाये जायेंगे, जलाशय बनायेंगे। बनारस में भी हमारे दो स्टेशन बन चुके हैं, जिससे पानी की कमी पूरी हो जायेगी। इसके बारे में पहले ही यह देखते हुए कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी। शासन की तरफ से 17 फरवरी, 1984 को प्रादेश मंडलयुक्तों को जल सम्पूर्ति के लिए दिया गया है कि जहां-जहां टंकियां हैं, पाइप लाइन हैं या जो स्टेशन हैं या जो पम्पिंग सेट हैं, उनको 31 मार्च तक ठीक करा लें। इस पर शासन स्वतः सजग है। जो अभाव था उसका धीरे-धीरे निदान हो जायेगा।

(श्री रेवतीरमण सिंह का नाम पुकारने पर)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, हमने भी दिया था, हमारे यहां जो चकबंदी दफ्तर हैं, वहां गुन्डे घुस गये हैं। मकान मालिक गुन्डों के बल पर फैसला कराते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, सारा प्रदेश आज परेशान है। यह पानी की गम्भीर समस्या है। इस पर चर्चा करा दीजिए, इनके बस की यह बात नहीं है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, मेरे वाले मामले का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने शासन का ध्यान आकर्षित करा दिया है, आपने सुना नहीं।

श्री हरदेव--

मान्यवर, हमारे यहां रसड़ा में गंभीर संकट हो गया है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी नोट कर लीजिये।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह सरकार शिक्षा को कितनी गंभीरता से लेती है यह आप देखें। इतना बड़ा प्रदेश है और केवल 63 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान की सूची में लिया गया है और उन 63 का रुपया मार्च में, 31 मार्च को ड्रा हो गया और उसे शिक्षा निदेशक के खाते में जमा कर दिया गया। नियमतः 31 मार्च तक यह काम समाप्त हो जाना चाहिये था। मालूम नहीं है कि यह 63 विद्यालय कौन हैं, इनको यह सूची प्रकाशित कर दें। लेकिन सूची भी नहीं प्रकाशित की गई और 63 हजार रुपया शिक्षा निदेशक के खाते में क्यों जमा हो गया, इसका पता नहीं है। यह 63 विद्यालय पूरे प्रदेश में कौन हैं, जिनको अनुदान की सूची में लिया गया है और न ही इन विद्यालयों को लिख कर भेजा गया है।

साथ-साथ यह भी है कि इनके विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों के बीच में रस्सा कसी चल रही है कि

कितने विद्यालयों को यह दिया जायेगा। आज 5 अप्रैल हो गया है यह इसे फाइनल नहीं कर पाये हैं। मेरा आग्रह है कि इस पर वक्तव्य दिलवा दें। जिससे जो अनिश्चितता का वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है, वह साफ हो जाय।

श्री मुहम्मद आजम खां--

पूरे प्रदेश के पाप का बोझ यही उठाये हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

उसमें आप भी हमारे साथ हैं। मान्यवर, माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, वह कार्यस्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता। यह बात सही है कि शिक्षा निदेशक के खाते में 63 जूनियर हाई स्कूलों का पैसा जमा कर दिया गया है। यह बात भी सही है कि इस साल यह निर्णय होना है कि वह विद्यालय कौन से होंगे। आपके माध्यम से जिस वक्त माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया था, उस वक्त भी जिक्र किया था कि जिस योजना से जितने जूनियर हाई स्कूल यहां पर आते हैं उनका परीक्षण किया जाता है और उसके बाद उनका ग्रांट इन-एड की लिस्ट में लिया जाता है। तो जो वहां से स्कूल आये थे, उनके बारे में कुछ हमारे साथियों ने और कुछ अन्य लोगों ने आपत्ति की थी कि सही तरीके से नहीं भेजा गया है जो नम्बर दिये गये हैं वह सही नहीं है। या जैसे वह आये थे, एकदम उसको मान लिया जाये या फिर पूरी तरह से परीक्षण कराकर, जो वास्तव में पाने योग्य हैं उनको दिया जाये। इसलिए यह व्यवस्था की गयी, ताकि जो सही विद्यालय हैं, उन्हीं को मिले।

माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न उठाया कि इसमें किसी प्रकार का संघर्ष है। तो मैं कहना चाहता हूं कि संघर्ष नहीं है। एक बात जरूर है कि वित्त विभाग से अनुरोध किया है कि 62 विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल कम हैं, उनकी संख्या बढ़ा दें, ताकि शिक्षा के प्रसार में आसानी हो। मान्यवर, हर एक के मानक हैं, नम्बर हैं, इसलिए उनमें संघर्ष नहीं है। देखना यह होता है कि जो विद्यालय आये हैं वह सही तरह से मानक में ठीक हैं कि नहीं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों को और सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं हुई है और न सरकार का इरादा है कि जो प्रक्रिया है उससे हटकर काम हो।

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 में जहां तक श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ को सूचना का सम्बन्ध है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बस्ती में उच्च अधिकारी को भेजकर, जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं, छानबीन को जाये।

जहां तक श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की सूचना का सम्बन्ध है, तो इसके लिये मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री राम स्वरूप निम और श्री मसरूर जाफरी की सूचनाओं पर मैं पहले ही निर्णय दे चुका हूं। इस प्रकार मैंने किसी को भी नियम 56 में स्वीकार नहीं किया है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में खराब बीज वितरित किया गया था, उसमें लिखकर सूचना दिया था, नियम 49 में वह आज 5 तारीख को आना चाहिये था, लेकिन एजेन्डे में नहीं छपा है।

श्री अध्यक्ष--

यह अगले बृहस्पतिवार को आयेगा।

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप निम--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है कि 165 किसानों को जेल भेजा जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भेज दिया है, इसलिए आप बैठ जायं ।

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज), अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग

उद्योग मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 81,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय 2 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,32,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,93,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,16,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मुझे आज उद्योग विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि जो इस प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बना है, पिछले वर्षों में ऐसा वातावरण कभी नहीं रहा है । मान्यवर, आप जानते हैं कि इधर जो हमने प्रयास किये हैं, जो भी सुविधायें दी हैं, उनका बहुत अच्छा असर हुआ है । लेकिन हमारी कोई औद्योगिक नीति न बनने के कारण इस तरह से लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं और जो हमारे उद्यमी हैं, वह

उनका उतना फायदा नहीं उठा पाते थे, क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं रहती थी। लेकिन अब हमने अपनी एक औद्योगिक नीति बनाई है, जिसको मैं सदन में रख रहा हूं। इससे हमारे उद्यमी, हमारी औद्योगिक पालिसी को जान सकेंगे और यह जान सकेंगे कि उनको क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और उनको क्या-क्या सहायता मिलेगी और कैसे उद्योग उन्हें लगाने हैं? इन सारी बातों का इसमें हमने जिक्र किया है और इससे जो उद्योग लगेंगे, जो उद्यमी इसमें आयेंगे, उनको इससे फायदा होगा। पिछले वर्षों में हमने जो भी सुविधाएं दी हैं और काम किये हैं, उससे उद्योगपति चाहे बड़े हों, चाहे मध्यम हों, चाहे लघु हों और चाहे काटेज इंडस्ट्रीज के हों, वह हमारे प्रदेश में आकर्षित होकर आ रहे हैं। उनका इतना अधिक प्रदेश की ओर झुकाव कभी नहीं रहा है। इसमें हमने अपनी इन सभी बातों का जिक्र किया है। हम उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र में, सहायक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में लगाते हैं। तो हमने, जो औद्योगिक नीति बनायी है, सभी क्षेत्रों के लिए उससे सभी क्षेत्रों में अधिकाधिक उद्योग धंधे लगेंगे और निजी उद्यमियों को भी उद्योग लगाने की सुविधा देंगे।

मान्यवर, आप जानते हैं उद्योग लगाने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, यदि वह न रहें तो उद्योग नहीं लग सकते हैं। जहां चाहें हम उद्योग खड़ा कर दें, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमें सुविधाएं देनी पड़ेंगी और यह देखना पड़ेगा कि वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, रेलवे लाइनें हैं या नहीं, सड़कें अच्छी हैं या नहीं, बिजली की सुविधाएं हैं या नहीं यह भी देखना होता है कि रा मैटेरियल और मैनपावर आदि वहां पर उपलब्ध है या नहीं? इन सब बातों को देखकर ही किसी स्थान पर उद्योग लगाये जाते हैं। जहां ऐसा वातावरण होता है, वहीं उद्योग लगता है आज हमारा प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में क्यों इतना अधिक पिछड़ा हुआ है, यह भी विचार करने की बात है।

हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और तामिलनाडु में बहुत उद्योग लगे हैं। उसका एक ही कारण था कि वहां पर बहुत सी सुविधाएं पहले से उपलब्ध थीं, आजादी के पहले से उपलब्ध थीं और जब उद्योगपतियों ने देखा कि वहां पर सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उन्होंने वहां पर उद्योग लगाये। लेकिन हमारा सारा झुकाव खेती पर था, पैदावार बढ़ाने की ओर हमारा ध्यान था। इसलिए हमने अपने यहां सिंचाई की सुविधायें बढ़ाई, कृषकों को अच्छे-अच्छे बीज दिये, फर्टिलाइजर आदि की व्यवस्था की और हमारी खेती की पैदावार बढ़ी और हम यह कह सकते हैं कि खेती के मामले में, अन्न के मामले में आज उत्तर प्रदेश अपने पैर पर खड़ा है और हम सरप्लस स्टेट हो गये हैं और गल्ला दूसरे प्रदेशों को देते हैं और हम गल्ला आज दूसरे प्रदेशों को भी देने की स्थिति में है। लेकिन उद्योग के क्षेत्र में, हम उतना आगे नहीं बढ़ सके हैं जितने अन्य प्रदेश।

11-12 करोड़ की आबादी का यह सबसे बड़ा प्रदेश है, लोग अपनी जीविका के लिये, रोजी रोटी कमाने के लिये, यहां से दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं। दूसरे देशों में भी जाते हैं। अभी भारत सरकार के हमारे उद्योग मंत्री जब बैंक क गये थे, तो वहां पर अपने यहां की ही एक बांसगांव तहसील के ही 10 हजार लोगों ने उनका स्वागत किया था। व्यवसाय की दृष्टि से कुछ लोग जाते हैं, कुछ पढ़े लिखे नवयुवक, इन्जीनियर्स, डाक्टर्स आदि भी नौकरी यहां न मिलने के कारण दूसरे देशों में चले जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे यहां काम बहुत कम उपलब्ध है। इसके कारण तरह-तरह की परेशानियां पैदा हो गयी हैं। शिक्षित बेरोजगारों की भी समस्या है। बहुत से पढ़े-लिखे

नौजवान, पालीटेक्निक से निकले युवक, आई० टी० आई० से निकले लोग, ट्रेड में ट्रेनिंग लिये हुए लोग, आज कितने हीं इधर उधर घूम रहे हैं। रोजगार के अवसर कम है, । दफ्तरों में भी जगह खाली नहीं हैं। इस समस्या का हल करने का एक ही रास्ता रह जाता है कि हम अपने यहां उद्योगों का विस्तार करें। मुझे खुशी है कि हमारी प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्य क्रम के अन्तर्गत गांव के छोटे-छोटे लोगों को, जो छोटे-छोटे व्यवसाय मे लगे लोग हैं, जैसे लोहार हैं, बढ़ई हैं, सुनार हैं, या पूरे टाइम खेती नहीं करते हैं, खाली रहते हैं, ऐसे लोगों के लिये, आर्थिक सहायता दे कर, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की योजना चलायी है, जिससे खाली समय में लोग अपना काम करते हैं। आई० आर० डी० स्कीम से ऐसे लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है। जिनके पास पूंजी का अभाव है, उनको बहुत लाभ होगा। वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। इससे प्रदेश का विकास होगा।

हमने यह भी किया है कि जो हमारे बहुत से ऐसे शहर हैं जहां पर कोई उद्योग नहीं हैं, वहां पर उद्योग लगाने के लिए हमने उनको कई कैटगरीज में बांट दिया है। जहां पर शून्य उद्योग हैं, उनको कैटेगरी ए में रखा है, जो बैकवर्ड, हैं, उनको कैटेगरी 'बी' में रखा है, जो काम बैकवर्ड हैं, उनको सी' में रखा है। जो उपरोक्त किसी भी कैटेगरी में नहीं आते उनको अलग रखा है। जिन तहसीलों में 5 करोड़ से कम वाले उद्योग हैं, उन तहसीलों में 5 परसेंट सब्सीडी सरकार देगी। हमारा प्रयास यह है कि पूरे प्रदेश में, हर जिले में, कोई न कोई उद्योग हो, जहां कोई उद्योग नहीं हैं, वहां उद्योग लगाये जायें। पहाड़ों पर कोई भी उद्योग लगाना नहीं चाहता। लोग वहां तभी उद्योग लगायेंगे जब हम अधिक सुविधायें देंगे। इसके लिये भारत सरकार 25 प्रतिशत सब्सिडी देती है, अन्य सुविधायें भी दी जाती हैं।

इसी प्रकार बुन्देलखंड और पूर्वान्चल और मिडिल यू० पी० में तथा पश्चिम के भी कुछ जिले ऐसे हैं, बहुत सी तहसीलें ऐसी हैं, जहां पर उद्योग नहीं हैं। कहीं-कहीं पर उद्योग धन्धें बहुत ज्यादा हैं-, जैसे ग जियाबाद है, नोयडा ह, मेरठ है, कानपुर है, वाराणसी है, इलाहाबाद है इनमें उद्योग हैं। परन्तु कहीं-कहीं बिल्कुल नहीं हैं। छोटे-छोट उद्योग तक नहीं हैं। मान्यवर, हमारा प्रयास है कि हम ब्लाक को इकाई मानकर कम से कम हर ब्लाक में वहां पर 2 लाख रुपये का उद्योग जरूर लगायें। तो यह कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ा संकल्प है। इससे धीरे-धीरे दूसरे उद्योग वहां पर लगेंगे और उद्योगों का विकास होगा। जब वहां पर बिजली, सड़क और दूसरी सुविधायें पहुंच जायेंगी तो वहां पर दूसरे उद्योग भी लगेंगे। मान्यवर, इसी तरह से हम इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना रहे हैं, जहां पर हम लोगों को प्लाट देंगे, शेड बनाकर देंगे और अन्य सुविधाये उपलब्ध करायेंगें ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगें। जो हमारे बहुत से शिल्प कार हैं, जैसे भदोही में कारपेट बनती है। जो हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर भी उसको निर्यात किया जाता है। मुरादाबाद में ब्रास वेयर का काम होता है, सहारनपुर का लकड़ी का सामान है, जो बाहर निर्यात किया जाता है। इसी प्रकार से बनारस का साड़ियां हैं और बहुत से हैंडलूम के सामानों का निर्यात किया जाता है। तो इसके जो शिल्पकार हैं और जो बहुत दिनों से, सदियों से यह काम करते चले आ रहे हैं उनकी दशा ठीक हो, इसलिये उनको बहुत सी सुविधायें दी जा रही हैं। ताकि वह जिस काम को कर रहे हैं उसमें उनको अच्छी मजदूरी हो और उनकी हालत सुधारें।

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि हमें क्या-क्या करना है और मान्यवर, आप भी जानते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हम पब्लिक सेक्टर में उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगायें और

प्राइवेट सेक्टर में भी उद्योग लगें, यह हमारा प्रयास है । तो एक नयी बात हमने पैदा की है कि जो सरकार कर रही है, वह करे, लेकिन ज्वाइंट सेक्टर में भी उद्योग लगाये जायं । सरकार और प्राइवेट एजेंसी दोनों मिलाकर उद्योग लगायें, ताकि जो दिक्कतें उद्यमियों को आती हैं वह न आयें और ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग सकें । तो यह कोशिश की गयी है कि संयुक्त क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाये जायं ताकि उद्यमियों को सुविधा मिल सके : इसके साथ ही साथ मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि जो हमारा 'विकअप' का संगठन है उसने बहुत काम किया है । इससे हमारे प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनाने में बड़ी सफलता मिली है । तमाम लोगों को ऋण दिए गये हैं और बहुत से लोगों को मदद दी गयी है । इसके साथ ही साथ विकअप पर खुद अपना लेटर आफ इंटेंट लेकर 26 योजनायें संयुक्त क्षेत्र में लगाने जा रही है । तो इस तरह से हमें और भी आशय-पत्र प्राप्त होंगे और अन्य उद्योग संयुक्त क्षेत्र में लगेंगे । यह हमारे प्रदेश के इतिहास में एक बहुत बड़ी बात है । आज हमारे बहुत से कारपोरेशन हैं जो महत्व पूर्ण काम कर रहे हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं ।

माननीय, इसी प्रकार से एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा भी संयुक्त क्षत्र में बहुत से उद्योग लग रहे हैं और इसी प्रकार से इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के जरिय हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपन उद्योग खुद लगायें और साथ-साथ संयुक्त क्षेत्र में उद्योग लगाये । हमारा जो मेटल कारपोरेशन है वह संयुक्त क्षेत्र में उद्योग लगा रहा है । तो माननीय, आप देखेंगे कि कितना काम पब्लिक अंडर-टेकिंग्स के जरिये सरकार करना चाहती है और यह काम बड़ी संख्या में किये जा रहे हैं । जो सरकार उद्योग लगा सकती है, वह लगाये और जहां सरकार खुद उद्योग नहीं लगा सकती है, वहां निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर उद्योग लगाय । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे भी उद्योग लग सकते हों लगें, यह हमारा प्रयास है । माननीय, इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि उद्योग लगाने के काम का जो तरीका था । उसमें काफी परिवर्तन किया गया है और आज भी परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि उद्योग एसी चीज नहीं है कि हम प्रतीक्षा करते रहें । अगर कोई उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है और उसको एक साल पीछे कर दें, जो सुविधायें उसको मिलनी हैं, अगर वह एक साल पीछे कर दें तो वह उद्योग नहीं लगा पायेगा और कॉस्ट बढ़ जाने के कारण उद्योग पीछे हो जायगा ।

माननीय, यह भी देखना है कि हम कैसे जल्द से जल्द उद्योग लगायें । जो उद्योग हमारे लगने हैं, उन्हें कैसे जल्द से जल्द लगा कर खड़ा कर दें, माननीय, इसे भी देखना है । तभी यह पता चल सकता है कि हमने काम किया है । जो हमारे कारपोरेशन हैं, जो सीमेंट का कारपोरेशन है, टेक्सटाइल का कारपोरेशन है, ब्रास वेयर कारपोरेशन हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं । माननीय, बहुत से कारपोरेशन बनाये गये हैं । वह इसीलिए बनाये गये हैं कि जो हमारे पास धनाभाव है, उसके कारण हम इन कारखानों को नहीं लगा पाते हैं । तो हमारे कारपोरेशन जो हैं, वह बैंक से पैसा लेकर बहुत बड़ी मात्रा में उद्योग खड़ा कर रहा है । हमारे पास माननीय, सीमित साधन हैं, इसके कारण हम उद्योग नहीं लगा सकते हैं । जिस प्रकार से उद्योगपतियों को उद्योग के क्षेत्र मे सहायता हो सकती है, वह सहायता माननीय, की जा रही है । लोगों को कर्ज देकर उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है । उनको लैंड की सुविधा दी जा रही है और यह भी हम देख रहे हैं कि कैसे उनको जल्द से जल्द सुविधा दी जाय, ताकि लोग अपने उद्योग जल्द से जल्द लगा सकें । तो यह भी, माननीय, हम मदद कर रहे हैं ।

मान्यवर, आटो ट्रैक्टर का यह काफी पुराना मामला है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। यह 1981 में प्रारम्भ किया गया और वर्ष 1981-82 में 51 ट्रैक्टर तथा 1982-83 में 381 ट्रैक्टरों और एक अतिरिक्त इंजन का उत्पादन हुआ। वर्ष 1983-84 में 1000 ट्रैक्टर एवं एक अतिरिक्त इंजन बनने का लक्ष्य है, जिसके समक्ष फरवरी, 1984 तक 721 ट्रैक्टरों का उत्पादन किया गया है। मान्यवर, कुल 7500 ट्रैक्टर प्रति वर्ष बनायेंगे तथा 2500 इंजन बनायेंगे। तो मान्यवर, ट्रैक्टर के साथ इंजन भी हम बना रहे हैं। तो मान्यवर, आप जानते हैं कि ट्रैक्टर कैसा उद्योग है। यह बनाने के लिए बहुत से प्राइवेट सेक्टर के लोग तैयार नहीं होते हैं। प्रतापगढ़ क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था जहां पर कोई जाना नहीं चाहता था। तो यह पिछड़े क्षेत्र में ट्रैक्टर का कारखाना लगा है। इसकी 35 ऐनसिलिरीज लगेंगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के बारे में आप जानते हैं। यह हिन्दुस्तान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर गया है। मान्यवर, हिन्दुस्तान के अतिरिक्त विदेशों में भी इसकी ख्याति बन गयी है।

मान्यवर, आज अपट्रान के बारे में आप जानते हैं कि सारे देश के लोग अपट्रान की टी0 वी0 चाहे ब्लैक एण्ड ह्वाइट हो, चाहे कलर्ड हो, खरीदना चाहते हैं। मान्यवर, अपट्रान टी0 वी0 बहुत अच्छी तरह से बनी हुई हैं और जहां कहीं पर हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यह काफी अच्छी बनी हुई है। इसकी सभी लोग तारीफ करते हैं। मान्यवर, अपट्रान की जो ख्याति है, इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में, इसका नाम बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। मान्यवर, अपट्रान का जो काम है, 52 करोड़ का टर्न-ओवर पिछले वर्ष का रहा है। मान्यवर, धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो हम ज्यादा इसमें काम करेंगे। इस प्रकार मान्यवर, यह पिक-अप के द्वारा 83-84 में 2322-00 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार उक्त वर्ष में निगम ने 1701 लाख रुपये के ऋण 86 इकाइयों को वितरित किया है। वर्तमान में 16 परियोजनाओं के लिए आशय-पत्र प्राप्त करने हेतु पिक-अप के प्रार्थना-पत्र भारत सरकार के विचाराधीन हैं। मान्यवर, आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम जो है, वह काफी महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इसमें जो हमारे यह खनिज विकास निदेशालय ने काम किया है, वह बहुत ही अच्छा है, उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आज हमारे प्रदेश में, यह कहा जाता है कि हम मिनरल्स के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं लेकिन जो खोज कर रहे हैं, उसके द्वारा हम देख रहे हैं कि अगर पूरी खोज कर लें, तो हमारे प्रदेश में कीमती मिनरल्स हैं। इस क्षेत्र में बहुत काम किये गये हैं। मिर्जापुर, इलाहाबाद, बांदा, ललितपुर तथा देहरादून जिलों में क्रमशः डोलोमाइट एवं सिलका सैन्ड, बाक्साइट, राकफास्फेट तथा मार्बल खनिजों का खान और उन पर आधारित उद्योग लगाये जा रहे हैं। वहां पर और कीमती चीजें भी मिलने वाली हैं जो खुदाई हो रही है, जो खोज हो रही है, उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मिनरल नहीं है। हमें खुशी है कि हमारा निदेशालय जो काम रहा है, इसको और बढ़ाना चाहिये, ताकि ज्यादा से ज्यादा काम वह कर सकें। जो हमारा खनिज कर्म निदेशालय है, बहुत से उद्योग लगाने का काम कर रहा है। जिला बांदा व इलाहाबाद में सिलका सैन्ड के बहुत बड़े भन्डारों का आगणन किया गया है, जिनके आधार पर राज्य खनिज विकास निगम पलोट ग्लास की एक परियोजना तैयार कर रहा है और डेढ़ सौ करोड़ का कारखाना बांदा इलाहाबाद के पास लगेगा।

एक बात आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जो गरीब भाई लोग है, बुनकर लोग है। हमारे प्रदेश में 16 लाख

बुनकर हैं, 6 लाख करघे चलाये गये हैं। यह गरीब लोग हैं, इनकी मदद के लिये हम काम कर रहे हैं। हम खुद कताई मिलें लगा रहे हैं। इन बुनकरों को धागे दिक्कत से मिलते थे। जो कताई मिल हमारी चल रही हैं, या लगाई जा रही हैं, उनके माध्यम से यह व्यवस्था की गई हैं कि हम बुनकरों को सही दाम पर धागा दे रहे हैं, जिस काउन्ट का धागा चाहते हैं, दे रहे हैं। उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था की गयी है। बुनकरों की समस्या को हल करने के लिये हम बहुत काम कर रहे हैं। यू0 पी0 हैन्डलूम कारपोरेशन उनके कपड़ों को खरीदता और बिकवाता है। ऋण देकर, सहायता देकर, सभी प्रकार से उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है।

एक काम हमने बहुत बड़ा किया है। उनके ऊपर बहुत दिन से कर्जा पड़ा था, वह दे नहीं पा रहे थे। उसका सूद और दन्ड सूद बहुत बढ़ गया था, दे नहीं सकते थे। बड़ी कठिनाई थी। उनको बैंकों से कर्ज नहीं मिलता था। सरकार ने निर्णय लिया कि जो मूलधन दे दें, उनका ब्याज और दण्ड ब्याज माफ कर दिया जायेगा। इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। यह बहुत बड़ा काम किया गया है और इससे बुनकरों को फायदा पहुंचा है। उनका कपड़ा बिक नहीं पाता है, तो प्रदर्शनी लगवाकर, रिबेट देकर, उनके कपड़े को बिकवाने की व्यवस्था की जाती है। उनकी हालत को कैसे सुधारा जाय, इसका प्रयास किया जा रहा है। इनकी हालत में सुधार करने की भविष्य में और कोशिश की जायेगी।

हमारे जो ग्रामीण उद्योग हैं। हम बड़े उद्योगों को लगा रहे हैं, मध्यम उद्योग लगा रहे हैं, छोटे उद्योगों के लिये हमारा प्रयास है। जब बड़े उद्योग लगते हैं, तो उससे जो एन्सिलरी आती है, उससे भी काफी विकास का काम मिलता है। परन्तु बड़े उद्योग में उतना लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, जितना छोटे उद्योग में इन लोगों को काम मिल सकते हैं। छोटे ग्रामीण उद्योग लगाने का और खादी का काम कर रहे हैं। और साथ-साथ छोटे-छोटे उद्योग लगा करके लोगों को सहायता दें, इस तरह से काम किया जा रहा है। मान्यवर, कारपेन्टर जो कार्य कर रहे हैं, मुरादाबाद में ब्रास बेयर कारपोरेशन है वहां एक ही मिल लगायी है, वहां उनको अच्छी क्वालिटी का शोट बनाकर दिया जा रहा है। इसमें भी सहायता दी जा रही है। पीतल उद्योग मुरादाबाद में लगाए जा रहे हैं। अब माननीय सदस्य बोलेंगे तो सुझाव देंगे, उन पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनके लिए कोई काम नहीं था, उनके लिए प्रधानमन्त्री ने 15 अगस्त को यह घोषणा की कि जो हाई स्कूल पढ़े हैं, उनको 25 हजार रुपया काम के लिए दिया जाएगा बिना गारन्टी के।

श्री मुहम्मद आजम खां--

इसमें मान्यवर, कुछ नहीं हो रहा है।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मुझको बहुत-सी जानकारी हुई हैं कि जिस तरीके से सुविधायें मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही हैं। मान्यवर, क्योंकि जल्दी-जल्दी स्कीम शुरू हुई है, इसलिए इसमें दिक्कत हैं। मैं इसको देखूंगा, जो गलतियां इसमें हुई हैं, उनको सुधारा जाएगा। जिन्होंने जानबूझ कर गलतियां की हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जो व्यक्ति जानबूझ कर हमारी स्कीम में, जो गरीबों के लिए स्कीम चल रही है, पढ़े-लिखे लोगों के लिए स्कीम चल रही है, उसमें गलती करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश में बहुत काम गरीबों के लिए हुए हैं। हमारे प्रदेश में पांच

प्रतिशत गरीब है । जब कि हमारे प्रदेश में 16 प्रतिशत की आबादी है, तो हमारे प्रदेश में प्रधान मन्त्री की सहायता से काफी उद्योग लगाए गये हैं । इसके अतिरिक्त जो उद्योग अब लगने जा रहे हैं, उसमें 3,000 के करीब उद्योग लगेंगे । इसमें बड़े-बड़े फर्टीलाइजर हैं । बी० एच० ए० एल० काम्पलेक्स पेट्रो-केमिकल बनाए जा रहे हैं । यह बहुत बड़ा काम है । आई० टी० आई गोन्डा में लगने जा रहा है । तो मान्यवर, इतना बड़ा इन्वेस्ट पूरे इतिहास में अभी नहीं हुआ है । जो उद्योग लगाए जा रहे हैं इसकी एन्सिलरी भी लगायी जाएगी । जो हमारे गरीब भाई हैं, उनकी गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा । जो औद्योगिक वातावरण पैदा हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनेगा । हमारे उत्तर प्रदेश ने आज औद्योगिक क्षेत्र में काफी बड़ा स्थान प्राप्त किया है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें ।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--3, उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री अधिष्ठता--

माननीय सदस्य शान्त रहें । माननीय यदुनाथ सिंह माइक के सामने बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--4 उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--5 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--6 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--27 निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया शोर न करें । माइक पर सुनाई नहीं दे रहा है । माननीय यदुनाथ जी, आप आगे आकर बोलें ।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसा पिछड़ा प्रदेश जो हमारे देश में आबादी के दृष्टिकोण से 16 प्रतिशत आबादी वाला प्रदेश है । यहां उद्योग नीति में ऐसा कर रहे हैं कि यह प्रदेश हरियाणा और

पंजाब के कम्पेरिजन में आगे बढ़ जाय । यह प्रदेश 1951 से लेकर 1962 तक पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में भी पिछड़ा था और उस समय उन्होंने यह कहा था कि हमें टेक्नीशियन चाहिए । उसके बाद आई0 टी0आई0, पालीटेक्निक, टेक्निकल कालेज आदि बनवाये गये । 1962 में श्री जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री के रुप में यहां आये, उस समय इंजीनियरिंग कालेज, पालीटेक्निक आदि खोले गये और परिणाम सामने हैं कि बेरोजगार भी सड़कों पर देखने में आये । मंत्री जी ने अभी कहा कि भारी उद्योग के नाम पर और मध्यम उद्योग के नाम पर, सहायक उद्योग और निजी उद्योग के नाम पर बहुत सा काम करने जा रहे हैं । लेकिन हम कहने जा रहे हैं कि आपके सीमेन्ट उद्योग हैं । लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में 65 रुपये बोरी सीमेन्ट मिल रही है, जबकि 30 रुपये में मिलनी चाहिए । ये दो सौ किलो-मीटर दूर से कच्चा माल लाकर पिसाई का काम करते हैं, डाला में, चुर्क में । वहां जो यह कहते हैं, यह देखने से मालूम होता है, जो चीज ये सार्वजनिक क्षेत्र में करते हैं । बिजली हम देखते हैं कि इतनी मंहगी बिजली देते हैं, जो उद्योगों में नहीं देनी चाहिए । बिजली ट्रिपिंग करते हैं । निश्चित रूप से किसी उद्योग को लगाने में इन चीजों को देखना पड़ता है कि कच्चा माल कहां से आता है, यातायात सुविधायें कितनी हैं, ट्रास्पोर्ट किस तरह का है और इन्फास्ट्रक्चर कैसा है ? लोक सभा में भी यह मामला उठा था, वहां कहा गया था कि हमारा जो जिला है, वहां आज भी रात को लोग सिसकते हैं । हमारे उत्तर प्रदेश में दार्शनिक व्यक्ति पैदा होते हैं लेकिन टेक्निकल जानकारी के लोग कम पैदा होते हैं ।

माननीय, मैं इस बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखते हुए कहना चाहता हूं कि मैं बधाई देना चाहता हूं राकेश शर्मा को जिनको अंतरिक्ष यात्रा में रखा गया, जो सोवियत सहयोग से टेक्निकल जानकारी के आधार पर गये । जापान और आस्ट्रेलिया में आप देखें । अभी आपने अपट्रान की विशेषता बतायी, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जापान में बड़ेचे खेल-खेल में घड़ियां और टेपरिकार्डर बना लेते हैं । मोहन सिंह जी जापान ही आये हैं । मैं भी 1968 में जापान गया था । वहां घड़ियां और टेपरिकार्डर जैसी चीजें आसानी से बन जाती हैं । जिनको यहां बनाने में दिक्कत होती है । हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत से प्रतिभावान इन्जीनियर्स हैं, जिनका यहां पर ठीक तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है, उन्हें बेकार समझकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है । जब वही लोग अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया आदि जगह जाते हैं और थोड़ी सी डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो आप उन्हें प्रतिभावान इन्जीनियर समझने लगते हैं । हमारी बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटीज ने, युनीवर्सिटी ने और कानपुर की आई0 आई0 टी0 ने बहुत सारे प्रतिभावान इन्जीनियर्स प्रोडयूस किए हैं । माननीय मंत्री जी को उनका लेखा जोखा लेना चाहिए ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सोलर इनर्जी और वैकल्पिक इनर्जी के बारे में कहा । जो माननीय मंत्री जी के उद्योग विभाग के मंत्रालय द्वारा होना है, परन्तु माननीय मंत्री जी के पास सिंचाई विभाग का मंत्रालय है । यदि उनके पास ऊर्जा या पावर का मंत्रालय होता है, तो उसके लिए भी सप्लीमेन्टरी होता । माननीय मंत्री जी ने मथुरा रिफाइनरी की एक्सलरीज के बारे में कुछ नहीं सोचा । चुनार की जिस सीमेन्ट फैक्टरी को माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया, उसकी एक्सलरीज के बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं सोचा, उसके लिए वहां पर इसकी कोई यूनिट नहीं है ।

मान्यवर, हम अपने भदोही कालीन के कारखाने को देखते हैं। हमारा प्रदेश भदोही के इस कालीन के कारखाने से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। लेकिन आज तक वहां पर पेयजल की सुविधा नहीं है और न ही वहां पर यातायात के लिए सड़क है। वहां पर, जब हमारे विदेशी भाई, जैसे जर्मन, आस्ट्रेलिया कनाडा आदि आते हैं तो वे लोग हमारे प्रदेश और देश को कुछ नहीं समझते हैं, बल्कि वे लोग हमारे भदोही को लेट्रिन आफ इंडिया कहते हैं। इसकी वजह यह है कि वहां पर गन्दगी से भरी गलियां हैं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी चर्म उद्योग के बारे में बहुत बड़ा दम भरते हैं। जब हम कानपुर को देखते हैं, जहां चमड़े के काफी सामान, जैसे अटैची, जूता आदि बनते हैं। वहां से रुस में चमड़े का निर्यात हुआ। जब यह सामान वहां गया, तो यह बात प्रकाश में आई कि जो माल वहां भेजा गया था। उसकी क्वालिटी बेकार थी, जिसे उन्होंने वहां से वापस कर दिया। हमारे रामनगर (बनारस) में हाथी के दांतों का उद्योग है, बनारस में मिट्टी के बर्तनों का उद्योग है और मुरादाबाद में पीतल के बरतनों का उद्योग है और कानपुर तथा आगरा में चमड़े का उद्योग है। इन सभी को मान्यवर, निर्यात के दृष्टिकोण से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बनारस की साड़ियां भी काफी मशहूर हैं, जो रेशम की बनती है। रेशम वहां पर बहुत कम पैदा किया जाता है, लिहाजा उसे बढ़ाने की ओर ध्यान देने की जरूरत है। आज हमारी बहुत सी चीजें जो परम्परागत थीं, अस्त-व्यस्त हो गयी हैं। हमारे लोहार, कुम्हार और कारीगर, जो आज गांव में रहते हैं, आप उस छात्र से, जिसने आई० टी० आई० की है, काफी कार्य कुशल हैं। आपके कारखाने में, आज जो अप्रेंटिसशिप में काम करते हैं और जिनके लिए आप पैसा देते हैं, मेरा सुझाव है, कि उनके लिए भी ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी जाय ताकि कार्य कुशलता बढ़े।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वरोजगार योजना के लिए बहुत बड़ा दम्भ भरते हैं। आप हाई स्कूल से ऊपर के शिक्षित बेरोजगारों को लोन देते हैं, लेकिन जो हाई स्कूल से नीचे होता है, उसे आप स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लोन नहीं देते। भले ही उसकी उम्र 21 वर्ष और 18 वर्ष हो गई हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि ऐसे व्यक्तियों को भी जिनकी शिक्षा कक्षा आठ से ऊपर नहीं है स्वरोजगार योजना के तहत उन्हें लोन दिया जाय। ताकि वे अपना रोजगार शुरू कर कोई अच्छा काम कर सकें।

मान्यवर, सबसे बड़ी चीज हमारे प्रदेश में ग्रामीण उद्योग है। इस संबन्ध में कहना चाहूंगा कि उद्योग की नीति माननीय मंत्री जी की साफ नहीं है। हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है और एक गांव प्रधान देश है। निश्चय ही गांव के लोग हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। शहर के लोग जो उद्योग लगाये हुए हैं, चाहे वह इंडिस्ट्रयल एरिया गाजियाबाद में हों, बनारस इंडिस्ट्रयल एरिया हो, चाहे रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया हो, वह पैसे का मात्र साधन है। वह चाहे पिकअप से लेते हों, या यू० पी० एस० आई० डी० सी० से लेते हों, वह पैसे लेने का मात्र उनका साधन है। कभी कभी देखते हैं, एक एक लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक लेते हैं। लेकिन तीन लाख का भी उसमें काम नहीं हुआ है और मान्यवर, ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में इनके जो रोजगार के काम किए हैं, वह ज्यादातर बीमार पड़े हुए हैं। यदि उनकी जांच की जाय, तो मैं समझता हूं कि उसमें अधिकतर उद्यमी बिना टेक्नीकल जानकारी के उद्योग स्थापित किए हैं। मैं समझता हूं कि यदि कोई उद्यमी कोई उद्योग स्थापित करना चाहे, तो उसका लोन सैंक्शन करते वक्त उसकी

टेक्नीकल जानकारी को भी देखें । स्वयं आप कहते हैं, आपकी नीति है कि बिजली प्राइवेट सेक्टर में देंगे । यदि आप दोनों चीज बनाये रखना चाहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में भी पैदा करना चाहते हैं, बिजली और प्राइवेट सेक्टर में बिजली पैदा करना चाहते हैं, तो यह एक रस्साकशी का काम है । मैं चाहता हूं कि आप प्राइवेट सेक्टर में दें और उसकी बाबत आप पहाड़ी अंचल मिर्जापुर और बुन्देलखंड के एरिया की जानकारी करें । यह कुछ ऐसे एरिया हैं जहां बिजली पैदा हो सकती है

साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि गाजीपुर की जो पनचक्की है, जो हालैंड और चेकोस्लोवाकिया से आयी है, आप उसकी मशीनरी आदि के बारे में चेकोस्लोवाकिया और हालैंड से एक्सपर्ट मंगाते हैं, जिसमें अत्यधिक व्यय होता है । जबकि मैं कुछ इंजीनियरों का नाम लेता हूं, जो कि इसे ठीक कर सकते हैं । उनमें एक हैं श्री राम मूर्ति जो यहीं के हैं, जिनको पर्याप्त जानकारी है । जिनके मैकेनिकल आइडियाज काफी अच्छे हैं, वह एक साल मुझसे सीनियर थे । वह उस पन चक्की को निश्चित रूप से ठीक कर सकते हैं । एक और नाम लेना चाहूंगा, वह हैं श्री गोपाल त्रिपाठी । यह ऐसा प्रतिभावान व्यक्तित्व है, जो कि तमाम केमिकल्स के बारे में काफी अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन इन लोगों का कुछ राजनीतिक कारणों से, उनका सहयोग नहीं लिया जाता है । उनको अवसर नहीं दिया जाता है । मैं चाहता हूं कि इन प्रतिभावान इंजीनियरों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए, इनको अवसर दिया जाना चाहिए । मिनिरल्स कारपोरेशन की बाबत कहा गया । आप यदि इसकी उपलब्धता के बाबत उत्तरांचल के एरिया को देखें । मिर्जापुर और बुंदेलखंड को देखा जाय, तो पायेंगे कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिनिरल्स हैं । आप वहां मिनिरल बेस उद्योग लगा सकते हैं, और उसके आधार पर निर्यात कर सकते हैं । आप निर्यात प्रोत्साहन दे सकते हैं, जिससे कि आप कम से कम दुनिया में आने माने हो जायेंगे । केवल मिर्जापुर में ही यूरेनियम और कोयला अत्यधिक है । यूरेनियम की बाबत आप ज्यूलोजिकल सर्वे करा लें, वहां के दुद्धी के एरिया में इसकी बहुतायत उपलब्धता मिलेगी । इसकी बाबत कई बार कहा भी गया है, लेकिन उसका कोई विकास नहीं हुआ है । मिनिरल्स के बिना पर आप निश्चित रूप से बिड़ला को बाक्साइट दे देते हैं । वह उसके अल्मुनियम बना देते हैं, उसका उपयोग अल्मुनियम के बर्तनों में करते हैं ।

मान्यवर, आज मिर्जापुर में पीतल उद्योग जिस समय 1947-48 में जब पहले मिर्जापुर में मुरादाबाद के मुकाबले पीतल उद्योग था, लेकिन मिर्जापुर के बजाय आज उद्योग बिड़ला के पास अल्मुनियम का होने के कारण, वहां उद्योगों का ह्रास हो रहा है । आज बहुत से माननीय सदस्य हैं, जिनके घरों में अल्मुनियम के बर्तन जस्ते के बर्तन उपयोग में नहीं लाये जाते हैं, फूल-पीतल बर्तन उपयोग में लाये जाते थे, लेकिन अब ज्यादातर अल्मुनियम के बर्तन प्रयोग में लाये जाते हैं । लेकिन इससे बिड़ला का आपकी मुद्रास्फीति पर कितना असर है, रुपये की कीमत 20 पैसे बिड़ला के अल्मुनियम के पैसे की हो गयी है रुपये पर बीस पैसा का असर है । जन संख्या की दृष्टि से यदि देखा जाय तो यह 16 प्रतिशत जनसंख्या देश की उत्तर प्रदेश में बसती है, तो हमारे उद्योगों पर 16 प्रतिशत खर्च करना चाहिए । लेकिन केवल 5.6 प्रतिशत इस पर खर्च कर रहे हैं । पहले तो यह 4.5 प्रतिशत था, अब यह बढ़ा, आप तरक्की कर रहे हैं । उद्योगों के बिना आप निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ पायेंगे । कृषि पर आधारित उद्योग लगने चाहिये, ग्राम के आधार पर उद्योग लगें । आपने कहा था कि हर न्याय पंचायत में एक

उद्योग देंगे आपने घोषणा किया कि 2 लाख रुपए तक का कोई उद्योग गांव में देंगे। लेकिन, मैं चार वर्ष से विधायक हूं, मुझे मालूम नहीं है कि हमारे गांव या इलाकों में कोई उद्योग स्थापित हुआ है, तो किस प्रकार से आप उद्योग लगा रहे हैं। उद्योग नीति आपकी कुछ डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज कानपुर के निदेशालय से चलकर सामान्य प्रबन्धक, जो जिले में हैं, उनके बीच के मायाजाल में फंसी हुई है। उसी तरीके से पड़ी हुई है, जिस तरीके से नौकर-शाही के बीच में जो दिक्कतें पड़ी हुई हैं, कोई उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है।

मैं महसूस करता हूं कि जिस जगह पर आप फैक्ट्री लगायें, सार्वजनिक क्षेत्र के स्थानीय लोगों को नियुक्ति जरूर करें, जिनकी जमीन ली गयी है। मैंने कई बार आपके मंत्री जी से कहा कि चुनार सीमेन्ट परियोजना में, आस-पास के ग्रामों की जमीन ली गयी। 23 जून, 1980 को, जिस दिन संजय गांधी का निधन हुआ, आपने अखंड प्रताप सिंह को डायरेक्टर बना लिया है और स्थानीय लोगों को निकाल दिया। 23 लोगों की छंटनी कर दी गयी और उनको नियुक्ति नहीं दी गयी। यह जो उद्योग और श्रमिक विवादों का ढांचा है, गलत है, इससे उत्पादन पर असर पड़ता है। यदि आप सीमेन्ट के उत्पादन को लीजिये तो मैं समझता हूं कि सीमेन्ट और बिजली का उत्पादन जो आप करें, तो उसको अगर प्राइवेट सेक्टर में देंगे तो रस्साकशी होगी। खाद जो प्राइवेट सेक्टर में आती है, तो जो खाद नाइट्रोजन, नमक और अमोनिया गैस से बनती है, उसकी कीमत 165 रुपये प्रति बोरा है। उसकी कीमत केवल 20 रुपये बोरा होनी चाहिये या अधिक से अधिक 30-40 रुपये होनी चाहिये। लेकिन यह जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं हरी फर्टीलाइजर्स और साहू जैन फर्टीलाइजर्स, जिनकी पर कैपिटा इन्कम अरबों रुपये में है। जैसे टाटा और बिड़ला की है। आचार्य रजनीश की तरह आपका भी है कि पूंजपति, यदि पूंजी नहीं लगायेगा तो विकास कैसे होगा। आज अचार्य रजनीश का प्रश्न पूंजीवाद का धोखा मात्र है। इन्दिरा गांधी का वह लक्ष्य भी आप पूरा नहीं कर पाते और 20 सूत्रीय कार्यक्रम का ढिंढोरा पीटते रहते हैं।

एकीकृत ग्रामीण रोजगार योजना में जो आप कहते हैं कि समन्वित विकास करेंगे, तो गांव से शहर की ओर विकास करने के लिये वर्गीकरण ढांचे के आधार पर काम करना चाहिये। आपने उद्योग बन्धु की स्थापना की और हाई पावर कमेटी बनायी, समय-समय पर समीक्षा होती है लेकिन सक्रिय रूप से योगदान न देने पर ऐसा लगता है, कि उद्योग विभाग, के अतिरिक्त बिक्रीकर विभाग बन विभाग और तमाम विभाग जैसे बिजली विभाग को रखा, जिससे उद्योगों को राहत मिलने की गुंजायश हुई। लेकिन ऐसी कमेटी रखी, जिसकी समय-समय पर मासिक मीटिंग न होने के कारण दिक्कत होती है। उत्तर प्रदेश का उद्योग और देशों की तुलना में बहुत पीछे है। यदि उत्तर प्रदेश के उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उद्योग निदेशालय से लेकर जो जनरल मैनेजर हैं, इन लोगों को कम से कम ग्रामीण आधार पर उद्योगों को देखना पड़ेगा। कृषि पर आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योग, जैसे भूसी से दफ्ती बनाना, पुआल से कागज बनाना, यूकिलप्टस से कागज बनाना आदि ऐसे उद्योग हैं साबुन बनाने का काम, बिजली के बम्ब बनाने का काम, टूथपेस्ट इत्यादि बनाने का काम तथा और दूसरी चीजें भी बना सकते हैं।

प्राइवेट सेक्टर के आधार पर आप कहते हैं कि हम चीजों को सस्ता करेंगे। अपट्रान टी० वी० को सस्ता करेंगे। मेरी जानकारी में ऐसे केसेज हैं कि इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डस

ने बड़े-बड़े पूंजीपतियों के सामने अपना उद्योग स्थापित किया, लेकिन कुछ समय बाद उनका उद्योग घाटे में पड़ गया। और बड़े-बड़े उद्योग बड़े-बड़े पूंजीपतियों को देते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि कुछ कैटागरोवाईज कर लीजिए कि कौन-कौन से उद्योग किन-

(3 बज कर 20 मिनट पर)

किन लोगों को देने हैं। ताकि इससे छोटे उद्योग स्थापित करने वाले लोग, टेक्निकल हैंड, इंजीनियर्स डिप्लोमा होल्डर्स में असमानता न हो और यह लोग भी प्रगति के रास्ते पर हमारे साथ आगे आयें इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं।

*श्री सुन्दर सिंह--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आज के उद्योग ग्रांट बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आज बहुत ही महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तुत किया है। मान्यवर, प्रदेश के इतिहास में इतना अच्छा वातावरण उद्योग क्षेत्र में कभी नहीं बना, जितना कि इस समय बना हुआ है। मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव के रूप में भाई यदुनाथ सिंह जी ने बहुत ही अच्छा और रचनात्मक सुझाव दिये हैं। यह सुझाव वास्तव में विचारणीय हैं। हम लोग ऐसे क्षेत्र से आते हैं, जो उद्योग क्षेत्र में बिल्कुल शून्य है और दूसरी बात जो, मैं मुख्य रूप में कहना चाहता हूं, वह यह कि आज पश्चिमी प्रदेश और पूर्वी प्रदेश में उद्योग क्षेत्र में बहुत असमानता है। पश्चिमी क्षेत्र लगातार इस ओर विस्तृत होता जा रहा है, क्योंकि वह दिल्ली पंजाब और हरियाणा के उद्योग क्षेत्रों से सम्बद्ध है, इसलिए वह लगातार प्रगति इस ओर करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा पूर्वी प्रदेश इस प्रकार के उद्योगों से बिल्कुल वंचित है, परन्तु आज माननीय मन्त्री जी द्वारा इस घोषणा को सुनकर प्रसन्नता हुयी कि जो भी उद्योग शून्य जिले हैं उनमें उद्योग लगाने के प्रयास किये जायेंगे। इसके लिए माननीय मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की जो जनपद नेचर प्रोडक्ट्स से भरपूर हैं या जिन जनपदों में खनिज उपलब्धता की सम्भावनाएं मौजूद हैं, उन स्थानों पर उद्योग स्थापित करने में प्राथमिकता दी जायेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले बहराइच की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। जहां पर फारेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, जहां पर कागज का कारखाना लगाने पर विचार करने की कृपा करें, ताकि इससे वहां के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा, हजारों लोगों को। मान्यवर, विधानसभा क्षेत्र कैसरगंज की 8 लाख की आबादी है, जो लोक सभा और विधान सभा चुनाव क्षेत्र जहां पर जरवल रोड शुगर मिल है और इसने स्टेट कारपोरेशन के तहत एक यूनिट और तैयार की है। इसके अलावा और वहां पर कोई उद्योग नहीं है। इसलिए जरवल रोड और जरवल टाउन एरिया को मिलाकर इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया जाए। इससे यह होगा कि जो इससे मिले हुए जनपद हैं, बाराबंकी और गोंडा आदि। इससे जनता को भी लाभ पहुंचेगा और वहां की जनता यह समझेगी कि अब हमारे यहां इस ओर प्रगति होगी, ऐसी आशा की जायेगी और जैसा कि कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने बहुत सी बातें बतायीं और सुझाव दिये, लेकिन यह एक ऐसी चीज है, जिसका पूरा ढांचा तैयार करने में और उद्योग को विकसित करने और स्थापित करने में काफी समय की आवश्यकता होती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात तैयार कर लिया जाए। यह बात माननीय मन्त्री जी को बहुत सही है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री ने पहली बार हर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक विधायक से एक सूची मांगी कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

5 ऐसे कार्यकर्ताओं के नाम बताये जो उद्योग के उत्थान में, व स्थापित करने में रुचि रखते हों, तो वह सूची हम लोगों ने उपलब्ध करायी और उस सूची का प्रकाशन भी माननीय मन्त्री जी ने करा दिया ।

(शोर)

मान्यवर, स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत हमारे माननीय मन्त्री जी ने और हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने बराबर प्रयास किया है, जिससे कि पूरे प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बना है । चाहे वह पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के जिले हों, चाहे सुल्तानपुर और रायबरेली या बांदा जिला हो, सब जगह पर औद्योगिक वातावरण बना है और आई० आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत, हमारे प्रदेश ने तरक्की की है । आई०आर० डी० स्कीम के अन्तर्गत पहले 100 परिवारों को लाभान्वित करने की बात थी । 1982–83 में इसमें 200 परिवारों की बात की गयी और अब 1983–84 में इसके अन्तर्गत 300 परिवार की योजना है । इस प्रकार से हमारे प्रदेश के दो-तीन लाख आदमी इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया, आप बठिय ।

श्री सुन्दर सिंह—

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि खनिज से सम्बन्धित स्कीम हमारे क्षेत्र में भी लागू की जाय ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, सरकार का जो यह बजट मन्त्री जी ने पेश किया है, तो उससे हमें बहुत दुःख है क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने कोई नीतिगत घोषणा इसमें प्रदेश की तरक्की के लिये नहीं की है । न तो उन्होंने कोई पारस्परिक उद्योग लगाने की और न उत्पादन बढ़ाने की बात कही है । इसमें बस रुपए खर्च करने की बात कही गयी है, जिससे कि न प्रदेश के कोई नियोजन की प्रगति होगी और न उत्पादन बढ़ेगा ।

इस सरकार की एक बहुत बड़ी मुकम्मल लापरवाही मैं कहूंगा कि जब संविद सरकार थी, तो मंसूरी और देहरादून में जो फास्फेट की खानें थीं, उनके विदोहन के लिये सरकार ने कोशिश की थी । लेकिन बाद में सरकार गिर गयी तो बात वहीं की वहीं रह गयी । आज इस बात के चार साल हो गये हैं और हमारे प्रदेश में फास्फेट, पोटाश बाहर से हम मंगा रहे हैं । उत्तर प्रदेश में इतने काम के खादान हैं, लेकिन उनके विदोहन के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । इससे हमारा देश स्वावलम्बी हो सकता था, लेकिन यह सरकार की मुकम्मल लापरवाही इसमें रही है । अगर ये कहें कि ऐसी बात नहीं है, तो इसे मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । ये चाहे जितनी सफाई दें, लेकिन मुझे सरकार की इस नीति से बहुत परेशानी है ।

आप उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये अनुदान देते हैं और ऋण भी देते हैं । ऋण देने की बात तो सही है, परन्तु आप जो अनुदान देते हैं किसी रूप में, उस पर आप पांच साल तक टैक्स नहीं लेते हैं और उसका परिणाम यह हो रहा है कि जिन उद्योगों को अनुदान मिलता है उसे मुनाफ में शान कर डेवीडेन्ड बना देते हैं । लगातार इस देश में पूंजीवाद का विकटतम स्वरूप हिन्दुस्तान में मिलता है । उत्पादन घट रहा है और उत्पादन घटा-कर काला बाजार में वे पैसा कमाते हैं । जितनी मिलें हैं, बीमार हैं, चलायी नहीं जा रही हैं । इस साल भी 7 चीनी मिल बीमार हुईं । पूंजीपतियों को सरकार अनुदान देती है और इससे मशीनरी का अवमूल्यन होने लग जाता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं और वे लोग काला धन कमाने में लग जाते हैं । होता यह है कि मशीनरी की खराबी के कारण उत्पादन रुक जाता है, पैसा नहीं रह जाता है । यह अवमूल्यन से पैसा नहीं रहता है और वे लोग कह देते हैं कि मिल बीमार है और इसको अब सरकार चलाये । तो लगातार बीमार मिलों की संख्या बढ़ती जा रही है । सबसे पहले मिलों का लगाना बंगाल में शुरू हुआ था, बंगाल में सबसे ज्यादा बीमार मिलें हैं ।

मान्यवर, बीमार मिलों का इलाज है, सरकार घोषणा करे कि जो भी अनुदान दिया जायेगा, या मान लीजिए कि 5 साल तक टैक्स से छूट दी गयी, यह सारा धन मशीनरी के खाते में जमा किया जायेगा । जो मशीन की अवमूल्यन निधि होगी, वह मिल मालिकों के खर्च में न जाये, वह मशीनरी के खाते में जाये । तो मान्यवर, दोनों प्रकार की निधियां एक तो अवमूल्यन निधि और दूसरी जो अनुदान तथा अन्य छूट से रकम प्राप्त होती है, दोनों को कर्मचारियों की भविष्य निधि की तरह से बैंक में जमा कर दिया जाना चाहिए और वह रकम मिल मालिक निकाल न सकें । मिल मालिक करते यह हैं कि जो अवमूल्यन किया जाता है, उसको बैंक में जमा नहीं करते हैं और उसको अपने निजी प्रयोग में ले आते हैं, खर्च अधिक दिखा देते हैं, इसीलिए घाटा दिखाया जाता है, आप यह सारा रुपया बैंक में जमा कर दें और जब एक मशीनरी खराब हो, तो उसी रुपये से दूसरी मशीनरी लगायी जा सकती है । आप कल्पना करें कि ऐसा करने से उद्योग नहीं लगेंगे, तो मैं कहता हूं कि उद्योग सरकार लगायेगी । अगर सरकार के पैसे से उद्योग चलाना है तो वह लगायेगी । मिल मालिक नाजायज फायदा उठाकर पैदावार कम करते हैं और जब पैदावार कम होती है, तो काला बाजारी में वह उत्पादन चला जाता है और उनको ब्लैक में बेचने का मौका मिलता है ।

मान्यवर, अभी रसायन मन्त्री का वक्तव्य अखबार में आया है कि 20 साल पहले 31 अरब रुपया काला धन के रूप में था और अब वह 5 खरब काला धन हो गया है, जो हमारी राष्ट्रीय आय का आधा है । हमारा काला धन बढ़ता चला जा रहा है । आपका जो उपक्रम है वह काला धन बढ़ाने का है । आप रुपये को बैंक में जमा करें और जब मिल बीमार हो जाये तो उसी पैसे से, उसी निधि से, मिल पूरी तरह से नयी की जा सकती है ।

मान्यवर, अब मैं एक बात ग्रामीण उद्योग धन्धों की ओर कहना चाहता हूं । हमारे ग्रामीण उद्योग धन्धे पनप रहे हैं, लेकिन बिक्री का कोई प्रबन्ध नहीं है । आदमी उत्पादन तो कर सकता है, पीतल चमड़ा की चीजें बना सकता है, लेकिन बेचने का उनके पास कोई जरिया नहीं है, जो बिचौलिया होता है, वह अधिक फायदा उठाता है और उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों का शोषण करता है । इसी कारण उद्योग ठीक तरह से पनप नहीं रहे हैं । आप कालीन के उद्योग को ले लीजिए । यह उद्योग इसलिए नहीं पनप रहे हैं, क्योंकि उनका बाजार नहीं है । छोटे-छोटे उद्योग जो हैं उनके उत्पादनों पर आप क्वालिटी की, मुहर लगा दें और आप स्वयं उन चीजों को बेचें, तो यह उद्योग बढ़ सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

(डाक्टर बी० के० मिश्र का नाम पुकारे जाने पर) मान्यवर, क्या बी० के० मिश्रा जी पीके आये हैं ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

माननीय सदस्य को पीने का शौक है तो मैं उन्हें पिला रहा हूं—

साकी की हर निगाह में बल खा के पी गया,

लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया ।

बेकफियत के खौफ से घबरा के पी गया ।

तौबा को तोड़-ताड़ के थर्रा के पी गया ।

माननीय उद्योग मन्त्री जो ने जो उद्योग विभाग का बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं । मान्यवर, उद्योग के नाम पर विगत वर्षों में जो उपलब्धि हुई है वह आज के आंकड़ों के मूल्यांकन करने के बाद मालूम होगा कि उद्योग के क्षेत्र में हम दो वर्षों में कितनी परा-काष्ठा पर पहुंच गये हैं । इसकी जानकारी प्रत्येक सदस्य को है, कहने की बात नहीं है ।

मान्यवर, मैं खास तौर से माननीय मंत्री जी का ध्यान पूर्वांचल की तरफ और खास करके देवरिया जिले की ओर ले जाना चाहूंगा । मान्यवर, देवरिया में सैकड़ों वर्षों से चीनी उद्योग लगा हुआ है । वहां पर 10/12 चीनी उद्योग लगे हुए हैं । जब भी देवरिया में कोई उद्योग लगाने की बात कही जाती है, तो यह कहा जाता है कि वहां पर इतने चीनी उद्योग लगे हुए हैं, इसलिये कोई दूसरा उद्योग नहीं लगाया जाता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि जहां उत्तर प्रदेश को आप उद्योग के क्षेत्र में एक पराकाष्ठा में ले जा रहे हैं, वहीं देवरिया जिले की तरफ भी आप ध्यान दें । मान्यवर, चीनी उद्योग से खोई पैदा होती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके लिये आप वहां पर एक पेपर मिल लगा दें, तो मैं समझता हूं कि इससे देवरिया की गरीब जनता की जो प्राबलम है, वह साल्व हो जायेगा ।

दूसरी तरफ मैं यह भी आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हथ-करघा उद्योग के क्षेत्र में देवरिया और खास तौर पर मेरे क्षेत्र पडरौना में जहां पर बुनकरों की संख्या 80 प्रतिशत है, वहां पर कोई उद्योग उनके लिये स्थापित नहीं किया गया है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पडरौना में बुनकरों की समस्याओं के समाधान के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि वहां पर हैंडलूम का एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाय । जिससे वहां के बुनकरों की समस्या हल हो सके । दूसरी तरफ विगत दो वर्षों में एक खादी ग्रामोद्योग विभाग था, जिसका हम नाम सुना करते थे । लेकिन उसका दुर्व्यवहार इतनी चरम सीमा पर हो गया था कि उसके अन्दर काम करने वाले कुछ लोग उसको इतने गलत रास्ते पर ले गये कि उसको लाखों रुपया कर्ज के रूप में दे दिया गया । हजारों रुपय डिस्ट्रिब्यूट हो गया, लेकिन कहीं पर भी कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ । आपके कार्यकाल में इस खादी ग्रामोद्योग में बड़े-बड़े उच्च अधिकारी रखे गये थे वे आज फल-फूल रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पडरौना जिला देवरिया में खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से गरीबों के लिये कोई उद्योग स्थापित करने की व्यवस्था की जाय, जिससे यह क्षेत्र भी तरक्की कर सके । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पर 80 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं । मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यदि देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और मुख्य मंत्री, श्रीपति मिश्र की हुकूमत गरीबों को प्रोत्साहन देना चाहती है, तो निश्चित रूप से उद्योग के क्षेत्र में कुछ नये क्रांतिकारी कदम उठाये जायं, जिससे प्रदेश के लोग लाभान्वित हो सकें । मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री थम्मन सिंह गहलौत--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे उद्योग विभाग पर चल रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हू कि माननीय मंत्री जी ने घोषणायें तो बहुत सी की हैं, परन्तु किसी भी घोषणा पर कोई अमल हुआ हो, यह नहीं दिखाई पड़ा।

मान्यवर, बिजनौर में इधर 3/4 सालों में कोई उद्योग नहीं लगा। माननीय मंत्री जी कहां से इस विभाग के लिये समय निकालते हैं, यह बात समझ में नहीं आती है। सिंचाई विभाग पहले ही एक बड़ा भ्रष्ट विभाग है, बहुत भारी विभाग है, उसी को नहीं देख पाते हैं तो उद्योग विभाग को भी वे कैसे देख पायेंगे। उनके पास दो-दो विभाग हैं और उनके साथ जो एक छुटका मंत्री दिया गया है, उनके पास उन्होंने कोई काम नहीं दिया है। वे बेकार हैं। अभी पिछले दिनों वे एक दौरे पर बाहर गये हुये थे। वहां जाकर उन्होंने किसी गेस्ट हाउस में एक अर्दली से पैर दबाने के लिये कहा, तो उसने मना कर दिया। इसी पर वे उसकी पिटाई करने लगे। क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिये उनके दिमाग में खुराफात पैदा होगी ही। मान्यवर, मैं समझता हूं कि सवा तीन सौ संख्या वाला, जो आपका दल है, उसमें आपको कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आया कि जिसको आप कैबिनट स्तर का मंत्री बना सकें और उसे उद्योग विभाग दे सकें। या सिंचाई विभाग ही दूसरे को दे सकें, अपने पास उद्योग विभाग रखें। ऐसा कोई आपको नजर नहीं आया। मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं कि जिला बिजनौर को आपने औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिला घोषित कर रखा है, जब कि वह पिछड़ा जिला घोषित होना चाहिए। वह कौन सा ऐसा मापदण्ड है यह हमारी समझ में नहीं आता है।

एक और बात कहना चाहता हूं, औद्योगिक विकास में असंतुलन पैदा होने लगा है, प्रदेश में उसे रोका जाना चाहिये। हमारा जिला बिजनौर जो है, उसकी सीमायें नैनीताल जिले से मिलती हैं। हम यह देखते हैं कि एक साल में दो बड़े उद्योग नैनीताल में लग जाते हैं। चाहे कपड़े का हो, चाहे दिया सलाई का हो, या ट्रांजिस्टर का हो, या रेडियो का हो या फोटो बनाने का हो, तो वह सब नैनीताल में जरूर लगेगा, क्योंकि उसमें एक महान विभूति पैदा हो गये हैं, श्री नारायण दत्त तिवारी, जो केन्द्र में उद्योग मंत्री हैं। चूंकि वह केन्द्र में उद्योग मंत्री हैं, इसलिए सारे उद्योग उनके जिले में लगेंगे। यह कहां की ईमानदारी है, यह कहां का न्याय है। इससे स्वाभाविक है कि प्रदेश में असंतुलन पैदा होगा। इस मामले में माननीय मंत्री जी ध्यान दें।

दूसरा उद्योगों में जो पूंजी लगा रहे हैं, वह बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, उनके नियंत्रण में यह हैं। इस पर भी सावधानी से ध्यान देने की आवश्यकता है। जो सरकार की रिपोर्ट है, उसमें अपने जवाब में कहा है कि केवल 1·60 पैसे लगाकर बिड़ला परिवार ने देश की 100 रुपये की पूंजी पर नियंत्रण कर रखा है, यानी देश की 98·40 पैसे की पूंजी 1·60 पैसा लगा कर हड़प किये हुए हैं। तो उसका कारण यह है कि जब इस तरह से गैर जिम्मेदारी से पैसा आता है तो आदमी उसे बुरी तरह से फूंकता है। मैंने पिछले साल भी कहा था याद होगा कि हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़े पूंजीपति मोदी जी हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जहां उनकी कोठी है और मोदीनगर में कारखाना है। उनके पास बहुत बड़ी पूंजी है। दिल्ली से मोदीनगर मुश्किल से 45 मिनट तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रास्ता कार में है। लेकिन मोदी जी जब मोदीनगर आते हैं तो हेलीकाप्टर में आते हैं। सुबह आते हैं और शाम को हेलीकाप्टर से वापस जाते हैं। तो यह अय्याशी किस के पैसे पर करते हैं? यह उत्तर प्रदेश के आम गरीब आदमी के पैसे पर करते हैं। अपनी जेब से नहीं करते हैं। अगर सरकार कानून बना दे कि जो उनके मुनाफे का पैसा मिलता है, उसमें से खर्च करें, तो कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक इस पर नियंत्रण होना कठिन है। अभी जो बात माननीय वर्मा जी ने कही, उसे संक्षेप में कहना चाहता हूं, जो बीमार मिलें हैं, उनके बारे में नीति बनानी चाहिए। जो उद्योगपति पैसा लेकर खा जाय या अपने पास उस पैसे को रख ले तो उस उद्योग को सरकार अपने हाथ में न ले। उस उद्योग की नीलामी होनी चाहिये और जो लेना चाहे ले ले और अपना पैसा लगाये। सरकार अपने पैसे से उसे न चलाये। एक बात संक्षेप में कहना चाहता हूं, एक खबर जो अखबारों में आई है कि एक साधारण मिस्त्री ने एक ऐसे पम्प का आविष्कार किया है, जो बैलों से चला कर साढ़े 13 हजार गैलन पानी प्रति घंटे निकालेगा। उसकी अखबारों में फोटो भी आई है, सरकार ने उनको कुछ सहूलियत दी है। यह सच है, इंजीनियर्स के पास तो सुविधायें हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को विकास का अवसर मिलना चाहिये। आपने चूंकि दो बार लाल बत्ती जला दी, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

(श्रीमती पुष्पा चौहान का नाम पुकारने पर और उनके द्वारा बोलना आरम्भ करने पर) आपका माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है। माइक के प्रभारी अधिकारी जो हैं उनको यह देखना चाहिये। आप आगे माइक पर आकर बोलें।

श्रीमती पुष्पा चौहान--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का समय दिया और मैं उसका हार्दिक समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। लेकिन यह भी कहूंगी कि कटौती का प्रस्ताव एक बहुत स्वस्थ और उपयुक्त तरीके से आया है, जिस तरीके से आना चाहिए वैसा आया है। उससे यह जाहिर हुआ है कि प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ खामियां हैं, किन्तु ऐसा नहीं है कि कहीं काम नहीं हो रहा है। तो माननीय यह इतना बड़ा प्रदेश है कि कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। लेकिन सदन के पटल पर कोई चीज रखने का अधिकार सब को है, इसलिये इस तरह का जो सुझाव दिया है, तो वह सही दिया है। मान्यवर, एक-आध सदस्यों ने इधर-उधर की बातें कहीं कि मंत्री जी के पास एक नहीं दो-दो विभाग हैं। तो यह अपनी-अपनी कार्य-कुशलत और क्षमता पर है। कोई एक विभाग का काम कर सकता है और कोई एक नहीं, दो नहीं, 10 विभागों का काम कर सकता है। मैं समझती हूं कि एक माननीय सदस्य होने के नाते यह माननीय सदस्य तो एक सदस्य का कर्तव्य नहीं निभा पाते हैं, कि इस तरह से सुझाव दें जिससे कि प्रदेश की तरक्की हो सके।

मान्यवर, मैं सोच रही थी कि अलीगढ़ जिला 'ए' श्रेणी में 'बी' श्रेणी में और 'सी' श्रेणी में आयेगा किन्तु कहीं नहीं आया, लेकिन पेट्रो-केमिकल अलीगढ़ जिले को मिला है, इसलिए सभी कमी पूरी हो जाती हैं और मैं इसके लिए मंत्री जी की आभारी हूं कि वह पेट्रो-केमिकल को शुरू करने के प्रयत्न में हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगी कि जो जमीनें वहां ली जा रही हैं, जिससे जनता, वहां की इंतजार कर रही है कि उनके लिये कोई विशेष नियम घोषित करें, जिससे वह

अनिश्चितता की स्थिति में न रहें और उन्हें मालूम हो सके कि उनकी कमी पूरी होगी चाहे नौकरी के रूप में या किसी रूप में लेकिन सुविधा अवश्य मिलेगी । जैसे जिसकी रसोई में खाना पकता है और जहां उसकी खुशबू फैलती है तो पहले उस रसोई घर के लोगों को खाना मिलना चाहिए किन्तु खाना न मिलने पर जो स्थिति होती है, वैसी स्थिति वहां के लोगों के साथ न हो और वह लोग नौकरी से रह जायं । तो यह न्यायसंगत नहीं होगा । इसलिए वहां के निवासियों को पेट्रो-केमिकल में नौकरी पहले मिले और बाद मे दूसरे लोगों के लिये सोचा जाय । मान्यवर, हमारे प्रदेश में टेक्निकल कोई कारखाना न होने से इंजीनियर बम्बई और बड़ौदा नौकरी के लिये चले जाते हैं, इसलिये जब यहां कोई कारखाना टेक्निकल खोलें तो सबसे पहले यहां के जो इंजीनियर बाहर काम कर रहे हैं, उनको वरीयता के आधार पर बुलाकर नौकरी दी जाये ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र सिकन्दराराऊ में एक समय में विश्व में सबसे ज्यादा गुलाब होते थे और इस समय भी वहां हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गुलाब हो रहे हैं, लेकिन छोटे और बड़े किसानों को सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है । इसलिये वहां के इलाके को विकसित किया जाये और किसानों को राहत दी जाये ।

मान्यवर, हमारे यहां पुरदिलपुर में कांच का सामान बनता है । वहां विदेश से महिलाओं और पुरुषों को सामान लेते देखा गया है और वहां का सामान बाहर भेजा जाता है, किन्तु प्रदेश सरकार की तरफ से वहां कोई राहत नहीं है । इसलिये निवेदन है कि इन दोनों स्थानों की तरफ सरकार कुछ राहत देने के सम्बन्ध में ध्यान दे, जिससे यह क्षेत्र विकसित हो सकें । इन शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

(श्री मुहम्मद आजम खां का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर कल इसी पीठ से एक व्यवस्था हुई थी । कल संसदीय कार्य मन्त्री ने कहा था कि इस पीठ से अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि एक वर्ग महिलाओं का है और एक वर्ग श्री हरदेव और श्री जसवन्त सिंह विष्ट का है, तो इस जवाबी कीर्तन में श्री विष्ट को समय देना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

एक वर्ग श्री श्याम लाल वाजपेयी जी का भी है, जिसमें उनका ध्यान है ।

(श्री मुहम्मद आजम खां का नाम पुकारे जाने और खड़े होने पर)

श्रीमती सुमनलता—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । महिलायें और विष्ट जी एक श्रेणी में हैं, तो वाजपेयी जी किस श्रेणी में हैं, इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें ?

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मैं अखाड़े वाली श्रेणी में हूं, जिस किसी से जब चाहिये, किसी दिन हमारी टक्कर करा दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव--

वाजपेयी जी की भी वही श्रेणी है ।

श्री अधिष्ठाता--

दो श्रेणियों के अलावा एक तीसरी श्रेणी भी है, जिसमें वाजपेयी जी आते हैं, इसका ध्यान रखिये ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

माननीय, मैं कटौती का प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और यह कहना चाहता हूं कि जितने अच्छे सुझाव माननीय सदस्य ने कटौती के रूप में पेश किये हैं के हक में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। कम हो सदस्यों को ओर से आजतक ऐसे सुझाव आये हैं। क्योंकि प्रदेश को बेहतर समस्याओं पर बड़ी संजीदगी के साथ माननीय यदुनाथ जी ने कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखे हैं और कई अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं।

मैं केवल अपने जिला रामपुर के बारे में बताना चाहता हूं। यह सही है कि हैवी इन्डस्ट्रेलाइजेशन से किसी मुल्क का उद्धार नहीं हो सकता है। जो खुद अपनी जिन्दगी में हिन्दुस्तान के सीने पर फौलाद का बोझ बढ़ा चुके थे और इस सरकार ने भी इनको माना है। लेकिन जब तक छोटे उद्योग नहीं लगेंगे, इस प्रदेश का और इस देश का भला नहीं होने वाला है। छोटे उद्योग से हमारा मतलब छोटे आदमियों के उद्योग से है और छोटे आदमी से हमारा तात्पर्य है, जिसके हाथ में कोई दस्तकारी नहीं है, कोई कारीगरी नहीं है जो केवल अपने दो हाथ से काम करना चाहता है। हम प्रदेश में जो भी उद्योग लगायें, हमारे सामने यह बुनियादी मुद्दा रहना चाहिये कि हमारे प्रदेश की भारी जनसंख्या ऐसे लोगों की है, जिनके पास केवल दो हाथ हैं, कोई दस्तकारी नहीं है, कोई तालीम नहीं है, कोई टेक्निकल उपाधि नहीं है, जिससे वह अपने बच्चों के लिये रोटी रोजी कमा सकें।

मैं एक ऐसे ही अपने शहर की बात कर रहा हूं। वहां पर रियासत के जमाने में भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी और रियासत के खत्म होने के बाद बहुत सी इंडस्ट्रीज खत्म भी कर दी गई। नवाबों का यह शहर पूरे प्रदेश अलग हालत का शिकार रहा। हमारा शहर दोहरी गुलामी में मुबतिला रहा। एक तो अंग्रेजों का दूसरा नवाबों का। अंग्रेजों के चले जाने के बाद आज भी 36 साल से वह उसी खानदान का नवाबजादा, अंग्रेजों का दलाल, खानदान का फर्द एम० पी० है, जो उस साजिश और गरीब को गरीब रखने का मुजरिम है। आज वहां पर ऐसे-ऐसे लोग इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश को सुअर और गाय की चर्बी खिलाई है। यानी जैन ब्रदर्स जिन्होंने हमारे रामपुर में शिवा पेपर मिल्स नाम का कागज का एक कारखाना लगाया है। मैं उसके उस कागज के कारखाने पर कोई एतराज नहीं कर रहा हूं। बल्कि सरकार की बन्द आंखों को खोलना चाहता हूं। इस इंडस्ट्री में डेढ़ साल तक दरवाजों में ताला डालकर काम होता रहा, कागज बनता रहा, परन्तु उसने यही कहा कि यह फैक्ट्री बन्द है, यहां कोई काम नहीं हो रहा है। जबकि उसमें बराबर काम होता रहा और कागज बनता और बिकता रहा। उसने इस तरह से उत्पादन को छिपाकर, टैक्सों की तमाम चोरी करके भारी मुनाफाखोरी की है। इससे सरकार को और प्रदेश की जनता को भारी माली नुकसान हुआ है। इस समय में वह कागज बनाकर काले बाजार में बेचता रहा है। हमारी घोर आपत्ति है इस पर। रामपुर में हैवी इंडस्ट्रीलाइजेशन हो रहा है। टाटा, बिड़ला और मोदी वहां पर आ रहे हैं।

हमारे यहां विमको बरेली की एक शाखा रामपुर में और लगा दी गई है। इस कारखाने में उन लोगों को कोई काम नहीं दिया गया है, जिनकी जमीन ली गयी। जबकि कहा गया था और यह सरकार की नीति भी है कि जिनकी जमीन ली जाएगी, उनको उस कारखाने में काम दिया जाएगा। लेकिन वहां हर उसमें जो स्टाफ रखा है, उसमें कोई भी व्यक्ति रामपुर का नहीं है। यहां तक कि जो चौकीदार

रखा गया है, वह भी वहां का नहीं है। बल्कि बरेली से वह एक-एक हफ्ते के लिए लाया जाता है। यह पूरे सूबे का सबसे ज्यादा मजलूम शहर है। वह अकेली नहीं, दोहरी गुलामी में रहा है। वह अंग्रेजों और नवाबों दोनों की गुलामी में रहा है। आज भी वहां का नवाबी खानदान जबरन वहां के रहने वालों को सर झुकाने के लिए मजबूर करता है। आज भी हमारे यहां के लोगों को योजनाबद्ध तरीके से भूखे रखा जाता है। इस विमको फैक्टरी में चौकीदार तक बरेली से बुलाया गया है। कोई भी आदमी रामपुर का नहीं रखा गया है। मान्यवर, जो मोदी का कारखाना लगने जा रहा है, उसमें सैकड़ों बीघा जमीन जबरदस्ती गरीब किसानों की छीन ली गयी। गरीब लोगों को जमीन से बेदखल कर दिया गया। उनको, जमीन लेते वक्त, यह कहा गया था कि तुम लोगों के हर परिवार का एक-एक सदस्य उस कारखाने में लिया जायेगा और उसको गुलजिर रखा जायेगा। मगर किसी को नहीं लिया जा रहा है। ऐसे कारखाने जो जमीन पर बोझ बने हुये हैं, जो गरीबों की जमीन छीन रहे हैं, जो लोगों को काम नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कारखानों की जरूरत नहीं है।

श्री बुद्धू सिंह चौहान--

मान्यवर मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय यदुनाथ सिंह ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुये बहुत से निश्चित तौर से रचनात्मक सुझाव भी दिये हैं। माननीय उद्योग मंत्री जी के सफल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में इस उद्योग विभाग ने कई क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं और काफी प्रगति की है। आपके ही नेतृत्व में ग्रामोद्योग भाइयों को, बेरोजगारों को आर्थिक सहायता मिली और इसी योजना के अन्तर्गत 25-25 हजार रुपये दिये गये। स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत यह एक क्रान्तिकारी कदम उठाया गया।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 और पिकअप द्वारा भी निश्चित रूप से अच्छे काम किये हैं और उनमें लाभ हुआ है। पिकअप के अन्तर्गत ही 26 औद्योगिक योजनायें चल रही हैं। यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने 276 लाख रुपय का उत्तर प्रदेश शासन को लाभांश दिया है। यह दोनों संस्थायें औद्योगिक प्रगति के दिशा में काफी अच्छा कार्य कर रही हैं। इसी तरह से उद्योग विभाग के और जो निगम हैं, वे भी औद्योगिक प्रगति के क्षेत्र में अच्छा योगदान दे रहे हैं। उनको चाहिये कि वे और अधिक प्रगति करें तथा लाभांश दिखायें।

एक चीज में टूल रूम प्रशिक्षण संस्थान के बारे में कहना चाहता हूं। वहां के जनरल मैनजर ने मनमाने तरीके से कर्मचारियों की भर्ती की है, डिस्क्रीमिनेशन के साथ, कुछ कर्मचारियों को कई-कई बेसिक वृद्धियां देकर लाभ पहुंचाया है। एक आदमी को उन्होंने गलत प्रोमोशन दिया और उसके साथ-साथ 10 इन्क्रीमेन्ट भी दिए। यह एक अच्छा संस्थान है, पर इस चीज की जांच करायी जानी चाहिये जो मैंने कही हैं ताकि कर्मचारियों का असन्तोष दूर हो सके।

(इस समय 3 बजकर 58 मिनट पर अध्यक्षता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

यह बात सही है कि औद्योगिक विकास में हमारा प्रदेश पीछे है और उसका एक कारण यह भी है कि केवल सरकारी तरीके से ही, सरकार के प्रयासों से ही, औद्योगिक क्रान्ति नहीं लायी जा सकती। जिस तरह से पंजाब और

हरियाणा में लोगों ने परिश्रम किया है, वहां घर-घर आपको स्वेटर बुनने के छोटे-छोटे उद्योग मिलेंगे, उस तरह की चीज अपने यहां नहीं है। इसलिए समाज के लोगों का भी कर्त्तव्य है कि हम औद्योगिक क्रान्ति लायें और इस कार्य में सरकार का पूरा सहयोग करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रेबती रमण सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, उद्योग मंत्री जी ने जो बजट रखा है। उससे उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश जो उद्योगों में पिछड़ा है, जब से उद्योग मंत्री जी आये हैं, तब से और पिछड़ा जा रहा है, क्योंकि उनको काम करने की फुरसत है नहीं। बिजली आप दे नहीं सकते हैं। आपने जो उद्योग बन्धु नाम की समिति बनायी थी, उसकी मीटिंग 3-3, 4-4 महीने नहीं होती है, तो फिर उद्योग बन्धु बनाने का क्या मतलब है? मान्यवर, अगर आप महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और हरियाणा में देखें, तो जहां उद्योग लगे हैं, वहां एक जगह सब सुविधायें मिल जाती हैं। आपके यहां अगर कोई उद्योग लगाने जाता है तो वह दर-दर की ठोकरें खाता है। जब यहां पर बिजली ही नहीं है, तो उद्योग कैसे लग सकते हैं? बिजली की कमी के कारण आने वाले 4-5 वर्षों में उद्योग कैसे लगेंगे? बिजली की कटौती इंडस्ट्रीज में होती है तो नये उद्यमी को कैसे बिजली देंगे। इसके साथ-साथ जो महत्वपूर्ण चीज कोयला है, उसमें पहले आपको। लाख बैगन उत्तर प्रदेश को मिलता था। लेकिन कटौती करके उसको 50 हजार कर दिया गया। सिंचाई मंत्री जी ने कोशिश की तो कहीं जाकर 70 हजार बैगन मिले। बिहार के लिए भी जो बैगन कोयले के मिलते थे, उनकी कटौती की गयी लेकिन बिहार ने रेस्टोर करवा लिया। आपकी दिल्ली में बहुत पहुंच है, उसके बावजूद भी आप नाकामयाब रहे और एक लाख बैगन रेस्टोर नहीं करवा पाये।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि पानी की भी समस्या है। जहां-जहां औद्योगिक केन्द्र खुले हैं, वहां-वहां आप दिखवा लें, पानी की समुचित व्यवस्था आप नहीं कर पाये हैं। कोई भी उद्योग, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो इन तीन चीजों की, बिजली, कोयला, पानी की बड़ी आवश्यकता होती है। अभी स्वतः रोजगार योजना में बड़ा ढिंढोरा पीटा गया है और हमारे अतारांकित सवाल का उत्तर आया कि 37 हजार लोगों को इन्होंने ऋण दिया है। इन 37 हजार लोगों में से एक परसेन्ट भी हरिजन नहीं है, जिनको ऋण दिया गया हो। केवल बड़े-बड़े लोगों के लड़कों को ऋण दिया गया है। क्या हरिजन बेचारे पढ़े-लिखे नहीं हैं, जिनको ऋण नहीं दिया गया है? आपने रेडियो और अखबारों में बड़ा ढिंढोरा पीटा, लेकिन उनको ऋण नहीं दिला सके। उनको छुआछूत के कारण ऋण नहीं दिलाया। उनका 18 परसेन्ट कोटा है, लेकिन एक परसेन्ट भी ऋण उनको नहीं दिया गया है।

मान्यवर, इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा छोटे उद्यमियों को ऋण दिया जाता है, तो उनको 6 महीने से लेकर डेढ़-डेढ़ साल तक ऋण नहीं मिलता है। जब ऋण मिलता है, तो उसमें परसेन्ट बंधा हुआ है। तो अगर किसी उद्यमी के पास पैसा होता, तो वह आपके पास क्यों कर्जा मांगने आता, लेकिन मजबूरी में आपके पास आता है और आपका वित्तीय निगम उससे पैसा लेता है, तब उसको ऋण देता है। मान्यवर, उद्योग विभाग का काम तभी चल सकता है, जब छोटे-छोटे उद्योग तमाम गांवों में लगाये जायं और जो बेकार नौजवान घूम रहे हैं उनको इस काम में लगाया जाय। उनको कच्चा माल दिया जाय और जब उससे वह अपना माल बनायें, तो उसकी बिक्री

का प्रबन्ध करें। मान्यवर, मुरादाबाद में पीतल के बरतन का काम होता है। अगर इसकी ठीक से व्यवस्था करा दी जाय, तो आज मुरादाबाद 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दे सकता है। इसी प्रकार से भदोही में कारपेट का बड़ा उद्योग है, लेकिन जितना निर्यात होना चाहिये, उतना नहीं हो पाता है। पाकिस्तान हमसे बहुत छोटा है, वहां से काफी निर्यात होता है। हम वहां पर पूरी सुविधायें उपलब्ध नहीं करा पाये हैं जिससे कारपेट का उतना निर्यात नहीं हो पाता है, जितना होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय यदुनाथ सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं उद्योग मंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय हरदेव जी, बैठें आप।

श्री श्रीनाथ सिंह--

माननीय मंत्री जी, हर ब्लाकों में आपने दो लाख का उद्योग लगाने की जो योजना बनायी है, तथा उन जिलों में जहां 5 करोड़ के नीचे के जो उद्योग हैं, वहां 5 प्रतिशत छूट की जो घोषणा की है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मैं अपने शहर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं बनारस से आता हूं, जहां आज से 20-22 वर्ष पहले दो बड़े उद्योग लगे थे। किसी भी चीज का उद्भव होता है, उसके बाद विकास होता है। लेकिन उनका उद्भव और विकास एक ही साथ हुआ है। तब से लेकर आज तक 20-22 वर्षों में वहां पर कोई भी उद्योग नहीं लगाया गया है, कोई भी कार्य उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार द्वारा वहां पर नहीं हुआ। यह पूर्वी जिलों का सब से बड़ा केन्द्र है। मैं पश्चिमी जिलों के द्वेष की भावना से नहीं कह रहा हूं। लेकिन जितने भी सरकारी उद्योग लगाये जा रहे हैं, वह सब पश्चिमी जिलों में लग रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

वहां पर पूंजी लगाने वाले लोग हैं, इसलिए वहां पर लग रहे हैं।

श्री श्रीनाथ सिंह--

मान्यवर, गाजियाबाद में नोयेडा के माध्यम से सारे भारी उद्योग वहां पर लगाये जा रहे हैं। अलीगढ़, मेरठ तथा पश्चिमी जिले में अनेकानेक बड़े उद्योग लग रहे हैं। मान्यवर, जो भी उद्योग पश्चिमी जिलों में लगाये जा रहे हैं, उससे पूर्वी भाग बंचित रह रहा है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि वे भी पूर्वांचल से आते हैं और इस तथ्य को वह भलीभांति जानते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का यह पिछड़ा भाग है, यद्यपि यह पूर्वी जिलों का केन्द्र अवश्य है, पर यहां उद्योग के क्षेत्र में प्रगति का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। भाई यदुनाथ सिंह हमारे बनारस जिले के पड़ोस के रहने वाले हैं। यहीं रह कर उन्होंने पढ़ाई-लिखाई तथा अपने जीवन के अनेकानेक कार्यक्रम किये हैं। बनारस के तीन मुख्य मंत्री रह चुके हैं। जिनकी इच्छा वहां पर बड़े उद्योग लगाने की थी, वहां के कुछ नेताओं के कारण सारे उद्योग फेल कर गये तथा लगाने वालों ने अनिच्छा पैदा की।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या यदुनाथ सिंह भी उसी में से हैं?

श्री श्रीनाथ सिंह--

भाई यदुनाथ सिंह भी उनमें से एक हैं। वहां पर कुछ ऐसे लीडर हैं, जो रोज हड़ताल कराते फिरते हैं। जिनके

कारण कोई भी उद्योगपति वहां पर उद्योग नहीं लगाना चाहता है। उन्हीं में से भाई यदुनाथ सिंह भी हैं। मान्यवर, यहां के वैज्ञानिकों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें डा० अ र० एन० सिंह, जो स्पेस के वर्ल्ड के वाइस-प्रेसीडेंट हैं। ऐसे वैज्ञानिकों का सदुपयोग या राय नहीं ली जाती। डा० गोपाल त्रिपाठी, जो एशिया में केमिकल इंजीनियरिंग में अपना स्थान रखते हैं, उनसे भी इस क्षेत्र में कोई राय-मशविरा नहीं लिया जाता। मेरा अनुरोध है कि ऐसे वैज्ञानिकों की प्रान्त की उन्नति के लिए अवश्य राय ली जाय।

मान्यवर, मैं अपने जनपद के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, रेशम के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस उद्योग में एक साल पहले क्राइसेस आई थी, लाखों लोग इस काम में लगे हुए हैं, चीन से रेशम आयात करके इनको देना पड़ा था। साथ ही यह धंधा कर्नाटक सरकार की ओर देखता रहता है। इस रेशम के उद्योग के लिए शहतूत, अर्जुन, साल के वृक्षों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाना चाहिये जिसमें रेशम का उत्पादन अधिक से अधिक हो। रेशम के उद्योग के लिए देहरादून में एक छोटी सी फैक्ट्री है, जिसका उत्पादन नगण्य है। इसको फैक्ट्री का अवश्य विस्तार करना चाहिये। देश की आधी आबादी को, जो एक दिन दुल्हन होती है, उसे एक दिन के लिए इस परिधान की आवश्यकता पड़ती है। इससे इस उद्योग की महत्ता का ज्ञान सारे देश को है।

दूसरा मेरे यहां पीतल उद्योग है, जिसके कारीगर हुनर के धनी हैं, पर उन्हें पर्याप्त रूप से कच्चा माल नहीं मिलता, जिससे उन गरीबों को भुखमरी का मुंह देखना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि जैसे मुरादाबाद में ब्रास बेयर कारपोरेशन है, उसी तरह से बनारस में भी इस ब्रास बेयर कारपोरेशन की स्थापना कर दी जाय, ताकि इन्हें कच्चा माल मिल सके। जिससे कारीगरों को रोजी-रोटी मिल सके। दूसरा लकड़ी के खिलौने के लिए भी वाराणसी अपना देश में अभूतपूर्व स्थान रखता है। यह कोरया की लकड़ी, इक्युलिप्टस की लकड़ी से खिलौने बनाये जाते हैं। लेकिन पर्याप्त रूप में यह लकड़ी भी उन्हें उपलब्ध नहीं होती। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इन्हें लकड़ी की व्यवस्था करायें।

कारपेट के क्षेत्र में भदोही का कारपेट दुनियां में अपना स्थान रखता है। देश में काफी मात्रा में डालर ले आता है। ऐसी जगह की सड़क को देख कर लगता है यहां कोई विदेशी कैसे आ सकता है? विद्युत की क्राइसेस यों तो पूरे प्रान्त में है, पर ऐसे औद्योगिक केन्द्रों पर माननीय मंत्री जी अवश्य ध्यान दें ताकि उद्योग पर किसी प्रकार का कुप्रभाव न पड़े। हमारे यहां इतने इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, पर उसमें उद्यमियों के लिए कोई जगह नहीं रह गयी है। मेरा अनुरोध है कि मेरा क्षेत्र बिरई गांव जो शहर से सटा हुआ है, वहां पर एक इंडस्ट्रियल स्टेट बना दीजिए, ताकि नये उद्यमियों को नये उद्यम लगाने की सहूलियत मिल सके। चन्दौली, चकिया में धान के उत्पादन का बहुत बड़ा केन्द्र है, वहां के धान से जो भूसी उत्पन्न होती है, उससे तेल निकालने का एक कारखाना लगा दिया जाय। यह तेल साबुन वगैरह बनाने के लिए अत्यन्त उपयोगी है। वहां कोई विदेशी नहीं जा पाता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां सड़कें होती हैं, जहां बिजली होती है, वहां उद्योग की उन्नति जल्दी होती है। बिजली के मामले में पूरा प्रदेश सन्त्रस्त है, किसान संत्रस्त है, उद्योग संत्रस्त है। बिना बिजली के उद्योग की उन्नति नहीं हो सकती है। भदोही की सड़कों का निर्माण जल्दी से जल्दी कराया जाय, ताकि वहां का कालीन का उद्योग आगे बढ़ सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री कन्हैया लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया मैं आभारी हूं। मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है। मैं आशा कर रहा था कि चूंकि मंत्री जी सिंचाई मंत्री हैं, इस नाते उत्तर प्रदेश का नक्शा उनको मालूम है, औद्योगीकरण और कृषि का। मैं आशा करता था कि मथुरा जिले के बारे में कुछ कहेंगे। लेकिन उन्होंने मथुरा का जिक्र तक नहीं किया। मंत्री जी को मालूम है कि मथुरा जिला कृषि में सबसे पिछड़ा है, यह राजस्थान से मिला हुआ है, यहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है। जब तक औद्योगीकरण नहीं होगा तब तक मथुरा की जनता के साथ अन्याय होगा। हमें दुःख है, हमारे जिले को एक रिफायनरी मिली। हमें आशा थी कि रिफाइनरी खुलने पर कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस रिफायनरी में डेढ़ दो सौ आदमी लोकल रखा गया है, उससे मथुरा का नुकसान हुआ है। वहां रिफायनरी से प्रदूषण की बात कही जाती है, जिसके कारण जो छोटी इन्डस्ट्री वहां लगनी चाहिये थी, वह नहीं लगायी जा रही है। मान्यवर, एक बात यह कहना चाहता हूं कि पेट्रो कैमिकल का कारखाना अलीगढ़ को दिया गया है। यह ताज-महल से कम दूरी पर है और मथुरा से इसको दूरी अधिक है। यह मथुरा म लगाया जा सकता था।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने ग्रामीण औद्योगीकरण की बात कही। यह बात सही है, ग्रामोद्योग बहुत बड़ी चीज है, उसको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। लेकिन आप देखें, खादी ग्रामोद्योग को सरकार धृष्ट दृष्टि से देखती है। अभी माननीय सदस्य ने कहा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन आप सोचें, जो वे कमीशन हैं, वह वेतनमान हर जगह लागू कर दिया गया। लेकिन ग्रामोद्योग बोर्ड में इसे लागू नहीं किया गया। यहां के कर्मचारी पुरानी तनख्वाह पा रहे हैं। गरीब आदमी हैं, तनख्वाह पाते नहीं हैं, इसलिये थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। अगर ग्रामीण औद्योगीकरण को फैलाना है तो खादी ग्रामोद्योग की तरफ ध्यान दें। अभी आपने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अधिनियम पास कराया, लेकिन उसके लिहाज से कमेटी नहीं बनाया। मैं चाहूंगा कि इसका गठन जल्दी से जल्दी किया जाय। जो एडमिनिस्ट्रेटर रखा है, वह काम कर रहा है, लेकिन उसको अकेले निर्णय करना पड़ता है, कमेटी बन जायेगी तो उसको सहायता होगी और काम सुचारु रूप से होगा। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को जो पैसा मिलता है, वह खादी कमीशन का है। मेरा सुझाव है कि कुछ सरकार बजट रखा जाय या किसी आर्थिक संस्था से उसको सम्बद्ध किया जाय ताकि वह अधिक से अधिक कार्य कर सकें।

कारपोरेशन की बात कही गयी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, बहुत से कारपोरेशन हैं, उनमें हथकरघा कारपोरेशन है। हथकरघा एक बहुत बड़ी चीज है। गरीब की रोटी का साधन है। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। मान्यवर, जनता धोती, जो जनता को मिलनी चाहिये, वह जनता को नहीं मिलती है। मान्यवर, जनता धोती का पूरा का पूरा जो मथुरा में कारखाना है, उसका पी० सी० एफ० के माध्यम से गांठ का गांठ चला जाता है। जो सरकार से दो रुपया की गांठ मिलती है, उससे गरीब आदमी लाभान्वित नहीं हो पाता है। वह मोटे आदमी की जेब में चला जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कन्हैया लाल—

इसी तरह से मान्यवर, हैन्डलूम कारपोरेशन में यह बात देखनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दीनानाथ—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने उद्योग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में उद्योग कहीं नहीं लग पा रहे हैं, इसका एक कारण है। मैं आल इण्डिया कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता गया था। वहां कुछ उद्योगपतियों से मिलने का अवसर मिला। मैंने उन लोगों से आग्रह किया कि उत्तर प्रदेश में आप लोग उद्योग लगाय। आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगाते, गुजरात क्यों भाग रहे हैं, तो उन्होंने बताया आपके उत्तर प्रदेश में बड़ी फारमेलिटी फुलफिल करनी पड़ती है। हम हवाई जहाज से आते हैं और फारमेलिटीज पूरी न होन पर उद्योग नहीं लगा पाते हैं। इसी तरह से बम्बई में एक गोष्ठी में जाने का मुझे अवसर मिला। वहां उन्होंने कहा कि गुजरात में हम जाते हैं, तो वहां डाक बंगले की व्यवस्था होती है। वहीं सारी फारमेलिटीज पूरी कर ली जाती हैं और लोन सेंक्शन हो जाता है। इसी हाउस के कुछ लोगों ने छोटे-छोटे उद्योग लगाये हैं। लोन स्वीकृत हो जाने के बाद भी उनको लोन पूरा नहीं मिला है। सब्सिडी जो सरकार द्वारा घोषित की गई है। मान लीजिए बस्ती में 25 परसेन्ट है, बांदा में 15 परसेन्ट है, तो मैं कहना चाहता हूं कि फक्ट्री तो लग गयी लेकिन सब्सिडी उनको नहीं मिली। मान्यवर, औद्योगीकरण की बहुत कोशिश की जा रही है। मान्यवर, एक उद्योगपति ने क्लेम किया कि फैक्ट्री पूरी हो चुकी है लेकिन सब्सिडी नहीं मिली। जब मंत्री जी ने पूछ तो कहा कि है, मिल जाएगी। आज प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बना हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आज भी हरियाणा और पंजाब से बहुत पीछे है। हिन्दुस्तान में भुखमरी है, गरीबी है। जब तक औद्योगीकरण नहीं होगा, हम भुखमरी से छुटकारा नहीं पायेंगे।

आज प्रदेश में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्पिनिंग मिल लगायी जा रही हैं, जिससे कई हजार लोगों को काम मिल जाए। हथकरघा उद्योग को सहकारी क्षेत्र में लगाया गया है। 5,400 और 1,800 प्रत्येक वर्ष उनको लोन देते हैं इसी तरह से स्पिनिंग मिलों में जो 4 लाख किलोग्राम सूत पैदा होता है इसकी पैदावार से बुनकरों की सूत की समस्या का समाधान हो सकेगा और माननीय मंत्री जो 10 हजार हाथों को काम दिला सकेंगे, लेकिन जो आज स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत 25 हजार रुपये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत होते हैं, इसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है।

(4 बजकर 20 मिनट पर)

मान्यवर, यह शहरों तक ही सीमित रहा और चतुर लोगों तक सीमित रहा, जो बकों में लोगों से मिलकर काम चला सके। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में क्या लोन गया, किसको मिला, इसकी कोई सूची नहीं मिलती। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, कि यह जो 25 हजार रुपये दिये जा रहे हैं, स्वतः रोजगार योजना में, इसमें सख्ती रखी जाय और कोई कम्प्लेन्ट आए तो जांच कराएं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसी में उद्योग के नाम पर ईंट के भट्ठे और तेल की घानी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बस्ती की बांसी तहसील बहुत पिछड़ी हुई है, वहां कोई उद्योग लगवाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

माननीय, माननीय मंत्री जी द्वारा हर साल घोषणा की जाती है और हर साल एक नयी उद्योग नीति यहां पर रखी जाती है। माननीय, माननीय मंत्री जी ने यहां पर घोषणा की कि प्रत्येक ब्लाक में नया उद्योग खोलेंगे और प्रदेश में कोई भी जनपद आर्थिक दृष्टि से शून्य नहीं रहेगा। माननीय, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में चमोली, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी उद्योग की दृष्टि से बिल्कुल शून्य हैं। हमने निरंतर यहां पर आवाज उठायी, विधान सभा में प्रश्न किये और हमेशा मंत्री जी का जवाब आता है कि उनका परीक्षण किया जा रहा है। पता नहीं क्या परीक्षण हो रहा है, कब से हो रहा है ?

माननीय, पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब हो गयी है। वहां वन अधिनियम की वजह से, वहां जो लोग वनाधारित उद्योग लगाए थे, पहाड़ों पर वनों पर ही आधार उद्योग लग सकते हैं, इनके प्रस्ताव पर लोगों ने उद्योग लगाए, ऋण लिये और आज स्थिति यह है कि कच्चा माल नहीं मिलता। सारे उद्योग ठप हो गये हैं और ऋण के बोझ से लोग दबे जा रहे हैं। बड़े-बड़े उद्योग जब ठप होते हैं तो आप कहते हैं कि बीमार हो गये हैं, और उनको ले लेते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि सरकार की नीति की वजह से जो पर्वतीय क्षेत्रों के उद्योग बन्द हो गये हैं, उनका अधिग्रहण किया जाय और मुआवजा दिया जाय। माननीय, स्वतः रोजगार योजना की बात आयी, तो सारे सदन में दोनों पक्ष के सदस्यों ने कहा कि यह योजना कांग्रेस की योजना रह गयी है, प्रभावशाली लोगों की योजना रह गयी है। जो योजना के उद्देश्य थे, उनके विपरीत इसमें ऋण बांटा गया। जिनकी आय अच्छी है, उनको ऋण दिया गया, जिनकी पहुंच अच्छी है उनको ऋण दिया और सारे नियमों का उल्लंघन किया। किसी भी गरीब या हरिजन या निचले तबके के लोगों को इसमें लाभान्वित नहीं किया गया।

माननीय, पर्वतीय क्षेत्र में खनिजों का अतुल भंडार है, परन्तु उसके सम्बन्ध में इनकी ओर से कोई कोशिश नहीं की जा रही है, उन खनिजों को निकालने की। माननीय, पर्वतीय क्षेत्रों में लोहा, और तांबा का बहुत बड़ा भंडार है। वहां की नीति वैली में सोना काफी है। वहां लोग अलकनन्दा से सोना निकालने का काम करते हैं। लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत मुश्किल है और लाभ नहीं हो पाता है। उन लोगों को उससे ज्यादा लाभ नहीं हो पा रहा है।

माननीय, जनता पार्टी के शासन काल में एक उद्योग केन्द्र की स्थापना हुई थी। इसकी मंशा यह थी कि प्रत्येक जिले में और ब्लाक में जो लोग छोटे-छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, उन लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा और जो उद्योग पति हैं, उन लोगों को सुविधायें मुहैया करायी जायेंगी। इसकी जो परिकल्पना उस समय की गई थी, उसे इस सरकार ने समाप्त कर दिया है।

माननीय, इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में, जो ज्वाइंट डायरेक्टर, इन्डस्ट्रीज हैं, वहां पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पर जब कभी भी नियुक्ति होती है, तो वहां पर तो साक्षात्कार की परीक्षा ली जाती है, किन्तु नियुक्तियां कानपुर से होती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय, कानपुर में काफी घोटाला है, वहां पर रिश्वत लेकर लोगों की नियुक्ति की जाती है। जबकि नियम यह है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति दी जाय। परन्तु आज तक वहां पर इस विभाग में कोई वहां का कोई लड़का नहीं लिया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । अभी वहां पर ड्राफ्ट्समैन, सिविल का इम्तहान हुआ और उसकी लिस्ट कानपुर भेज दी गई, परन्तु उस सूची में वहां का कोई भी लड़का नहीं लिया गया है । इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह पहाड़ों की तरफ भी विशेष ध्यान दें और उद्योग के असंतुलन को समाप्त करें और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण किया जाय ।

*श्रीमती सुमन लता—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत उद्योग के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं । माननीय विरोध पक्ष के माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उससे यह साफ जाहिर होता है, चाहे वह इस पक्ष के लोग हों और चाहे उस पक्ष के, कि वे सभी लोग हमारी सरकार की नीति से और हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की नीति से सन्तुष्ट हैं । मान्यवर, मैं उनको बधाई देना चाहती हूं और उनके जो सुझाव हैं, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, कि वे सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए । मान्यवर, मैं कानपुर महानगर, जो उद्योग के क्षेत्र में पूरे विश्व में माननीय नगर है वहां से चुनकर आती हूं ।

मान्यवर, जैसा कि अभी हमारे पक्ष के और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बताया कि जो मिलें बीमार हैं और जो चल नहीं रही हैं, पहले उनको सुधारा जाना चाहिए और बाद में नये उद्योग लगाये जाने चाहिए । मान्यवर, जब तक हमारी मिलें नहीं चलायी जायेंगी और पुराने यूनिटों को नहीं विकसित किया जायेगा, तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है । यह सही है कि नये उद्योग लगाने से लाभ होगा, परन्तु उतना लाभ नहीं होगा, अस्तु इससे हानि ही होगी ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे यहां कानपुर में जे० के० रिआन की फैक्ट्री काफी दिनों से बन्द पड़ी हुई है, उसे आप किसी प्रकार चलाने की कृपा करें और उसे अधिग्रहण करें । यह काम बहुत ही जरूरी है । दूसरी बात की ओर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, कि हमारे यहां लोहिया मशीन्स ने जो स्कूटर बनाने का कारखाना लगाया है, मान्यवर, उसके अन्तर्गत किसानों की जमीन ली गयी है । उसमें जो हमारे गरीब किसान हैं, जो उनके बच्चे हैं, मान्यवर, उनको वहां नौकरी मिलनी चाहिए । जबकि ऐसा नहीं हो रहा है । इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि वे वहां के लोगों को आदेशित करें कि वे उन किसानों के लड़कों को नौकरी में जरूर रखें ।

तीसरी बात, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी, कि जैसा कि पूरे प्रदेश के नागरिकों का मामला है, जो हमारे गांव के लोग हैं, उनमें यह प्रचार-प्रसार नहीं होता है उनको मालूम नहीं होता है कि कहां क्या हो रहा है ? इसके लिये जो हमारे जिला उद्योग कार्यालय हैं, उनमें प्रचार और प्रसार की पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हमारे गांवों में और हमारे प्रदेश में हमारी सरकार क्या कर रही है ? क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कहां क्या हो रहा है ? जबकि इस ओर सरकार बहुत धन दे रही है, पैसा खर्च किया जा रहा है, तो प्रचार और प्रसार में भी अधिक से अधिक पैसा लगना चाहिए, ताकि सबको समुचित जानकारी उपलब्ध हो सके ।

मान्यवर, मैं एक बात और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी, कि यह जो उन्होंने स्वरोजगार योजना की बात बतायी, वे बहुत ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सराहनीय हैं । उन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाये हैं । लेकिन मान्यवर, जैसा कि अभी हमारे विरोधी दल के एक सदस्य ने कहा कि एक भी हरिजन को नहीं दिया गया है ऋण । मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वह ऐसी कोई स्थिति है, तो माननीय मंत्री जी को दिखाये कि हरिजनों को सहायता दी गयी है अथवा नहीं । ऐसी कोई लिस्ट उनके पास हो, तो वह उनको दिखला दें, ताकि वे संतुष्ट हो जायं और उस पर कार्यवाही हो । लेकिन, मैं कहना चाहूंगी कि मेरी पार्टी की सरकार यह यह बिल्कुल नहीं सोचती है कि हमें किसको देना है, किसको नहीं देना है ? जिसका वास्तविक जरूरत है, चाहे वह हरिजन हो, या किसी और जाति का हो, उसको हमारी सरकार ऋण देने में दृढ़ संकल्प है । वह यह काम करेगी, चाहे उसमें किसी को आपत्ति हो या चाहे कुछ भी हो ।

मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगी कि जहां तक विद्युत् की बात है, कोयले की आपूर्ति की बात है, उस पर ध्यान देंगे जो इकाइयां लग रही हैं वहां इस बात को आदेशित करें कि वह देखें वहां समुचित साधन उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं तीसरी बात जो बहुत ही जरूरी है, कहना चाहूंगी, वह यह है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो लघु उद्योग जैसे हमारी यूपिका है, हैन्डलूम है, खादी बोर्ड है, यह पर्याप्त मात्रा में जनता की सेवा करने में सक्षम हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीया सदस्या, आप अपना भाषण समाप्त करे ।

श्रीमती सुमन लता--

लेकिन इसके कुछ कमियां हैं, जो बाद में मैं माननीय मंत्री जी को लिखकर दूंगी और आशा करूंगी कि माननीय मंत्री जी उस ओर विशेष ध्यान देंगे : समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी यहीं बात समाप्त करते हुऐ, आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए, प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्तुत का विरोध करती हूं ।

*श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, बढ़ी हुई जनसंख्या को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम अपनी राष्ट्रीय समस्या का हल करें । आज इस बढ़ी हुई बेरोजगारी को पर्याप्त उद्योग लगाकर ही दूर किया जा सकता है, इस समस्या का समाधान किया जा सकता है । वरना हम उसको हल नहीं कर सकते है । मान्यवर, इस सरकार की गलत नीतियों के कारण आज उद्योग धंधे पिछड़ रहे हैं । मान्यवर, समाजवादी विचारों को लेकर सुझाव दिया गया, कि जो छोटे उद्योग हैं, उनको बढ़ावा दिया जाय और बड़े उद्योगों को रोका जाय । लेकिन, यह सरकार कभी भी सोच नहीं पाई । यह अभी इनके दिमाग में आया जब समाजवादी विचारों की भावना को जाना है । पहले ही अगर इस नीति में सुधार हुआ होता, बड़े उद्योगों को रोंक कर, छोटे-छोटे उद्योगों का विकास किया होता, तो आज उद्योग धन्धों का विकास बहुत ही ज्यादा होता और प्रदेश का विकास हुआ होता ।

मान्यवर, बहुत से छोटे-छोटे देश हैं, जैसे जर्मनी है, जापान है, आप देखें कि वह छोटे आकार के होने के बावजूद भी उद्योगों में कहां स्थान प्राप्त किए हुए हैं ? पूरे विश्व में उनका स्थान है । मान्यवर, इस वैज्ञानिक युग में, हमारी उद्योग नीति में असंतुलन होने के नाते हम अपनी बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे यहां के बासगांव के लोग, 10 हजार लोग सिंगापुर में हैं कई लोग नारायण दत्त तिवारी का स्वागत करने आए थे । यदि बांसगांव में खड़े होने को जगह नहीं मिलेगी, अगर उनको विदेश से बुला लिया जाय । केवल कागज पर नहीं, बल्कि धरातल पर उतारना होगा । अप धरातल पर नहीं उतारते हैं, तो उद्योग नीति चलने वाली नहीं है । देवरिया में 14 चीनी मिले है । सत्तारूढ़ दल के मिश्रा जी ने कहा है कि 14 चीनी मिलें हैं वहां पर, जहां पर कि उद्योग धन्धे लगाए जा सकते हैं । वहां पर पेरर मिल है, कागज के लिए सामग्री काफी है, गन्ने की पत्ती होती हैं, वहां पर पुआल भी है, धान का भूसा भी है, गेहूं का भूसा भी काफी जगहों पर जा रहा है । देवरिया और गोरखपुर में चीनी मिल के हिसाब से उद्योग लगाये जाते हैं तो समस्या हल हो जायगी । देवरिया, गोरखपुर और बस्ती पूर्वांचल में इतना घनत्व है कि लोगों को विदेश जाने में प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं । उद्योग नीति में सुधार नहीं हुआ तो ऐसी ज्वाला उठेगी कि सारे लोग भस्म हो जायेंगे । आपकी सरकार की जो विपरीत उद्योग नीति रही है, उद्योग नीति में जो पिछड़ रहे हैं, इसी से ऐसा हुआ है । मन्त्री जी से कहता हूं कि हमारे देवरिया और गोरखपुर की समीक्षा कराकर उद्योग लगवायें । इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री सुग्रीव सिंह का नाम पुकारे जाने पर ।)

(घोर व्यवधान)

श्री आजाद कुमार कर्दम--

मैं दो घन्टे से लगातार खड़ा हो रहा हूं, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें । मैंने उनको बुला लिया है ।

*श्री सुग्रीव सिंह--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मन्त्री जी का भी आभारी हूं और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं ।

(इस समय 4 बजकर 33 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं । कृपया अपने स्थान पर बैठें ।

श्री गौरी शंकर भैटया--

मान्यवर, पक्ष और विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । मेरा अनुरोध है कि आधा घन्टे का समय वाद-विवाद का बढ़ा दिया जाय ।

श्री आजाद कुमार कर्दम--

आपकी नीति रही है कि आपने सदा न्याय किया है । आपकी नीति रही है कि जो सदस्य नहीं बोले हैं, उनको मौका दिया जाय । मैं दो घन्टे से बैठा हुआ हूं, मेरा नम्बर नहीं आया है, जो अधिष्ठाता आपके स्थान पर बैठते हैं, उनको निदेश दे दिया करें ।

श्री अध्यक्ष--

(उद्योग मन्त्री को सम्बोधित करते हुए) सदन यह चाहता है कि इस ग्रांट पर चर्चा के लि आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए, आपको इस संबंध में क्या कहना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इस पर बहुत बातें हो चुकी हैं और वही बातें बार-बार चल रही हैं इसलिए कोई आवश्यकता तो प्रतीत नहीं हो रही है, वैसे 15 मिनट बढ़ा दिए जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुग्रीव सिंह--

माननीय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिसम्बर, 82 में छोटे उद्योग लगाने के लिए पांच वर्षों तक बिजली की छूट व पांच वर्षों तक हर प्रकार के करों से मुक्त करने की घोषणा की गई थी, परन्तु फरवरी, 1983 में माननीय मन्त्री जी की ओर से फिर यह आदेश हुए कि यह छूट उन लोगों को मिलेगी, जिनकी पूंजी उद्योग के लिए 3 लाख रु0 की होगी तो इस सिलसिले में मैं माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करूंगा, कि यदि आप छोटे उद्योग पन पाना चाहते हैं, उनका विकास चाहते हैं तो हर छोटे उद्योग को लगाने के लिए यह छूट प्रदान की जाए और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि रामकोला पूर्वान्चल क्षेत्र का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो नेपाल और बिहार प्रदेशों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसने सन् 42 की आजादी की लड़ाई में सबसे सक्रिय भाग लिया और आज यह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

यहां पर आज तक कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ और शुगर मिल स्थापित किया जाना उचित नहीं बताया जाता है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप वहां पर कम से कम एक कताई मिल की स्थापना करवा दें, जिससे वहां की जनता की बेरोजगारी भी दूर होगी और कुछ गरीबी पर भी काबू पाया जा सकेगा और साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो कप्तानगंज क्षेत्र है, जिसका 8 किलो मी0 क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है और अगर पूरे प्रदेश में आंकड़े लगाकर देखें जाएं तो सबसे ज्यादा साइकलों का प्रयोग यहीं पर होता है, इसलिए माननीय मन्त्री जी से वहां पर एक साइकिल का कारखाना स्थापित करने की भी मांग करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं टौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री अध्यक्ष--

दो-दो मिनट में सभी माननीय सदस्य अपनी बात को कह लें।

श्री राम स्वरूप निम--

माननीय, माननीय मंत्री जी ने जो लघु उद्योग के बारे में बातें कही हैं (शोर) और माननीय, जिन लोगों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं, अगर वह इत्तिफाक से बीमार हो जाता है या और कोई परेशानी हो जाती है। (शोर)।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैं व्यवस्था मांग रहा हूं। इस आदरणीय सदन में अब तक यह परम्परा रही है कि प्रत्येक दल के कम से कम एक-एक सदस्य को मौका दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

आपकी पार्टी का कोई सदस्य बोला है या नहीं ?

श्री विद्या सागर नौटियाल--

कोई नही बोला है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आपको समय मिलेगा।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

अब आप मुझको मौका देंगे, तो केवल दो मिनट के लिये ही बुलवायें जबकि सारे दलों के सदस्यों को बोलने के लिये पांच-पांच मिनट का समय मिला है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप पांच मिनट बोल लीजियेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम स्वरूप निम—

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि जो छोटे उद्योगों के लोग हैं वे सरकार से पैसा ले करके अपना उद्योग धन्धा चलाते हैं, और जब चला नहीं पाते हैं, तो इसके संबंध में सरकार की यह नीति है कि वह उस उद्योग धन्धे को उखाड़ लेती है या कुर्की करा लेती है जब वह पैसा नहीं दे पाता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जिस प्रकार से आप पूंजीपतियों को पैसा देकर हर सम्भव कोशिश करते हैं कि उनका उद्योग धन्धा चलता रहे, उसी तरह से आप छोटे उद्योग धन्धे के लिये भी कोई नीति अपनाइये।

सहारनपुर से सारे देश को तरक्की मुहैया होती है। वहां कागज का काम होता है। सहारनपुर में पेपर मिल हैं। टाटा को 125 रुपये क्विन्टल के हिसाब से सरकार लकड़ी दे रही है, जबकि सहारनपुर के उस मिल को 175 रुपये क्विन्टल के हिसाब से दे रही है कागज का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जबकि इसका उद्योग ठप्प होता चला जा रहा है।

इसी तरह से सहारनपुर में लकड़ी का काम होता है, कुटीर उद्योग धन्धे के रूप में। लेकिन शीशम की लकड़ी की कीमत इतनी महंगी है कि वे अपने उद्योग खुद लकड़ी खरीद कर नहीं चला सकते हैं। इस तरह से छोटे मजदूर का शोषण हो रहा है। और उनको छोटे उद्योगों के लिये पैसा नहीं मिल रहा है।

माननीय मंत्री जी आप कोई नीति को निर्देशित करें कि वहां पर काम करने वाले मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलेगी। साथ ही में आपसे अनुरोध करूंगा कि वहां पर सहकारी समिति बनवा कर इन मजदूरों का छोटा सा संगठन बना कर और उन्हें लकड़ी मुहैया करा कर उनके उद्योग को प्रोत्साहन दें और सहारनपुर के श्रमिकों को आप अच्छा बना सकें। लकड़ी का भाव तेज होने की वजह से वहां का मजदूर दर-दर भटक रहा है और उसके पास पैसा नहीं है।

इसी तरह से और छोटे-छोटे उद्योग धन्धे सहारनपुर में लगाये जा रहे हैं। लगातार सरकार की गलत नीति की वजह से हैण्डलूम की फैक्ट्री, जो यहां है और रुड़की में है, उसे कैपिटल मनी दिया लेकिन मार्जिन मनी न देने के कारण वह बन्द हो गया है। आप जो नीति निर्धारित करें, उसको अमल भी करें आपने कागज पर जो सपने बनाये हैं, वह अमल न करने के कारण से स्वप्न ही रह जायेंगे, असली जामा नहीं पहन पायेंगे।

अभी उद्योग मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं कि इस प्रदेश की 9 करोड़ जनसंख्या में से 6 लाख लोग उद्योग में लगे हुए हैं। छोटे-छोटे लोग जो खेती पर मुनस्सर रहते हैं, उनको आप पनाह दें। आपको यह भी करना चाहिये कि छोटे उद्योगों से बना हुआ समान बाजार में बिकवाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री राम स्वरूप निम—

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट का विरोध करता हूं।

*श्री कमला प्रसाद सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग मंत्री जी के बजट पर समर्थन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने का मौका दिया है। मैं उद्योग मंत्री जो द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं। साथ ही साथ कुछ हमारी सनस्थाये भी हैं, जिन से मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे जनपद में उद्योग शून्य हैं, वहां पर उद्योग धन्धे नहीं हैं, वहां पर जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजी रोटी का सहारा नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपकी कृपा से एक कताई मिल मिली। वह बहुत पहले ही स्वीकृत हो गयी थी, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हो सका है। इसी के साथ ही साथ कई और मिले स्वीकृत हुई थी, जिन पर काम शुरूकर दिया गया है। मान्यवर, वहां पर आफिस खोला गया, वहां पर अभियन्ता रखे गये, और टाइपिस्ट रखा गया लिपिक रखा गया और चोकीदार रखा गया, लेकिन पता नही वह लोग कहां चले गये। अभी तक उस मिल का काम नहीं शुरू हुआ है। जमीन का निश्चय कर लिया गया है, 80 एकड़ जमीन सुरक्षित कर ली गयी है। 100 प्रतिशत काश्तकारों ने उस जमीन को देने के लिए जिलाधिकारी के पास लिखकर भेजा है। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत करना चहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि कि वह निश्चित रूप से उस पर ध्यान देकर उस कताई मिल का शिलान्यास करवा दें।

हमारे पास एक अंग्रेजों के समय की चीनी मिल थी, जो एकदम बेकार हालत में है। वहां पर किसान गन्ना लेकर जाता है, परन्तु उसकी पेराई नहीं होती है, गन्ना सूख जाता है और वह बेकार हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां मक्का की खेती अधिक होती है, अगर उसके लिए कटरी लगा दें तो निश्चि रूप से वहां के लोगों का लाभ होगा। आप वह की 27 लाख जनता की ओर ध्यान दें और जो कताई की मिल स्वीकृत है, उसका कार्य निश्चित रूप से आप शुरू करायें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, इस सरकार के पास न तो दिशा है और न गति है। यह एक पुस्तिका दी गयी है, सरकार ने नियम बना रखा है कि जिस दिन बजट होगा, उसी दिन उसका साहित्य बांटा जायेगा, जिससे हम उसको पढ़ न सकें। मान्यवर, उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफारमैंस) बजट है, इसके पृष्ठ 89 की मद स0 5 पर है, देहरादून टेहरी गढ़वाल में क्रोलि लाइम स्टोन। देहरादून जिले में क्रोलि लाइम स्टोन स्तरों के साथ सम्बद्ध सीसा, जस्ता खनिजीकरण अन्वेषण कार्य की योजना का प्रारम्भ करने हेतु मशीन को शिफ्टिंग की तैयारी की गयी। पार्टी के साथ सम्बद्ध जीप गाड़ी को जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा अधिग्रहण किए जाने के कारण क्षेत्रीय कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। टिहरी गढ़वाल की जीप को जिलाधिकारी ने लखनऊ में जबर्दस्ती अपने कब्जे में ले लिया माननीय मंत्री जी सदन को विवश होकर यह सूचना दे रहे हैं इस सूचना पर समझ में नहीं आता हसें या रोयें।

इसी पृष्ठ की मद 12 को आप देखें देहरादून, टेहरी गढ़वाल एवं पौड़ी गढ़वाल जिलों के बराइट खनिजीकरण का सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्य बन्द रहा। इसी तरह से पृष्ठ 90 पर मद सं0 15 पर, देहरादून, टेहरी गढ़वाल में एस0 एस0 ग्रेड डोलोमाइट का सिद्धीकरण और नीचे लिखा है जिला अल्मोड़ा में कार्य किया गया।

ऊपर हेडिंग है टेहरी की ओर काम हो रहा है, अलमोड़ा से । इन्हें यही पता नहीं है कि टेहरी और अलमोड़ा में कितना फासला है ।

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर पहाड़ों को जीवित रखना चाहते हैं, तो पर्यटन को उद्योग मानें । भारतवर्ष के दूसरे अन्य राज्यों के अन्दर पर्यटन को उद्योग माना जाता है और वे सारी सुविधायें उसे दी जाती हैं । आपने चूंकि पर्यटन को उद्योग नहीं माना इसलिये केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली वे सारी सुविधायें, जो दूसरे राज्यों को उपलब्ध हैं, हम उनसे वंचित रह जाते हैं । यदि आपको पहाड़ों के अन्दर काम करना है, तो ऐसा न करें, जैसा कि बिन्दुखत्ता में आपने किया है । वहां पर 500 एकड़ जमीन पर खड़े पेड़ों को काटकर उसे बिरला को सौंप दिया है, जिस पर वह कागज का कारखाना लगा रहा है । लेकिन मेरे क्षेत्र मुनी की रेती में ढालूवाला गांव में एक सरकारी कारखाना लग रहा है जिसके लिये गांव वालों की उपजाऊ जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण की जा रही है । वह एक घाटी की जमीन है और काश्तकारों को जबरदस्ती बेदखल करके उनको वहां से हटा रहे हैं ।

इस प्रदेश के अन्दर पहले पहाड़ों में ऊन और रेशम का उद्योग था, वह आज नष्ट हो गया है । चीन से झगड़ा होने के बाद से यह उद्योग नष्ट हो गया है । आज वह रेशम और ऊन यहां से इंग्लैंड आदि विदेशों में भेजा जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस उद्योग को पहाड़ों पर विकसित करने के लिये कोई नई योजना नहीं बनायी जा सकती ? मैं निवेदन करूंगा कि आपका जो बी० एच० ई० एल० का कारखाना है, जो कि प्रदेश के अन्दर एक बहुत बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है, उसके पास सन् 1985 के बाद कोई काम नहीं रह जायेगा । यदि उसको कोई नया आर्डर नहीं मिलता है, तो वह कारखाना बन्द होने की स्थिति में आ गया है । उद्योग मन्त्री जी को इसका पता नहीं है । आप कहते हैं कि हम उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं । आज सार्वजनिक क्षेत्र के जितने बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनको ध्वस्त करने के लिये दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतें लगी हुई हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बी० एच० ई० एल० कारखाने को बचाने के लिये आप कोई उपाय करें । मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिलों में, जो जिला उद्योग समितियों का गठन किया हुआ है और वीर बहादुर सिंह इस प्रदेश में एकमात्र मंत्री हैं, जो कि साल में एक बार मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग करते हैं । हालांकि अभी नहीं बुलाई है, लेकिन बुलायेंगे । मैं निवेदन करूंगा कि जिलों के अन्दर, जो जिला उद्योग समिति है, उनकी बैठकें क्यों नहीं होती हैं ? उसके बारे में आप अपने अधिकारियों के कान क्यों नहीं पकड़ते हैं ? हम बार-बार लिखते हैं कि मीटिंग कराइये, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त । कृपया बैठें ।

*श्री आजाद कुमार कर्दम--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । विरोध पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव आया है, उसका मैं विरोध करता हूं और माननीय उद्योग मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव प्रदेश की उन्नति के लिये रखा है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं । मान्यवर, जब से माननीय मंत्री जी ने इस बीमार विभाग को सम्भाला है, तब से इसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्थति सुधरी है, और कुछ नये उद्योग हमारी आंखों के सांमने नजर आये हैं। माननीय मंत्री जी ने प्रदेश के अन्दर नये-नये उद्योग लगाने के लिये हमारे मुख्य मन्त्री जी ने प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बात की। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आगरा की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां पर ताजमहल के कारण सारे उद्योग नष्ट हो गये हैं। वहां पर धुंयें वाला कोई उद्योग नहीं लग सकता है। पिछले 10 सालों से वहां पर कोई उद्योग नहीं लगा है। मेरे अनुरोध पर वहां पर बजाज स्कूटर की फैक्टरी खोलने का फैसल किया है। इसके लिये मैं मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मैंने सुझाव दिया था कि चर्मनगर में चर्म का एक कारखाना आगरे में खोला जाय। उन्होंने इस प्रस्ताव को मान लिया है और उसकी घोषणा भी कर दी है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वहां जूते बनाने वाले हैं, उनकी समस्या नहीं सुलझ पायी है। करीब 5 लाख परिवार जूता बनाकर अपना पेट पालते हैं और करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा हमारे देश के लिए आगरे से जूतों का एक्सपोर्ट करके लाते हैं।

इसी तरह से फिरोजाबाद में कांच की फैक्ट्रीज हैं, जो करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा कमाते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आगरे में जो चर्मनगर की स्थापना की घोषणा आपने की थी, उसको शीघ्र स्थापित करें। हमारी यह भावना है कि उस चर्मनगर का उद्घाटन शीघ्र करें। इससे जूते बनाने वालों की रोजी-रोटी चलेगी। इसके साथ ही मैं फिरोजाबाद की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर कांच के बड़े-बड़े उद्योग फिरोजाबाद में हैं, लेकिन वह गलत तरीके से काम कर रहे हैं और सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिये। वहां पर हरिजनों के लिए यूनिट बनाई जायं, जिससे हरिजन भाइयों को काम मिल सके। मैं ज्यादा न कह कर माननीय मंत्री जी का ध्यान फिर आगरा के चर्म उद्योग और शीशा उद्योग की ओर दिलाना चाहता हूं। इसके लिए आप आगरा के जनप्रतिनिधियों को बुलाकर उनके सुझाव लें। इससे प्रदेश का भी भला होगा, देश का भी भला होगा और हम सब का भला होगा।

*श्री गौरी शंकर भैरया—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। आपको याद होगा कि इस देश के अंदर एक पटेल आयोग की स्थापना हुई थी और उसने अपनी सिफारिश में देश के अन्दर बलिया जनपद को पिछड़े जिलों में रखा था। उसमें बार-बार सुधार होते गये और नयी सूची निकली और पिछड़े जिलों में बलिया जनपद का नाम छूट गया। मेरे कहने का मतलब "Ballia" अंग्रेजी में और "बलिया" हिन्दी में से है। तो प्रदेश के 57 जिलों में एक हमारा यह जिला है, जिसमें कोई भी उद्योग नहीं चल रहा है। एक कताई मिल लगाने की बात आपने कही थी, लेकिन केवल एक हाता लगा कर छोड़ दिया है। वहां पर आज तक एक पैसे का भी काम नहीं हुआ है। तो इसका क्या कारण है? जबकि अन्य जगहों में काम हो गया है। इसलिए मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं। बड़े उद्योग लगाने की बात नहीं कह रहा हूं। दाल मिल लगाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है लेकिन जो लोग घूस नहीं दे पाते हैं, उनको स्वीकृति नहीं मिल पाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरी बात चीनी मिल के बारे में कहना चाहता हूं। चीनी मिल पर आधारित उद्योग हमारे यहां लग सकते हैं जैसे कागज उद्योग, अलकोहल उद्योग या दवा के कारखाने लग सकते हैं। लेकिन वह वहां पर न लगकर नन्दगंज, गाजीपुर में, जो घाटे की चीनी मिल है, वहां पर लगा रहे हैं। तो इस पर मैं चाहूंगा कि आप विचार करें। माननीय मंत्री जी मेरी बात जरा सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय जैतली जी बात न करें।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मैं एक खास बात की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने कालीन उद्योग लगाने के लिए कहा था कि कालीन ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। वहां पर बलिया में 20, 22 कालीन ट्रेनिंग सेंटर खुले थे, जिसमें लड़के ट्रेनिंग लेकर कालीन उद्योग खोलने की बात थी कि लड़के कालीन उद्योग की ट्रेनिंग लेकर निकलेंगे, तो उनको सरकार सहायता देगी, ऋण देगी और लूम स्थापित करेंगे। लेकिन जो लड़के ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं वे कोई उद्योग नहीं लगा पाते हैं, उनको कोई प्रोत्साहन नहीं है। वह ट्रेनिंग लेकर गुल्ली, डंडा खेलते हैं। हमने सवाल किया था माननीय मन्त्री जी, इस सम्बन्ध में क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कि उद्योग विभाग ने कालीन ट्रेनिंग लगा दिया है तो कोई सहायता नहीं मिलेगी तो उससे क्या हल होगा ? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे-छोटे उद्योग बलिया में लगाने का काम करें, जैसे चीनी मिल से सम्बन्धित उद्योग, दाल मिल, मत्स्य उद्योग लगा सकते हैं।

मान्यवर, इलाहाबाद में कताई मिल मेजा में है, उसमें सुभाष अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी घूस लेकर भर्ती करते हैं। इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि इनको वहां से हटाकर जांच करायें, तो पता चलेगा कि वहां कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरदेव—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का समय दिया और मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जबसे इस विभाग का काम सम्भाला है, तबसे निरन्तर उन्होंने प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिये प्रयास किया है और वह बम्बई के उद्योगपतियों से मिले हैं तथा भारत सरकार के अधिकारियों से मिले हैं और अत्यधिक प्रयास किया है कि यहां उद्योग बढ़ाये जायं। माननीय मंत्री जी ने प्रदेश में 12 बड़ी-बड़ी सूती मिलें स्थापित किया है और रसड़ा, बलिया में भी कताई मिल स्थापित किया है। जिसमें 58 लाख रुपये के निर्माण का काम हो चुका है, लेकिन 6 महीनों से पैसे के अभाव में मिल बन्द है। मैं चाहूंगा कि इस मिल को तत्काल वित्तीय सहायता देकर मिल का काम शुरू करवा दिया जाये, तो यह मिल वहां की जनता के लिये वरदान होगी।

मान्यवर, माधोपुर, उद्योग केन्द्र में 27 एकड़ जमीन में 60 छोटे-छोटे कारखाने लगाने हेतु भवन बन गये हैं जिसमें 40 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देकर काम शुरू कराया जाये। खादी बोर्ड, उत्तर प्रदेश से वर्ष 1980-81 में खादी कम्बल उद्योग, जमालपुर, रतनपुर ब्लाक में स्वीकृत है। वहां 7 एकड़ जमीन ग्राम समाज से मिल चुकी है। इसलिये तत्काल कम्बल उद्योग यहां स्थापित कया जाये।

मान्यवर, इसी प्रकार रतनपुर ब्लाक में चर्म उद्योग के लिये सभी सुविधायें हैं। यहां कच्चा माल उपलब्ध है। जूते बनाने वाले लोग अधिक संख्या में रहते हैं। 200 एकड़ जमीन उपलब्ध है। इसलिये निवेदन है कि हमारे यहां तत्काल चर्म उद्योग की स्थापना की जाय।

मान्यवर, रसड़ा में कालीन का प्रशिक्षण का केन्द्र 1981-82 में स्वीकृत हुआ था। जिसके लिये एक लाख रुपया वहां भेजा गया, किन्तु वह वापस आ गया है। इसलिये निवेदन है कि पुनः उसको स्वीकृत कर कार्य शुरू किया जाये।

इसी प्रकार यूनीसेफ की सहायता से टेरीकाट का उद्योग सुबस बेलोन्झा में काफी प्रगति पर है, किन्तु उसको दुगुना करने की ओर ध्यान दिया जाये।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि लखनऊ राजधानी में उत्तर प्रदेश उद्योग भवन की तत्काल स्थापना की जाये, जिससे प्रदेश में उद्योग का विकास हो सके तथा क्रियाशीलता बढ़ सके।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठ जायं। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री हरदेव—

मान्यवर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जिला उद्योग विभाग बलिया के कार्यालय के पास जमीन उपलब्ध है, जहां कर्मचारियों के लिये आवास भवन निर्माण की व्यवस्था की जाये। इसके साथ ही अन्य छोटे-छोटे उद्योग, जो उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग से स्वीकृत हैं, उनको चालू किया जाये।

धन्यवाद।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

(व्यवधान)

पर्वतीय अंचल में जो कमजोर उद्योग हैं, उनका क्या सरकार अधिग्रहण करेगी? दूसरे जो उद्योग दो वर्ष से बन्द हैं, उनको चालू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर सत्ता और विरोध पक्ष के जिन-जिन माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिये, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने हर ब्लाकों में कई प्रकार की लोनिंग के बारे में बताया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनमें कोआरडिनेशन नहीं है। आई0 आर0 डी0 लोनिंग के लिये 600 का चयन करते हैं तो 100 को निश्चित रूप से उद्योग लगाने की बात थी, लेकिन उनमें किसी प्रकार का समन्वय नहीं हुआ है। उनके नाम हैं :—उत्तर प्रदेश वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम, सीमेंट निगम, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एन्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, राज्य हथकरघा निगम, इलेक्ट्रानिक निगम, खनिज विकास निगम, पीतल निगम, चमड़ा विकास निगम आदि में कोई समन्वय नहीं है। यह आपस में कर्ज देते रहते हैं। मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग कई निगमों से कर्ज ले लेते हैं, इसलिये इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, स्वतः रोजगार के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि कक्षा 8 पास जो लोग हैं उनको इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए और हर ब्लाक में, जहां-जहां के माननीय सदस्यों के आपके पास सुझाव आये हैं, आप 5-5 सदस्यों की ब्लाक स्तर पर औद्योगिक समिति बनायें, जो इस पर आपको सुझाव दे सके कि वहां कौन से लघु उद्योग लगाये जा सकते हैं। किस प्रकार कच्चे माल का उपयोग हो सकता है, आदि बातों पर अपनी राय वह देगी।

खनिजों के बारे में भी आपके यहां विकास नहीं हुआ है । चाहे बुन्देलखंड का इलाका हो, चाहे उत्तरांचल का क्षेत्र हो, या अन्य क्षेत्र हों । जो भूगर्भशास्त्र के विद हैं, उनको मदद से आपको इस दिशा में विकास कार्य करना चाहिये । यूरोनियम मिर्जापुर और उसके आस-पास पाया जाता है, अन्य क्षत्रों में भी वह मिल सकता है, आप को इसकी खोज करना चाहिये ।

माननीय गौरी भइया ने पटेल समिति की संस्तुतियों का जिक्र किया । उसने 1962 में यह सिफारिश की थी कि बलिया को नहीं लिया गया, उसको लिया जाना चाहिये । सन् 1967 में बलिया को लिया भी गया, बस्ती को भी लिया गया, मगर वहां पर कार्य कुछ नहीं हुआ है । पूर्वांचल का पिछड़ेपन के बारे में संसद में भी मामला उठाया गया । इस क्षेत्र की प्रगति की ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिये । मिर्जापुर में भी काफी उद्योगों का विकास किया जा सकता है ।

बलिया में 14 चीनी मिलें हैं । वहां पर जो खोई (गन्ने की) बचती है उससे आप पेपर बनाने के उद्योग को लगा सकते हैं ।

आगरा के चर्म उद्योग के निर्यात के लिये उसके विकास पर जोर देना चाहिए ।

मथुरा रिफाइनरी को काफी जमीन पर जय गुरुदेव ने कब्जा कर रखा है, उसे अधिग्रहण करना चाहिये ।

1984 में सीमेंट के उत्पादन में भारी कमी आयी है । पिछले वर्षों में सीमेंट का उत्पादन काफी गिरा है । 1981-82 में उत्पाद लक्ष्य 16 लाख 80 हजार टन था, जबकि 7 हजार टन भी उत्पादन नहीं हुआ । इस ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

पीतल उद्योग बनारस, मिर्जापुर, मुरादाबाद में अधिक है । इस उद्योग के और विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । ब्लाक स्तर पर जगह-जगह इसके छोटे उद्योगों को लगाया जाना चाहिये ।

जैसा कि माननीय वर्मा जी ने कहा था, यह जो लोन आप देते हैं, बड़े-बड़े लोगों को अपेक्षा, छोटे-छोटे लोगों को, हरिजनों को, यदि आप देंगे तो उससे अच्छा काम होगा । इन लोगों को यह लोन दिया जाये और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचे जाने की भी व्यवस्था होना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । जिन लोगों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है, उनको धन्यवाद देता हूं ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्य का आभारी हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय मंत्री जी ने जो बुन्देल खंड में रासायनिक पदार्थ मिलने के सम्बन्ध में घोषणा की थी पहले, उसके बारे में भी बता दें ।

(व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह--

जिन समस्याओं की, मान्यवर, चर्चा हमेशा होती रही है, उसी का जिक्र हुआ है । उन समस्याओं के समाधान की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं अभी यह बताया गया है कि हमें जितने भी लघु उद्योग क्षेत्र में काम करना चाहिए उतना नहीं हुआ है और हमें और ज्यादा प्रयास करना चाहिए । तो इस बात के लिए मैं कह सकता हूं कि लघु उद्योग क्षेत्र में काफी तेजी से काम किया जा रहा है और जो हमने लक्ष्य बनाया है, उस से आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर, आप जानते हैं कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जो ग्रामीण और लघु

उद्योगों को विशेष महत्व देने की बात कही गई है, उसमें काफी आगे बढ़े हैं। 1972-73 में जहां 12850 लघु उद्योग प्रदेश में पंजीकृत थे, वहां आज 1982-83 में 66,000 के करीब लघु उद्योग पंजीकृत हैं। तो यह पांच गुना 10 साल में बृद्धि इस बात का द्योतक है कि हम इसमें तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम इस बात को मानते हैं कि जब तक गांव-गांव में उद्योग नहीं लगेगा, ग्रामीण उद्योग नहीं लगेगा, ज्यादा लोगों को काम नहीं मिला पाएगा और प्रदेश का विकास नहीं हो पाएगा। खास कर जो छोटे और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उद्यमी है, उनकी कैसे सहायता करें, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। बहुत से ऐसे उद्योग होते हैं, जिनको हम चाहते हुए भी छोटे उद्योग के रूप में नहीं लगा सकते हैं। तो उस किसी मजबूरी में सरकार उनको बड़े उद्योग क्षेत्र में लगाती है। और जब नहीं हो पाता है और आवश्यकता समझी जाती है, तो हम निजी क्षेत्र में भी लगाते हैं।

इसी प्रकार खादी बोर्ड के बारे में भी हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है और खादी की स्कीम ऐसी है, जो तेजी से गांव-गांव में पहुंच सकती है। इससे गरीब लोगों को ज्यादा फायदा होगा। 1982-83 में इसके अन्तर्गत 276 लाख से अधिक और 1983-84 में 464 लाख से अधिक का वितरण किया गया है। तो इसमें हम आगे बढ़े हैं और इसमें और आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे जो जनरल मैनेजर्स हैं, उनके बारे में भी कहा गया है कि उसमें वह लगे रहते हैं, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसमें तेजी लाई जाए और जहां कमी है उसको दूर किया जाए। जितनी कमियों की ओर आपने इशारा किया है, उनको हम खुद दूर करना चाहते हैं और दूर करने का प्रयास करेंगे।

उन्होंने खनिजों के बारे में जो कुछ कहा है, उसका एक्सप्लायटेशन नहीं कर पाये हैं, तो वह सही है। हमें खनिजों पर जिस तरह काम करना चाहिये, उसमें काफी कमी है और हम उस अरगनाइजेशन को बढ़ाने जा रहे हैं और फिर कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, करने की कोशिश करें। जहां तक दुद्धी, जिला मिर्जापुर में यूरेनियम की खोज की बात है, उसको सर्वे किया गया था, लेकिन कोई भी खान व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाई गई। खाद की जो बात है, फासफेट खाद के बारे में, देहरादून में भारत सरकार द्वारा इसका खनन हो रहा है। हमने भी ललितपुर में इसके लिए एक स्कीम बनाई है और 15 करोड़ रुपये की यह हमारी स्कीम है। हम कोशिश करेंगे कि मिनरल कारपोरेशन इसमें कोशिश करे और जो भी कर सकते हैं, हम करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार यह कहा गया कि यह सीमेंट का दाम बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जानते हैं यह दाम चूंकि सीमेंट फैक्ट्री में तय नहीं किये जाते हैं बल्कि उसके दाम भारत सरकार सारी चीजों को देखकर, सारे प्रदेशों को देखकर तय करती है। तो यह कहना कि 30 रुपया बोरा हो, ठीक नहीं है। जितना मूल्य लगाया गया है, वह सोच समझकर ही लगाया गया है।

मान्यवर, भदोही के बारे में कहा गया है। भदोही हमारा कारपेट का बहुत बड़ा सेंटर है। (5 बजकर 20 मिनट पर) इसको ठीक किया जाय, तो भदोही में वहां पर भदोही डेवलपमेंट अथारिटी बनाई गई है। इससे वहां की स्थिति में सुधार होगा और भी वहां पर काम हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि भदोही जो विदेशी मुद्रा अर्जन का बहुत बड़ा केन्द्र है, उसको हम और बढ़ायें। वहां जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। माननीय वर्मा जी ने कहा, सिक मिलों के बारे में, तो कई कारण होते हैं जिसकी वजह से मिल सिक हो जाता है। पूंजी न होने के कारण,

रामैटोरियल न होने के कारण, कभी-कभी मिल मैनेजमेंट के कारणों से मिल सिक हो जाती है। बहुत से कारण इसके होते हैं। यह प्रयास किया जाता है कि मिल सिक न होने पाये। सरकार चाहती है कि जो मिल सिक हो गई है, उसको कैसे सहायता देकर ठीक किया जाय, तो इस दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है।

मान्यवर, मिर्जापुर के पीतल उद्योग के बारे में कहा गया है। तो जैसे मुरादाबाद में ब्रास वेयर के लिए नान फैरस रोलिंग मिल लगाई है तो वहां भी सोच रहे हैं। मिर्जापुर में जो पीतल के बर्तन बनाने का बहुत बड़ा केन्द्र था, उसके लिए क्या-क्या किया जाय। इसके बारे में विचार कर रहे हैं। इसी प्रकार जैसा कि नौटियाल जी ने कहा कि वहां पर टूरिज्म को इंडस्ट्री माना जाय। तो मैं कहना चाहता हूं कि गढ़वाल वगैरह की जो बात उन्होंने की तो वहां पर होटल बनें इसके लिए यू0पी0एफ0सी0 और पिकअप द्वारा उनको कर्ज दिलवाये गए हैं और भी सुविधायें वहां दी जा रही हैं। तो टूरिज्म को इंडस्ट्री बनाने पर बहुत सी बातों पर विचार करना पड़ेगा। यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे साधन कितने हैं। कहां पर हमको प्रायरिटी पर काम करना है। इन सब बातों पर देखते हुए इस पर विचार करेंगे। माननीय रेवती रमण जी को कुछ दिखाई ही नहीं दिया, वह कहते हैं कि प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि वह मंत्री भी रहे हैं। तो शायद उस समय भी वह इसी तरह देखते हों, उनको कुछ दिखाई ही नहीं दिया। हमारे प्रदेश में कितने उद्योग खड़े हो गये हैं। कितनी हमारी आय बढ़ी है, कितना रेवेन्यू बढ़ा है, कितनी इक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, यह उनको देखने की जरूरत है। उद्योग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको छिपा लिया जाय, कोई छिपा कर रख ले कोई अंधा आदमी भी हो, तो उसको दिखाई दे सकता है कि उद्योग लगा है। तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से औद्योगिक वातावरण बना है, यह इतिहास में प्रथम बार ऐसा हुआ है। मुझे आशा है कि यहां और अधिक उद्योग लगेंगे। हमने कलकत्ता, बंबई, दिल्ली जाकर वहां के उद्योगपतियों से बात किया है और यह प्रयास किया है कि वह इस प्रदेश में आयें और उद्योग लगायें। पहले उनसे बात नहीं की जाती थी। मैं कह सकता हूं कि आज उद्योग लगाने वाले उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, वह चाहते हैं कि हम उनको जमीन दें। हर प्रकार की सुविधायें दें, तब वह उद्योग लगायें तो इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। मुझे आशा है कि इस प्रदेश का औद्योगीकरण होगा।

जहां तक पूर्वी प्रदेश, बुन्देलखंड, पहाड़ों का प्रश्न है, जहां पर उद्योग नहीं हैं। वहां पर उद्योग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मथुरा में रिफाइनरी बनी है तो उसके आस-पास छोटे-छोटे उद्योग लगाने पर विचार किया जा रहा है। धीरे-धीरे सारा काम होने वाला है। तो मान्यवर, जिस तरह से तेजी से हम उठ रहे हैं, उससे मुझे आशा है कि उद्योगों में बहुत प्रगति होगी। मान्यवर, माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव रखे हैं, मैं तो चाहता था कि सबका उत्तर दूं लेकिन समय की कमी के कारण सबका उत्तर देने में असमर्थ हूं।

श्री गौरी शंकर भैया--

बलिया के बारे में बता दें ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जहां तक बलिया की बात है, वहां पर कताई मिल लगाने की बात है। वहां पर काम शुरू हो गया है। पैसा नहीं मिला है। कोशिश की जायगी कि पैसा जल्दी मिले और काम हो जौनपुर में इसी तरह की बात है। वहां काम हो रहा है लेकिन पैसे की बात वहां पर भी है। जहां तक बलिया

के पिछड़ेपन की बात है, वह पिछड़े जिलों में है, वहां सब्सिडी 15 परसेंट है हम चाहते हैं कि वहां पर उद्योग लगाने वाले पहुंचे। सरकार हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, खासकर माननीय यदुनाथ सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, तो उन्होंने अच्छे सुझाव दिये हैं। माननीय सदस्यों के जो सुझाव आये हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको पूरा किया जाय। हम सहयोग लेंगे और कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगें। मैं चाहूंगा कि यदुनाथ सिंह जी अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। आपने खुद कहा है कि पैसा जो आप लगाये हैं, आउट-ले बहुत कम है। हम खुद कहते हैं कि पैसा जितना लगना चाहिये वह कम लगाया गया है, क्योंकि साधन कम हैं। तो मैं यह कटौती के प्रस्तावक, श्री यदुनाथ सिंह से कहूंगा वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें और सर्वसम्मति से इस बजट को पास करें।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

आज नियम 51 के अन्तर्गत मुझे 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। यह माननीय शेर बहादुर सिंह की लखनऊ स्थित स्पोर्ट्स कालेज के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 13 व छुआछूत अधिनियम 6/7 का उल्लंघन के सम्बन्ध में है। यह बहुत महत्वपूर्ण पत्र है, जिसको मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। मैंने यह स्वीकार कर लिया है, तो आगे चलकर माननीय सदस्यों को इसके बारे में मौका मिलेगा। यह ग्राउन्डमैन के लिए पत्र लिखा है। आपसे बात करनी थी, ज्ञात हुआ कि लखनऊ गए हुए हैं। आवश्यक यह है कि पूजा के लिए घर जाने वाले फूल-पत्ते का अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के हाथ नहीं भेजा करें। आज जो फूल लाया था, वह मैंने फेंक दिए। मैं आ रहा हूं आप तिवारी ग्राउन्ड स्टाफ के हाथ पूजा के फूल घर भेज दें। कृपा होगी। आपको अनेकों बार बताया है कि इधर कुछ समय से हरिजन कर्मचारियों का दिमाग खराब हो रहा है। इनसे आज कल प्रातः एवं सायंकाल पानी के अन्दर काम लिया जाय, ताकि वे स्वयं भाग जायें। अन्यथा मुझे कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी। यह अत्यावश्यक है। सुरेन्द्र कुमार पान्डेय, प्रशासनिक अधिकारी, स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ। इस सूचना को मैं स्वीकार कर रहा हूं वक्तव्य के लिए, बाकी को अस्वीकार कर रहा हूं।

1984-85 में आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या 3---उद्योग विभाग (खाने तथा खनिज), अनुदान संख्या---4 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 5---उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 6---उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण), अनुदान संख्या 27---निर्यात प्रोत्साहन विभाग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3---उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3---उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 81,40,000 रुपय

से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,32,24,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग, में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,93,97,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,16,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया किया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि

के अतिरिक्त 55,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

दिनांक 2 अप्रैल, 1984 को श्री शंकर सिंह द्वारा कही गयी बात के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री तेज बहादुर गंगवार) का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री तेज बहादुर गंगवार)--

में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ 2 तारीख को प्रश्न उठाया गया था । उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि

(इस समय 5 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हुकुम सिंह पीठासीन हुए ।)

मेरा क्वार्टर, जहां मैं रहता हूं, उसके सामने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहते हैं । उनमें आपस में झगड़ा हो रहा था । मैंने देखा तीन आदमी किसी को मार रहे थे, मैं भागकर गया और उनको बचाया । एक लड़का जो ईंट लेकर भागा, उसको पकड़कर ईंट छीन लिया । इतना मामला था ।

रामपुर एवं बरेली के ग्रामों के बाढ़ ग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अधिष्ठाता—

श्री बलबीर सिंह ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

इसमें रुचि है, बलवीर सिंह तो नहीं है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैंने भी रामपुर में सैलाब के बारे में दिया था ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें । नियमों में प्राविधान यह है कि यदि जिसका नाम है, वह नहीं है तो वह खत्म हो जायेगा । जो नियम है उसके अनुसार चलना है ।

यमुना नदी (आगरा) पर बने जवाहर पुल के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, आगरा जिले में जमुना नदी पर एक पुल सन् 65 में बनना शुरू हुआ और 1962 में उसका शिलान्यास तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था । 1984 में यह पुल ध्वस्त हो गया । 6 महीने में यातायात बन्द करना पड़ेगा । पार्लियामेंट में प्रश्न हुआ, यहां प्रश्न हुआ और जांच कमेटियां बैठीं, विभिन्न रिपोर्ट आयी । लेकिन वास्तव में कारणों को जानने की कोशिश किसी ने नहीं किया । आगरा की समस्या यह है कि आगरा में 3 राष्ट्रीय मार्ग, 2 राज्य मार्ग और 5 जिला मार्ग ऐसे हैं, जो विभिन्न जिलों और विभिन्न प्रान्तों को आगरा से जोड़ते हैं । आगरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है, मध्य प्रदेश राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से आवागमन आगरा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में होता है । इसलिये यह 5 जिला मार्ग, 3 राष्ट्रीय मार्ग, 2 राज्य मार्ग आगरा में मिलते हैं किसी दूसरे शहर में नहीं हैं एवं पुल से इतने बड़े भार को इधर से उधर ले जाने वाला यातायात सम्भव नहीं है ।

मान्यवर, यह पुल इतना भार वहन नहीं कर सकता है । इसके सम्बन्ध में मुख्य बात यह थी कि पुल के ऊपर जो दबाव है, वह इतना बढ़ गया है कि उसकी जगह अगर लोहे का पुल होता, तो उस भार को वहन करने की क्षमता उसमें न होती । मान्यवर, एक इंजीनियर सरदार हुसैन की देख-रेख में यह पुल बना । इसमें ठेकेदार यह चाहते थे कि दो फिट पुल को नीचा चला दिखा दिया जाए । इसमें विभागीय अधिकारी तैयार नहीं हुए, तो वह छोड़कर चले गये । वह कार्य ठेकेदारों द्वारा पूरा नहीं हो पाया । स्लेब डालने का कार्य अधिकारियों ने किया । अब वह स्लेब टूट रहा है, वहां आवागमन सम्भव नहीं हो पा रहा है । मैं यह नहीं कहता कि पुल के टूटने का कारण, उसमें कोई अनियमितता हुई है । मैं एक बात कह सकता हूं कि यह पुल जो है इस पुल को व्यवस्था में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती । इसमें सिर्फ कमी यह है कि उसके ऊपर भार ज्यादा है । उसके भार को कम करने के लिए मैंने, अम्बार साहब, जब मंत्री थे, तो उनको लिखकर दिया था । मान्यवर, आगरा में तीन नेशनल हाइवे, दो स्ट्रेट हाइवे और जिला सड़के हैं, उनका आवागमन बदला जाए । यह जिला सड़कें ऐसी हैं, जो मध्य प्रदेश को जिला राजस्थान से जोड़ती है ।

मान्यवर, समोगर गांव है । समोगर गांव पर पुल बनाये जाने का प्रस्ताव करता हूं, इसके तीन कारण हैं । समोगर से फतेहाबाद रोड, समशाबाद रोड, इरावत नगर रोड और ग्वालियर रोड जोड़ती हुई, सड़कों का निर्माण हो गया है और तांतपुर रोड व फतेहपुर सीकरी रोड निकट भविष्य में जोड़ी जाएंगी । इस प्रकार इस पुल से छः सड़कों का सम्बन्ध हो जाएगा और वर्तमान जवाहर पुल तथा समोगर पुल पर भार का आधा-आधा दबाव रह जाएगा । अभी वर्तमान में यह सब सड़कें आगरा में शाहगंज, कलेक्टरी, प्रतापपुरा और कमिश्नरी होकर फतेहाबाद रोड से समोगर होकर टूंडला मिल जाएंगी । दूसरी बात मंडी समिति की आती है ।

मान्यवर, मंडी समिति आगरा मुख्य शहर में थी । अब उसे जमुना इस पार टूंडला रोड पर स्थापित कर दिया है । इससे जवाहरपुल पर आठ गुना भार अधिक बढ़ गया है । क्योंकि वहां पहले आठ सड़कों का माल आगरा रह जाता था और दो सड़कों का माल जवाहरपुल से पास होकर आगरे में जाता था । अब दो सड़कों का माल इधर रह जाएगा और आठ सड़कों का माल इधर आएगा और आठ सड़कों का माल जो उस पार जाएगा वह फिर इधर आ जाएगा इससे आठ गुना भार अधिक बढ़ गया । क्योंकि मंडी समिति से माल फिर आगरा बाजार को आएगा । अगर समोगर का पुल बन जाता है, तो वर्तमान की पांच सड़कों का माल समोगर पुल से होकर मंडी स्थल तक पहुंचाया जा सकता है । इसलिए वर्तमान में यह पुल बनाया जाना आवश्यक है और पुल की समस्या का निराकरण इस पुल के बनने के बाद हो सकता है अन्य किसी स्थिति में नहीं । इसलिए आवश्यकता यह है कि इसमें एक ही विकल्प है कि वहां यमुना नदी पर एक नया पुल बनाया जाय, जिससे इस पुल पर बढ़ते भार को कम किया जा सके ।

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री तेज बहादुर गंगवार)—

मान्यवर, श्री विजय सिंह राना, सदस्य, विधान सभा ने आगरा में यमुना नदी पर राष्ट्रीय मार्ग 2 के बाई पास पर बने जवाहर सेतु के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को 22 मार्च, 1984 को प्राप्त हुआ था । उस प्रस्ताव में पुल का महत्व दर्शाते हुए कहा गया था कि वह पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है और ध्वस्त होने जा रहा है, जिससे

राज्य के सामने गम्भीर संकट उपस्थित हो जायगा। विधान सभा सचिवालय के आदेशानुसार करण 18 के अनुपालन में नियम 301 के अन्तर्गत श्री राना को माननीय राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 1984 को एक पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें पूरी स्थिति से उनको अवगत करा दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी क्या पढ़ रहे हैं ? इसमें अगर आप चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो बोलें।

श्री तेज बहादुर गंगवार—

मान्यवर, इस पुल के लिए इंजीनियर्स की राय है कि यह पुल पूरी तरह सुरक्षित है और वहां के यातायात को बर्दाश्त करने के लिए पूरा है। अंतः मेरा विचार नहीं है कि वहां पर दूसरा पुल बनाया जाय।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जो विषय आज यहां नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा के लिए राना जी द्वारा उठाया गया है, इसमें दो बातें सामने आती हैं। एक तो यह कि आगरा में इनवर्ड ट्रैफिक होता है। वहां का ट्रैफिक निकलने के लिए जो पुल है, वह सफीशियेन्ट नहीं है। 8 पुल का स्थान का काम एक पुल द्वारा लिया जा रहा है, जो ठेकेदार था वह कुयें ही बनाकर किसी वजह से चला गया। कोई बात हुई होगी तो वह काम अधूरा छोड़कर चला गया। विभाग ने ताकि काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाय, डैम चाहे स्टैंडर्ड बने या सब स्टैंडर्ड। नतीजा यह हुआ कि वहां रेत की मात्रा ज्यादा मिली होगी और जैसे कि पी0 डब्लू0 डी0 में होता है 10 और 12 के हिसाब से रेत मिली होगी। इसी वजह से पुल में दरार पड़ गयी। मसला यह है कि आगरा जैसा शहर जो हिन्दुस्तान के अन्दर इतना फेमस है कि जब टूरिस्ट बम्बई में पैर रखता है, तो बाद में आगरा जरूर आना चाहता है। ट्रैफिक का एक्सपेंशन हो रहा है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या आपने सर्वे कराकर निर्णय लिया है। क्या आप इससे सन्तुष्ट हैं कि वह टूटा-फूटा पुल काफी होगा और दूसरा पुल बनने की आवश्यकता नहीं है ? क्या आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं या इस पर पहुंचे हैं कि पुल की आवश्यकता है लेकिन धन नहीं है और पैसे की कमी है और इस साल नहीं तो अगले साल बनवायेंगे या जब साधन हो जायेंगे, तब बनवायेंगे। यह स्पष्ट मालूम होना चाहिये कि शासन के इंजीनियर्स की क्या ओपीनियन है।

राना जी ने बताया कि जब अम्बार रिजवी साहब पी0 डब्लू0 डी0 मंत्री थे, तब से यह इश्यू चल रहा है, यह कोई नयी चीज नहीं है। इश्यू चल रहा है तो इंजीनियर्स की और विभाग की ओपीनियन आयी होगी कि रेजिस्टेंस पावर कितनी है, क्या गड़बड़ी है यह आया होगा। क्या दूसरा पुल बनाया जा सकता है, साधन हैं या नहीं और आगरा के लिये पुल जरूरी है कि नहीं यह भी आया होगा। वहां पर हर तरह का आदमी जाता है। कुछ फ्रैंक लोग भी वहां पर जाते हैं, उनका बोझ भी इस पुलिया को सहना पड़ता है। इन सारी चीजों को देखते हुए माननीय मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक पुल बनाने हेतु सर्वे नहीं किया हो, जो जैसा कि माननीय श्री राना जी ने कहा है, उन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या के समाधान करने की आप कोशिश करेंगे ?

श्री तेज बहादुर गंगवार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहां पर किसी दूसरे पुल की आवश्यकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है । यह पुल पर्याप्त है । अभी दूसरे पुल के निर्माण हेतु कोई चीज विचाराधीन नहीं है ।

श्री विजय सिंह राना—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी का क्या यह कोई उत्तर है ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय श्री राना जी । इसमें कोई उत्तेजित होने की बात नहीं है । उत्तर तो उनको अपने विवेक से देना है, इससे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि आपको कुछ और कहना है तो आप कहें, अन्यथा मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूं ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी तथा घंटी के लगातार 5 मिनट तक बजते रहने तथा सदन में कोरम पूरा न होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है । अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 52 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
5 अप्रैल, 1984

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

लेवी सीमेन्ट स्टाकिस्टों द्वारा वर्ष 1983 में व वर्ष 1984 के फरवरी माह तक उठाई गई सीमेन्ट की मात्रा का त्रैमासिक विवरण (मि0 टन में)—

क्रम-संख्या	लाइसेंन्सो का नाम व पता	त्रैमास का नाम तथा फैक्टरी से प्राप्त सीमेन्ट की मात्रा					
		प्रथम त्रैमास 83	द्वितीय त्रैमास 83	तृतीय त्रैमास 83	चतुर्थ त्रैमास 83	प्रथम त्रैमास 84	
1	2	3	4	5	6	7	
1	बंशीधर पाठक, दूबेपुर	12	..	..	..	प्रश्नगत अवधि तक क्षेत्रीय सीमेन्ट नियंत्रक, दिल्ली से फैक्ट्री को प्राधिकार पत्र न प्राप्त होने के कारण फैक्ट्री द्वारा उक्त अवधि में आपूर्ति नहीं की गयी। अब उठान हो रही है।	
2	रुद्र प्रताप सिंह, डगमगपुर	24	12.0	12.0	24.0		
3	श्याम बिहारी तिवारी, कछवां	48	36.0	72.0	72.0		
4	लाल जी, गोधना	60	48.0	48.0	60.0		
5	अमरेश कुमार सुशील कुमार, तुलापुर	36	24.0	24.04 8.			

1	2	3	4	5	6	7
6	छविनाथ उपाध्याय, जिगना	24	24.0	49.0	72.0	
7	बलदेव प्रसाद, अतरैला	84	96.0	72.0	84.5	
8	केदार नाथ विजय प्रताप, बल्लीपरवां	86	60.0	74.0	84.0	
9	लाल ब्रदर्स, चुनार	60	36.0	36.0	48.0	
10	राम कचन सिंह, बभनी	48	48.0	48.0	36.0	
11	भुनेश्वर सिंह, राजगढ़	36	24.0	24.0	36.5	
12	जिला सहकारी संघ लि0, नारायनपुर	60	60.0	60.0	96.0	
13	मधुसूदन लाल एण्ड ब्रदर्स, मगरहां	24	148.0	112.5	141.0	
14	कुमार सीमेन्ट ट्रेडर्स, मगरहां	24	37.0	72.0	109.0	
15	राज नाथ मिश्र, सीखड़	84	60.0	60.0	72.0	
16	नागर ट्रेडिंग कम्पनी, अदलहाट	112	160.5	219.0	145.0	
17	कैलाश नाथ सिंह, चिल्ह	.	48.0	60.0	72.0	

प्रश्नगत अवधि तक क्षत्रीय सीमेन्ट नियंत्रक, दिल्ली से फैक्ट्री को प्राधिकार-पत्र न प्राप्त होने के कारण फैक्ट्री द्वारा उक्त अवधि में आपूर्ति नहीं दी गयी अब उठान हो रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

18	बनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुर	..	26.0	..	36.0
19	अशोक कुमार, वासलीगंज	180	120.0	156.0	..
20	गिरीश चन्द बर्नवाल, नारघाट	12	..	..	..
21	सीमेन्ट को0, अमानगंज	108	60.0	60.0	36.0
22	न्यू भारत हार्ड वेयर एण्ड आयरन मर्चेन्ट, तेलियागंज	145	96.0	156.0	133.5
23	मु0 हनीफ, बल्ली का अड्डा	60	84.0	144.0	72.0
24	बी0 आर0 के0 अग्रवाल, सिविल लाइन	60	36.0	48.0	48.0
25	इन्द्र कुमार सिंह, मडिहान	.	..	24.0	24.0
26	रामप्यारी देवी, चौबेटोला	..	..	36.0	206.0
	योग ..	1,387	1,343.5	1,666.5	1,755.5

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद को प्राप्त आवंटन एवं कुल उठान तथा कुल उठान के विरुद्ध लेवी स्टाकिस्टों द्वारा प्राप्त की गयी आपूर्ति तथा सरकारी विभागों/औद्योगिक इकाइयों/संस्थाओं द्वारा उठाई गई सीमेन्ट का विवरण निम्न प्रकार है—

त्रैमास का नाम	शासन से प्राप्त आवंटन	आवंटन के विरुद्ध कुल उठान	लाइसेन्सियों द्वारा प्राप्त आपूर्ति (फैक्ट्री से)	सरकारी विभागों/ औद्योगिक इकाइयों/ संस्थाओं को दी गई आपूर्ति
1	2	3	4	5
जनवरी–मार्च, 83]	1800]	1646.5	1387.0	259.5
अप्रैल–जून, 83]	1800	1666.0	1343 5	322.5
जुलाई–सितम्बर, 83	2000]	1938.0	1666.5	271.5
अक्तूबर–दिसम्बर, 83	2000	1997.5	1755.5	242.0
जनवरी–मार्च, 84	2000	(माह फरवरी, 84 तक फैक्टरी द्वारा कोई भी आपूर्ति नहीं की गई)		

पी0 एस0 यू0 पी0—14 वि0 सभा—24-8-84—813—(पी0डी0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा